लोक-सभा
वाद-विवाद

तृतीय माला

खण्ड ६, १९६२/१८८४ (शक)

६ से १८ अगस्त, १९६२/१५ से २७ श्रावण, १८८४ (शक)

3rd Lok Sabha

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Buildin
Room No. FB-025
Block 'G'

दूसरा सत्र, १९६२/१८८४ (शक)

(खण्ड ६ में अंक १ से १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय सूची

[तृतीय माला, खण्ड ६—अंक १ से १०—६ से १८ अगस्त, १९६२/१५ से २७ श्रावण, १८८४ (शक)]

अंक १—सोमवार, ६ अगस्त, १९६२, १५/श्रावण, १८८४ (शक)

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण १

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १ से १३ १—२७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४ से ३५ और ३७ से ४८ २७—४७

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से २३, २५ से ६०, ६२ से ६९ और ७१ से ७६ ४७—७८

स्थगन प्रस्तावों के बारे में ७८—७९

निधन सम्बन्धी उल्लेख ७९—८०

औचित्य प्रश्न के बारे में ८०—८२

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ८०—८२

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ८३

लद्दाख की स्थिति के बारे में वक्तव्य ८३—८७

वित्त मंत्री की हाल की पश्चिमी यूरोप की यात्रा के बारे म वक्तव्य ८७—९०

डुमराव में हुई रेल दुर्घटना के बारे में वक्तव्य ९०—९१

राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम विधेयक ९१—११५

विचार करने का प्रस्ताव ९१—११२

खंड २ से २४ और १ ११३—११५

पारित करने का प्रस्ताव ११५

कार्य मंत्रणा समिति—

तीसरा प्रतिवेदन ११५

क संक्षेपिका ११६—२४

२—मंगलवार, ७ अगस्त, १९६२/१६ श्रावण, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४९ से ५६ और ८७ १२५—४७

अल्पसूचना प्रश्न संख्या १ १४७—४९

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५७ से ८६ और ८८ से ९१	१४९—६८
अतारांकित प्रश्न संख्या ७७ से १५४, १५६ से १५९, १६१ से १८४ और १८६ से २१४	१६८—२३१
सभा पटल पर रख गये पत्र	२३१—३५
समिति के लिये निर्वाचन—	२३५
भारतीय परिचर्या परिषद्	२३५
कार्य मंत्रणा समिति—	२३६
तीसरा प्रतिवेदन	२३६
राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम विधेयक—	२३६–३७
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	
आसाम रायफल्स (संशोधन) विधेयक	२३८—४५
विचार करने का प्रस्ताव	
खंड २, ३ और १	
पारित करने का प्रस्ताव	
प्रत्यर्पण विधेयक	२४५—६०
विचार करने का प्रस्ताव	
खंड २ से ३७ और १	
पारित करने का प्रस्ताव	
दैनिक संक्षेपिका	२६१—७१
अंक ३—बुधवार, ८ अगस्त, १९६२/१७ श्रावण, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९२ से १०२	२७३—९८
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ के अनुपूरक प्रश्न	२९८—३०१
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १०३ से १४३	३०१—२२
अतारांकित प्रश्न संख्या २१५ से २३३, २३५ से २९६, २९८ से ३२८, ३३० से ३४२, ३४४ और ३४५	३२२—७४
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३७४–७५
राज्य सभा से सन्देश	३७५–७६
सदस्यों की गिरफ्तारी	३७६

विषय	पृष्ठ
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
चौथा प्रतिवेदन	३७६
सभा का कार्य	३७७
सीमा शुल्क विधेयक—	
प्रवर समिति के प्रतिवेदन को उपस्थापित करने का समय बढ़ाया जाना	
भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	३७७—७८
भूमि अर्जन (संशोधन) अध्यादेश के बारे में वक्तव्य	३७८
प्रत्यर्पण विधेयक—	
पारित करने का प्रस्ताव	
हिन्दू दत्तक ग्रहण और पोषण (संशोधन) विधेयक	३७८—८१
विचार करने का प्रस्ताव	३८१—९१
खण्ड २ से ४ और १	३९१
पारित करने का प्रस्ताव	३९१—९३
ईसाई विवाह तथा वैवाहिक कारण विधेयक—	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव	३९३—९९
दैनिक संक्षेपिका	४००—०९
अंक ४—गुरुवार, ९ अगस्त, १९६२/१८ श्रावण, १८८४ (शक)—	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १४४ से १५३ और १५५ १६	४११—३९
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १५४ और १६५ से १७१	४३९—४२
अतारांकित प्रश्न संख्या ३४६ से ३८५ और ३८७ से ४२२	४४२—७८
औचित्य प्रश्न के बारे में	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	४७८—७९
रेल दुर्घटनाओं के बारे में वक्तव्य	४७९
सभा का कार्य	४७९—८०
विशिष्ट सहायता विधेयक—	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव	४८०—८८
छोटी कार बनाने के बारे में वक्तव्य	४८८—९०

विषय	पृष्ठ
महा प्रशासक विधेयक—	
प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव	४९०—९२
दिल्ली में बिजली की व्यवस्था का खराब होना . .	४९२—५१५
दैनिक संक्षेपिका . . .	५१६—२१
अंक ५—शुक्रवार, १० अगस्त, १९६२ /१९ श्रावण, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १७२, १७४, १७५, २१०, १७६, १७७, २०६, १७८, १७९ से १८२ . .	५२३—४५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १७३, १८३ से २०५, २०७ से २०९, २११ से २१४	५४५—६०
अतारांकित प्रश्न संख्या ४२३ से ४९७, ४९९ से ५२१, ५२३ से ५३० और ५३२ से ५३८	५६०—६१०
स्थगन प्रस्ताव तथा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	६१०—१४
दिल्ली में बिजली के संभरण के खराब हो जाने के बारे में सिंचाई और विद्युत मंत्री का वक्तव्य . . .	
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
रामकृष्णपुरम में पीने के पानी की कमी . . .	६१५—१७
सभा पटल पर रखे गये पत्र	६१७—१८
सदस्यों को सजा	६१८
पश्चिमी बंगाल में कोयला खनन के बारे में पश्चिमी बंगाल सरकार और भारत सरकार के बीच करार के सम्बन्ध में वक्तव्य .	६१८—१९
सभा का कार्य . . .	६१९—२०
समितियों के लिये निर्वाचन—	
अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था . .	६२०—२१
प्राक्कलन समिति	
सहकारिता प्रशिक्षण सम्बन्धी अध्ययन दल के बारे में प्रस्ताव .	६२१—३५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
चौथा प्रतिवेदन . . .	६३५—३६
मजदूर संघों के प्रतिनिधि स्वरूप के बारे में संकल्प . . .	६३६—३९
अनिवार्य जीवन बीमा के बारे में संकल्प	६३९—५४

विषय	पृष्ठ
शहरों तथा गांवों में मकान बनाने और गन्दी बस्तियां हटाने की योजना के बारे में संकल्प	६५४
सदस्य की गिरफ्तारी	६५४
दैनिक संक्षेपिका	६५५—६३
अंक ६—सोमवार, १३ अगस्त, १९६२/२२ श्रावण, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २१५ से २२३, २२५, २२७ से २३१	६६५—९३
अल्प सूचना प्रश्न संख्या २	
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २२४, २२६, २३२ से २६८	६९३—७१४
अतारांकित प्रश्न संख्या ५३९ से ५६० और ५६२ से ६४५	७१४—६०
सभा पटल पर रखे गये पत्र	७६१–६२
सदस्य को सजा	७६२–६३
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६२–६३	७६३
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे) १९६२–६३	७६३
विधेयक पुरस्थापित—	
(१) अणुशक्ति विधेयक	७६३
(२) अधिवक्ता (तीसरा संशोधन) विधेयक	७६३–६४
भारत-चीन सीमा स्थिति के बारे में प्रस्ताव	७६४—९८
सभा का कार्य	७९८
दैनिक संक्षेपिका	७९९—८०७
अंक ७—मंगलवार, १४ अगस्त, १९६२/२३ श्रावण, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २६९ से २७८, २८० से २८४, २८६ और २८८	८०९—३६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २७९, २८५, २८७, २८९ से २९३ और २९५ से ३१३	८३६—४७
अतारांकित प्रश्न संख्या ६४६ से ६५०, ६५२ से ६८८ और ६९० से ७२५	८४७—७८
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
(१) पश्चिम बंगाल पाकिस्तान सीमा के साथ साथ पाकिस्तानी सशस्त्र सेनाओं द्वारा खाइयां खोदे जाने का कथित समाचार	८७८–७९

विषय	पृष्ठ
(२) काशीपुर के निकट एक बस और मालगाड़ी की टक्कर	८७९–८०
सभा पटल पर रखे गये पत्र	८८१
दिल्ली में बिजली के संभरण की स्थिति के बारे में वक्तव्य—	
श्री अलगेशन	८८१–८२
भारत-चीन सीमा स्थिति के बारे में प्रस्ताव—	
श्री जवाहरलाल नेहरू	८८२—९२
संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	८९२—९११
कार्य मंत्रणा समिति—	
चौथा प्रतिवेदन	९११
दैनिक संक्षेपिक	९१२—१८

अंक ८—गुरुवार, १६ अगस्त, १९६२/२५ श्रावण, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३१४ से ३१६, ३४५, ३१७ से ३२६ और ३२८	९१९—४३
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३	९४४—४६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३२३, ३२७, ३२९ से ३४४ और ३४६ से ३५३	९४६—५९
अतारांकित प्रश्न संख्या ७२६ से ८३९	९५९—१०१३
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना—	१०१३—१६
(१) पुनर्वास विभाग के कलकत्ता स्थित शाखा कार्यालय का बन्द किया जाना	
(२) दिल्ली में लाल किले के निकट हुआ विस्फोट	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१०१७
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
पांचवां प्रतिवेदन	१०१७
कार्य मंत्रणा समिति—	
चौथा प्रतिवेदन	
संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	१०१८—२७
सभा का कार्य	१०२८
रेल दुर्घटनाओं सम्बन्धी वक्तव्य के बारे में प्रस्ताव	१०२८—४२
दैनिक संक्षेपिका	१०४३—४९

विषय	पृष्ठ
क ९—शुक्रवार, १७ अगस्त, १९६२/२६ श्रावण, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३५४ से ३६१, ३६४, ३६७ और ३६९ से ३७२	१०५१—७४
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . .	१०७४—७६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३६२, ३६३, ३६५, ३६६, ३६८ और ३७३ से ४०२	१०७७—९३
अतारांकित प्रश्न संख्या ८४० से ९५२, ९५४ से ९६१, ९६३, ९६४, ९६६ से ९७३ और ९७५ से ९८५ . . .	१०९३—११५२
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
एक खेल संवादाता पर कथित आक्रमण . . .	११५२-५३
सभा पटल पर रखे गये पत्र	११५३-५४
रेल दुर्घटनाओं सम्बन्धी वक्तव्य के बारे में प्रस्ताव . . .	११५४—८०
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
पांचवां प्रतिवेदन	११८१—८२
विधेयक पुरस्थापित—	११८२—८३
(१) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद १०० और १८९ का संशोधन [श्री म० ला० द्विवेदी का] . . .	११८२
(२) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद १२४ और २१७ का संशोधन) [श्री कृ० च० शर्मा का] . .	११८२—८३
अस्पृष्यता (अपराध) संशोधन विधेयक (धारा ३ और ४ का संशोधन) [श्री सिद्धया का] वापिस लिया गया	
परिचालित करने का प्रस्ताव	११८३—९१
हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक (धारा ३० का संशोधन [श्री हेम राज का]	११९१—९३
विचार स्थगित किया गया	
विचार करने का प्रस्ताव	
व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ८७-ख का लोप) [श्री म० ला० द्विवेदी का]	
विचार करने का प्रस्ताव	११९३—९५
दैनिक संक्षेपिका	११९६—१२०५

विषय	पृष्ठ
अंक १०— शनिवार १८ अगस्त १९६२/२७ श्रावण, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ४०३, ४२८, ४०४ से ४०६, ४०८, ४१०, ४११, ४१३ से ४१९, ४२१ और ४२० . . .	१२०७—२१
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ४०७, ४०९, ४१२, ४२२ से ४२७ और ४२९ से ४३६	१२२२—४
अतारांकित प्रश्न संख्या ९८६ से १०७१, १०७३ से १०८६ और १०८८ से १०८९	१२४०—८४
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१२८४—८५
सदस्य की दोषसिद्धि	१२८५
सभा का कार्य	१२८५—८६
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), १९६२–६३ . . .	१२८६—९३
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६२–६३ . .	१२९३—१३०६
राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव . .	१३०६—१५
दैनिक संक्षेपिका	१३१६—२२

GMGIPND—LS III—1651 (Ai) LSD—18-12-62—140

लोक-सभा

बुधवार, ८ अगस्त, १९६२

१७ श्रावण, १८८४ (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

चीन की वायु सीमा का कथित अतिक्रमण

†*१२. श्री नाथ पाई :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० र० चक्रवर्ती :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चीन सरकार का दिनांक २८ जून, १९६२ का पत्र प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या चीन सरकार ने उस पत्र में भारत सरकार पर वायु सीमा का उल्लंघन करने का आरोप लगाया हैं ; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) हां, श्रीमान्।

†मूल अंग्रेजी में

1465 (Ai) LSD—10

(ख) और (ग). ६ अगस्त, १९६२ को प्रधान मंत्री द्वारा पटल पर रखे गये श्वेत पत्र संख्या ६ की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

†**श्री नाथ पाई** : इस बात से परिचित होने पर कि चीनियों की नीति यह है कि वे आक्रमणकारी कार्यवाही करके भारत पर आक्रमणकारी कार्यवाही करने का आरोप लगाते है, क्या हाल में चीन ने हमारी वायु सीमा का उल्लंघन किया है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : श्रीमान्, हमें कोई सूचना नहीं मिली है।

†**श्री नाथपाई** : चीन सरकार ने अपने नोट में भारत पर आक्रमण करने का आरोप लगाया हैं क्या मैं माननीय मंत्री का ध्यान मि० ख्रुश्चेव के इस कथन की ओर आकर्षित कर सकता हूं कि चीन पर आक्रमण रूस पर आक्रमण समझा जायेगा ? चीन के इस आरोप का ध्यान रख कर, क्या रूस से कोई स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया हैं कि इन आक्रमणों के आरोपों के बारे में उनका क्या मत है?

†**श्री कृष्ण मेनन** : यह बात इस प्रश्न के अन्तर्गत नहीं आती।

†**श्री नाथ पाई** : नोट में भारत पर आक्रमण करने का आरोप लगाया गया हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : वे सब जो चीन का समर्थन करते है, क्या उनकी प्रतिक्रियायें है, आदि इस प्रश्न के अन्तर्गत नहीं आते। इसका विषय वायु सीमा उल्लंघन तक सीमित हैं।

†**श्री नाथ पाई** : इसमें उल्लंघन का नहीं बल्कि आक्रमण का उल्लेख हैं।

†**श्री कृष्ण मेनन** : इसमें चीन के विरुद्ध किसी आक्रमण का कोई उल्लेख नहीं हैं।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : चीन ने कितने वायु आक्रमणों का हम पर आरोप लगाया है और उन्हें देश के किस भाग में घटित हुआ कहा गया है ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : इनका उल्लेख श्वेतपत्र में हैं। श्वेत पत्र के पृष्ठ १४० पर उनका उल्लेख है।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती**: इस बात को ध्यान में रखकर कि भारत सरकार ने चीन सरकार को वायु उल्लंघन की ५२ घटनाओं के बारे में बताया हैं, क्या मैं यह समझ सकता हूं कि चीन की भारत सरकार पर आरोप लगाने की निरन्तर नीति स्वयं की कार्यवाही छिपाने के लिये हैं। यदि उत्तर स्वीकारात्मक हो.....

†**अध्यक्ष महोदय** : तब, प्रत्येक बात मताभिव्यक्ति की बात है। श्री अ० प्र० जैन।

†**श्री अ० प्र० जैन** : क्या यह सच हैं कि वायु उल्लंघनों संबंधी चीनी सूची अनन्त हैं और अन्तिम नोट के अनुसार वर्ष १९६१ तथा ३० जुन, १९६२ तक इस सूची में उल्लंघनों की संख्या ३०० हो गई है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : जो उसमें हैं, वही उत्तर है।

†**श्री अ० प्र० जैन** : यह श्वेत पत्र मैं नहीं हैं। मैं अन्तिम स्थिति की बात कर रहा हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कृष्ण मेनन** : श्वेतपत्र अवधि-विशेष के बारे में हैं। वस्तुतः, चीन ने यह शिकायत की हैं कि हमने ५२ उल्लंघन किये है और हमने यह स्वीकार नहीं किया हैं। हमने पूछताछ की हैं और हमारा विमान उस स्थान के पास भी नहीं गया है।

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : उनकी वायु सीमा का अतिक्रमण अस्वीकार करने के हमारे उत्तर पर चीन सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : चीन सरकार ने शिकायत की है और कहा है कि हमने ५२ उल्लंघन किये है और हमने कहा है कि हमने उल्लंघन नहीं किये है। हमारे पत्र में उल्लेख हैं :—

> "भारत सरकार चीनी सेना के आक्रमणकारी रवैया की, जिससे भारी तनाव पैदा हो रहा हैं, निन्दा करती हैं ....."

हमने उनके रवैया का अपने रवैये का विरोधी कहा हैं।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : पिछले मास में जबकि माननीय मंत्री जनेवा में थे, उस समय क्या उन्होंने चीन के विदेश मंत्री के साथ नाश्ता, मध्याह्न भोजन और काकटेल पार्टी में भारत-चीन संबंधी सारे मामलों पर, जिनमें चीन का यह आरोप भी शामिल हैं कि हमने उसकी वायु-सीमा का उल्लंघन किया है, विचार विमर्श किया था या उन्होंने उन्हें केवल प्रधान मंत्री का यह सन्देश दिया था सीमा पर चीनी लड़ाके भारत के साथ दुव्यर्वहार कर रहे हैं और सीमा पर तनाव बढ़ रहा है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इसमें संगत प्रश्न केवल यह है कि क्या उनके साथ वायु उल्लंघन के मामले पर भी विचार किया गया था ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : मैंने अपनी बातचीत में साधारणतया चीन की सभी कार्यवाही का उल्लेख किया था।

†**श्री त्यागी** : हमारे ऊपर लगाये गये वायु उल्लंघन के दोष मुख्य चीन की वायु-सीमा के बारे में हैं जो चीनियों ने बलपूर्वक अपने अधिकार में ले ली हैं ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : मैंने जिस पत्र का उल्लेख किया हैं, उसमें सभी रेखायें दी हैं और वे इसी क्षेत्र की हैं।

रूरकेला का विस्तार

†*६३०. { **श्री कोल्ला वेंकैया** :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री बसुमतारी :
श्री मुरारका : }

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूरकेला के विस्तार संबंधी किसी प्रस्ताव पर पश्चिम जर्मनी के विशेषज्ञों के साथ चर्चा की गई थी ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो विस्तार पर कितना धन खर्च होगा ;

(ग) इस व्यय को पूरा करने के मार्गोपाय क्या हैं ;

(घ) इस संबंध में बोन के अधिकारियों का क्या रवैया है ; और

(ङ) विस्तार कार्य कब आरम्भ किया जायेगा ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)**: (क) से (ङ). यह निश्चय किया है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में रूरकेला इस्पात संयंत्र की पिण्डक इस्पात क्षमता १० लाख टन से बढ़ाकर १८ लाख टन कर दी जाये। संयंत्र के विस्तार पर लगभग ९० करोड़ रु० व्यय होने का अनुमान है जिनमें से लगभग ५० करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा होगी। पश्चिम जर्मन सरकार ने सिद्धांत रूप में यह स्वीकार कर लिया है कि विस्तार व्यय की विदेशी मुद्रा की पूर्ति करने के लिये ऋण देना स्वीकार कर लिया है। विद्यमान संयंत्र को पूर्ण क्षमता पर चलाने के लिये की गई विशेष कार्यवाही के बाद यह किया गया है। आशा है कि यह कार्यवाही लगभग दो मास में पूरी हो जायेगी। इस बीच में, विस्तार के लिये संयंत्र और सामान के टेंडर प्राप्त हो चुके हैं और उनकी जांच हो रही है। कार्यस्थल पर प्रारम्भिक कार्य हो रहा है।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या यह सच है कि पश्चिम जर्मन सरकार ने विस्तार परियोजना के लिये यह ऋण देने का वचन इस शर्त पर दिया गया है कि पहिले इस संयंत्र को पूर्ण क्षमता पर चलाया जायेगा क्योंकि उसमें कुछ कमी हो गई है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : ठीक यह शर्त नहीं है। वे चाहते हैं कि विद्यमान रूरकेला संयंत्र में पूर्ण क्षमता प्राप्त करने के लिये कुछ कार्यवाही की जाये और हम वह कर रहे हैं।

†**श्री कोल्ला वेंकैया** : इस विस्तार परियोजना के अन्तिम रूप में कितना समय लगेगा ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : मैं पहिले ही कह चुका हूं कि टेंडरों की जांच हो रही है और कार्य-स्थल पर प्रारम्भिक कार्य हो रहा है। आशा है कि वास्तविक जर्मन ऋण हमें साल्वीन समिति की रिपोर्ट पर कार्यवाही करते ही प्राप्त हो जायेगा।

†**श्री रामेश्वर टांटिया**: क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान-स्टील लिमिटेड के अधीन तीन इस्पात संयंत्रों में से रूरकेला संयंत्र का संचालन सर्वाधिक असन्तोषजनक है और यदि हां, तो उन्हीं व्यक्तियों की सलाह और सहायता से उसका विस्तार करने के क्या कारण हैं ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम**: श्रीमान्, मेरा ख्याल है कि मैं इस प्रश्न के अन्तर्गत विद्यमान संयंत्र के दोषों के कारणों का उल्लेख नहीं कर सकता। परन्तु, कुछ कठिनाइयां रही हैं और हम उन्हें दूर कर रहे हैं। संयंत्र के बारे में मैं कह सकता हूं कि वह हमारे सर्वश्रेष्ठ संयंत्रों में से एक है।

†**श्री मुरारका** : क्या अब तक की प्रगति के अनुसार यह आशा है कि यह विस्तार प्रोग्राम तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पूरा हो जायेगा ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : मेरा ख्याल है कि थोड़ा समय चौथी योजना का भी लिया जायेगा।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : इस विस्तार कार्य के लिये और कितने जर्मन विशेषज्ञों की आवश्यकता होगी और क्या यह भी शर्त है कि इस इस्पात संयंत्र में इस विशेष कार्य के लिये वे अपने विशेषज्ञ भेजेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : मैं यह बताने में असमर्थ हूं कि वास्तविक विस्तार-कार्य के लिये कितने जर्मन विशेषज्ञों की आवश्यकता होगी ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या इस कार्य-विशेष के लिये यह शर्त रखी गई है ? क्या देश में फिर जर्मनी विशेषज्ञ बड़ी संख्या में आयेंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि यह शर्त है तो उन्हें ज्ञात होनी चाहिये ।

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : यह शर्त विस्तार कार्य के लिये नहीं है, यह विद्यमान संयंत्र के संचालन के बारे में है कि कुछ और विशेषज्ञों की आवश्यकता होगी । वह सर्वथा भिन्न प्रश्न है ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या साल्वीन समिति ने संयंत्र में कुछ भारी दोष बताये हैं, और यदि हां, तो क्या यह सच है कि पश्चिम जर्मन सरकार ने संयंत्र के विस्तार का प्रश्न उन दोषों को दूर करने से जोड़ दिया है जोकि संयंत्र की निश्चित क्षमता प्राप्त करने के अतिरिक्त है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम**: हां, श्रीमान् । संयंत्र में कुछ मशीन संबंधी दोष बताये गये थे और अब वे दूर कर दिये गये हैं ।

†**श्री हेम बरुआ** : प्रशासन संबंधी दोषों की क्या स्थिति है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या दोषों का दूर करना विस्तार-कार्य से जोड़ दिया गया है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : उनके दूर किये जाने पर उन्हें जोड़ने का प्रश्न ही नहीं है।

पूर्व बिहार और पश्चिम बंगाल में तेल

\+

†*९४. श्री सुबोध हंसदा :
डा० पू० ना० खां :
श्री बसुमतारी
श्री स० चं० सामन्त :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री भक्त दर्शन :

क्या खान और इंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भुकम्पीय सर्वेक्षण तथा वायु चुम्बकीय सर्वेक्षण के फलस्वरूप बिहार के पूर्वी क्षेत्र और पश्चिम बंगाल में तेल-क्षेत्र होने का पता लगा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पश्चिम जर्मनी के एक दल ने परीक्षण के तौर पर छिद्रण किये थे ; और

(ग) यदि हां, तो तेल की खोज का कार्य वास्तव में कब शुरू किया जायेगा ?

†**खान और इंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरतवीस)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) और (ग). अब तक परीक्षण के तौर पर कोई छिद्रण नहीं किया गया है परन्तु निकट भविष्य में इस क्षेत्र में एक गहरा खोज कुआं खोदने का विचार है।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में छिद्रण परीक्षणों में स्टेनवाक कम्पनी ने जो टेक्निकल जानकारी एकत्रित की है वह जांच पड़ताल और अनुसंधान के लिये तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को भेज दी गई है ; यदि हां, तो उनके अनुसंधान का क्या परिणाम है ?

†**श्री हजरनवीस** : कनाडा की कम्पनी ने केवल वायु-चुम्बकीय सर्वेक्षण किया था। इसके उपरांत छिद्रण कार्य होगा। अभी कोई गहरा छेद नहीं किया गया है परन्तु अब तक किये गये छेदों से पता लगता है कि कुछ क्षेत्रों में मोटी तलछटीय चट्टानें हैं जिनसे तेल होने की अनुकल स्थिति का पता लगेगा ।

†**श्री बसुमतारी** : क्या पश्चिम जर्मनी से शर्तें तय हो गई हैं ; और यदि हां, तो छिद्रण की क्या शर्तें हैं ?

†**श्री हजरनवीस** : क्या वे करार की शर्तें जानना चाहते हैं ?

†**श्री बसुमतारी** : हां ।

†**श्री हजरनवीस** : मेरे पास ब्यौरा नहीं है । यदि माननीय सदस्य मुझे लिखें, तो मैं उन्हें जानकारी दे दूंगा ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या कोई ऐसा प्रस्ताव था कि इस क्षेत्र में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग स्वयं कुछ छिद्रण-कार्य करेगा ?

†**श्री हजरनवीस** : उनका संबंध छिद्रण के मुख्य कार्य से होगा ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या कुछ प्रयासों के अनुभव पर सर्वेक्षण छोड़ दिया गया है या इस क्षेत्र में तेल के क्षेत्रों का पता लगाने के लिये अब भी किया जा रहा है ?

†**श्री हजरनवीस** : नहीं, श्रीमान् । यह कार्य छोड़ा नहीं गया है। वास्तव में, पुर्निया-किशनगंज क्षेत्र में हमारा विचार सामान उपलब्ध होते ही एक गहरा कुंआं खोदने का है।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमान्, पूर्वी बिहार के वे कौन से क्षेत्र हैं, जिन में इस संबंध में अच्छी संभावनायें पाई गई हैं और जहां पर इस बारे में आगे कार्यवाही किये जाने की संभावना है ?

श्री हजरनवीस : पूर्निया किशनगंज ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : इस बात को ध्यान में रखकर कि पश्चिम जर्मनी स्वयं तेल उत्पादक देश नहीं है, भुभौतिकीय अध्ययन करने के लिये इस पश्चिम जर्मन विशेषज्ञ की क्या विशेष योग्यता है ?

श्री प्रिय गुप्त : मिनिस्टर साहब ने बताया है कि चूंकि राक्स वगैरह को ड्रिल करने में खर्च बैठेगा, इसलिये उस तेल का फायदा नहीं उठाया जा सकता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि बाहर से जो तेल आता है, उस पर कितना खर्च बैठता है और राक्स को ड्रिल करके जो तेल मिलेगा, उस पर कितना खर्च बैठेगा। इन दोनों में से किसका प्रयोग करना लाभदायक होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

श्री हजरनवीस : मैंने तो ऐसा नहीं कहा है। मुझे तो ख़याल नहीं है कि मैंने ऐसा जवाब दिया हो।

श्री प्रिय गुप्त : माननीय मंत्री ने कहा है कि चूंकि वहां राक्स हैं, इसलिये उस तेल को इस्तेमाल नहीं कर सकते।

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर। इस सवाल का जवाब देना तो बहुत मुश्किल है। सवालों के दौरान में उन दोनों का मुकाबला नहीं हो सकता है।

†**श्री हजरनवीस** : मैं उनकी शिक्षा के बारे में नहीं जानता परन्तु मेरा विश्वास है कि वह सिद्धांत जानते हैं जिसके आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। मेरा यह भी विश्वास है कि उनके पास बहुत अच्छा सामान है।

सरकारी सेवाओं में शराब पीना एक अनर्हता

+

†*९५. **श्री बसुमतारी** :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री भक्त दर्शन :
श्री हेम राज :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री ३१ मई, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ११९७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी सेवाओं में शराब पीने को एक अनर्हता घोषित करने के बारे में राज्य सरकारों के परामर्श से कोई निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों द्वारा विशेष परिस्थितियों में शराब, आदि के प्रयोग को कदाचार मानने का प्रस्ताव राज्य सरकारों को भेजा गया था। कुछ राज्यों के उत्तर अभी नहीं आये हैं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री बसुमतारी** : क्या शराब पीना अधिकारियों के लिये अनर्हता मानने के बारे में राज्यों का मत जानने के लिये उन्हें पत्र लिखे गये हैं ?

†**श्री दातार** : हम सब राज्य सरकारों से परामर्श कर चुके हैं क्योंकि अखिल भारतीय सेवाओं से उन सबका संबंध है।

†**श्री बसुमतारी** : क्या इस मामले मे अधिकारियों ने कोई आपत्ति की है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : परामर्श केवल राज्यों से किया जाता है, अधिकारियों से नहीं।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या यह सच है कि महाराष्ट्र में काफी समय से मद्यनिषेध होने पर भी, वहां काफी बड़े पैमाने पर अवैध रूप से शराब बनती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न के अन्तर्गत नहीं आता ।

†**श्री मान सिंह पु० पटेल** : किस किस राज्य ने अभी तक केन्द्र के पत्र का उत्तर नहीं दिया है ?

†**श्री दातार** : हमे आठ राज्यों के उत्तर मिले हैं । अभी सात राज्यों से उत्तर आने हैं । ये राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, आसाम, जम्मू तथा काश्मीर, मैसूर और उत्तर प्रदेश ।

†**डा० गायतोंडे** : क्या गोआ–प्राधिकारियों से भी परामर्श लिया गया है ?

†**श्री दातार** : गोआ प्राधिकारियों से अवश्य परामर्श किया गया होगा । यह जानकारी मेरे पास नहीं है ।

†**श्री तिरुमल राव** : क्या "मद्यपान" शब्द की कोई परिभाषा है ? यदि कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप में मद्यपान करता है तो क्या वह इसके अन्तर्गत आयेगा ?

†**श्री दातार** : इसी कारण से तो मैं "विशेष परिस्थितियों में मद्यपान" शब्द प्रयोग किये थे । वे परिस्थितियां क्या हैं, उनके बारे में सभी राज्यों के परामर्श से निश्चय किया जायेगा ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमान्, सरकारी कर्मचारियों पर यह जो प्रतिबन्ध लगाने का विचार है, क्या वह उन्हीं व्यक्तियों पर लागू किया जायगा, जो कि नये सेवा में आ रहे हैं, प्रविष्ट हो रहे हैं, या वह पुराने कर्मचारियों पर भी लागू किया जायगा ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : अगर यह नियम बनेगा, तो वह नये पुराने सभी कर्मचारियों पर लागू होगा । मैं चाहता हूं कि मैं इस सदन को बताऊं कि जिन बातों के बारे मे हम नियम बनाना चाहते हैं, वे ऐसी हैं, जिनको मानना ही चाहिये । जिन बातों पर स्टेट गवर्नमेंट्स की राय मांगी गई है, उनमें से एक यह है :

"सेवा पर उपस्थित सरकारी कर्मचारी मादकपेय या औषधि के प्रभाव मे नहीं होंगे ।"

दूसरी यह है :

"नशे की हालत में सार्वजनिक स्थान पर जायेगा ।"

तीसरी यह है :

"मादक पेय या औषधियों स्वाभाविक अतिअधिक प्रयोग ।"

जहां तक आखिरी बात का ताल्लुक है, उसकी जांच-पड़ताल करना तो जरा मुश्किल है कि किसी ने कब एक्सेसिवली पी है, कब कम पी है, वगैरह । लेकिन मैं यह समझता हूं कि गवर्नमेंट सर्वेंट पब्लिक ड्यूटी पर ड्रिंक न करे और पब्लिक प्लेस पर कोई स्कैंडेलस बात न करे, यह दो बातें बेहद जरूरी हैं । हम इस बारे में स्टेट गवर्नमेंट्स का इन्तजार नहीं करेंगे । हम उन का जवाब मांगेंगे, लेकिन अगर वह नहीं आता है, तो भी हम आल-इंडिया सर्विसिज के लिये इन दो बातों के बारे में रूल्ज बना देंगे ।

श्री यशपाल सिंह : क्या माननीय मंत्री जी बता सकते हैं कि मुस्तलिफ असैम्बलियों के मेम्बर्ज और पार्लिमेंट के मैम्बर्ज भी सरकारी कर्मचारियों की परिभाषा मे आ सकते हैं और उन पर भी यह नियम लागू होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री प्रिय गुप्त : क्या मैं माननीय मंत्री से पूछ सकता हूं कि कितने अधिकारियों को चिकित्सा के आधार पर म द्यपान करने का सर्टिफिकेट दिया गया है और क्या उनका दुरोपयोग हुआ है ?

†अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न संगत नहीं है ।

†श्री प्रिय गुप्त : श्रीमान्, यह संगत प्रश्न है ।

†अध्यक्ष महोदय : यदि हमारे बीच मतभेद हो, तो किसका निर्णय अन्तिम होगा ?

†श्री प्रिय गुप्त : सभा का निर्णय ।

†अध्यक्ष महोदय : सभा ने मुझे प्रयोग करने का अधिकार दिया है ।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या मद्य निषेध संबंधी अखिल भारतीय परामर्श बोर्ड सरकारी सेवाओं में पूर्ण निषेध चाहता था और सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया है ? यदि हां, तो अखिल भारतीय बोर्ड की यहां विशिष्ट सिफारिश स्वीकार न करने के कारण हैं कि सेवाओं में पूर्ण निषेध होना चाहिये और इस बारे में केन्द्रीय सेवाओं को पहल करनी चाहिये ?

†श्री दातार : जहां तक सामान्य प्रश्न का संबंध है, यह सच है कि केन्द्रीय मद्य निषेध बोर्ड ने सिद्धांत रूप मे यह निश्चय किया था कि तीसरी पंच वर्षीय योजना के अन्त से पहिले सम्पूर्ण भारत में पूर्ण मद्यनिषेध होना चाहिये । मामले पर राज्य सरकारों के परामर्श से आगे विचार किया जा रहा है.... (अन्तर्बाधा) ।

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सेवाओं में पूर्ण मद्य निषेध के बारे में था ।

†श्री दातार : जहां तक सेवाओं का संबंध है, उन्होंने एक संकल्प स्वीकार किया था जिसके आधार पर राज्यों से यह पूछताछ की गई है।

†श्रीमती सरोजनी महिषी : इस संबंध में सरकार को कुछ राज्य सरकारों से जो उत्तर प्राप्त हुए हैं, वे कैसे हैं ?

†श्री दातार : वे काफी सन्तोष जनक हैं ।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : श्रीमान, मेरा ख्याल है कि माननीय मंत्री.....

†अध्यक्ष महोदय : वह दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं ।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : राज्य सरकारों को यह नोट भेजा गया है और इसमें उल्लेख है कि यह बात केवल कुछ अवसरों के लिये है कि वे मद्य निषेध चाहते हैं । परन्तु केन्द्रीय बोर्ड की सिफारिश सेवाओं में शराब के प्रयोग को सर्वथा निषेध करने बनाने के लिये है। मैं जानना चाहता था कि स्वयं केन्द्रीय सरकार ने यह सिफारिश स्वीकार नहीं की है और पत्र भेजकर इसमें संशोधन किया है ।

†श्री दातार : सही स्थिति यह नहीं है । आजकल कुछ राज्यों में पूर्ण मद्यनिषेध है । महाराष्ट्र और गुजरात यह प्रश्न पहिले भी उठा चुके हैं । उन्होंने कहा है कि यहां तक कि उनके राज्यों मे मामूली मद्यपान भी अपराध है । अतः उन्होंने कुछ सुझाव दिये हैं । परन्तु अन्य राज्यों में मद्यनिषेध या तो है ही नहीं या आंशिक रूप में है । यही कारण है कि माननीय गृह-कार्य मंत्री ने जो अभी पढ़ा था, इस प्रकार रखा गया था.... (अन्तर्बाधा) ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** शांति, शांति । अधिक समय तक हम मद्य के प्रभाव मे नहीं-रहना चाहिये अगला प्रश्न ।

केरल में ग्रामीण संस्था

+

†*९६. { **श्री वसुमतारी :**
श्री अ० क० गोपालन :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **शिक्षा** मंत्री, ३१ मई, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या १२१२ के उत्तर के संबंध में **यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में ग्रामीण संस्था के बारे में स्वेच्छा से काम कर रहे स्वयंसेवी संगठनों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या इ स संस्था की स्थापना के लिये स्थान का अन्तिम रूप से चुनाव कर लिया गया है ?

†**शिक्षा मंत्रालय के सभासचिव (श्री मं० रं० कृष्ण) :** (क) जी हां ।

(ख) और (ग). केरल मे ग्रामीण संस्था के लिये प्रस्तावित विविध स्थानों को देखने तथा उपयुक्त स्थान की सिफारिश करने के लिये एक समिति नियुक्त की गई थी। समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है । मंत्रालय के मत राज्य सरकार को बता दिये गये हैं ।

†**श्री वसुमतारी :** ग्रामीण संस्था का पाठ्यक्रम क्या है और वहां नियुक्त किये जाने वाले अध्यापकों की योजनायें क्या होंगी ?

†**श्री मं० रं० कृष्ण :** संस्था अभी स्थापित नहीं हुई । अभी समूचा मामला विचाराधीन है ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया :** इस संस्था की गतिविधियां क्या होंगी ? क्या ऐसी संस्थायें देश के अन्य भागों मे स्थापित की जायेंगी ?

†**श्री मं० रं० कृष्ण :** तीसरी योजना के अधीन, शिक्षा मंत्रालय ने इस प्रकार की चार ग्रामीण संस्थायें स्थापित करने के लिये कुछ राशि नियत की है। यह इस प्रकार की पहली संस्था होगी विषय आदि के संबंध मे अभी फैसला होना है ।

बोकारो इस्पात संयंत्र

+

†*९७. { **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री व० कु० दास :
श्री म० ला० द्विवेदी :

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†*६७. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री बसुमतारी :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री प्र० चं० बरुग्रा :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री यलमन्दा रेड्डी :
श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री मुरारका :
श्री विभूति मिश्र :
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री मे० क० कुमारन :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री राम रतन गुप्त :
श्री नम्बियार :
महाराज कुमार विजय ग्रानन्द :
श्री यशपाल सिंह :
श्री दाजी :
श्रीमती ज्योत्सना चंदा :

क्या **इस्पात श्रौर भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रमरीका के सर्वेक्षण दल ने बोकारो इस्पात संयंत्र के ग्रार्थिक ग्रौर प्रविधिक पहलुग्रों का ग्रध्ययन कर लिया है ;

(ख) क्या यह प्रतिवेदन ग्रन्तर्राष्ट्रीय विकास हेतु सहायता के बारे में कार्यवाही करने वाले विभाग के समक्ष रखा जायेगा ;

(ग) यदि हां, तो क्या भारत सरकार को सर्वेक्षण दल की उपपत्तियों पर ग्रपनी राय व्यक्त करने का ग्रवसर दिया जायेगा ; ग्रौर

(घ) इस परियोजना के लिये ग्रमेरिका से कितनी सहायता प्राप्त होगी ?

†**इस्पात ग्रौर भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) ग्रभी नहीं ।

(ख) प्रतिवेदन प्रारम्भ मे ग्रमरीका सरकार के ग्रन्तर्राष्ट्रीय विकास के ग्रभिकरण को पेश की जायगी, जिसने इसे चलाया है ।

(ग) ग्रौर (घ). भारत सरकार सर्वेक्षण दल के निष्कर्षों को ग्रध्ययन करने ग्रौर उस के संबंध में ग्रपने मत व्यक्त करने का ग्रवसर प्राप्त करने की ग्राशा करती हैं। कितनी सहायता उपलब्ध होगी इसके बारे में इतनी शीघ्र मत प्रकट नहीं किया जा सकता ।

---

†मूल ग्रंग्रेजी मे

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या सरकार उस उत्पादन का अनुमान देगी जो परियोजना के स्थापित हो जाने पर प्रतिवर्ष प्राप्त होगा ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : अभी तो दल समुचे मामले का अध्ययन कर रहा है। सूचना तभी दी जा सकेगी, जब हमें विस्तृत परियोजना प्राप्त हो जाएगी ।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : धनबाद और हजारी बाग के दो जिलों का कितना भाग परियोजना के अन्दर आएगा और प्रभावित होने वाले लोगों के पुनर्वास के लिये क्या उपाय करने का विचार है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : यह सर्वेक्षण दल के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में है। अन्य जो सब कार्य किये जायेंगे, उनके सम्बन्ध में पृथक् प्रश्न पूछा जाना चाहिये ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या दल ने कोई संकेत दिया है कि वह कब तक प्रतिवेदन दे सकेगा, क्या प्रतिवेदन भारत सरकार को पेश किया जाएगा अथवा क्या यह अमरीका विभाग को पेश किया जाएगा, जहां से यह हमारे पास आएगा ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : ७ से ७ महीनों तक समय लगेगा ।

†**श्री वी० चं० शर्मा** : क्या बोकारो इस्पात संयन्त्र तीसरी योजना के अन्त तक लाभप्रद समवाय होगा ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : जी नहीं ।

†**श्री यलमन्दा रेड्डी** : क्या यह सही है कि यह दल देश भर में जाँच कर रहा है बल्कि इस जाँच के पर्यवेक्षण के बाहर भी ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : मैं ऐसा नहीं सोचता। यह केवल जाँच के अन्तर्गत है ।

†**श्री यलमदा रेड्डी** : दल समुचे देश में भ्रमण कर रहे हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह कहते हैं, नहीं ।

†**श्री मुरारका** : मा० मन्त्री के इस उत्तर को ध्यान में रखते हुए कि तीसरी योजना के अन्त तक इसके तैयार होने की सम्भावना नहीं है, मैं जानना चाहता हूं कि सरकार तीसरी योजना के अन्त तक इस्पात का अपेक्षित सम्भरण पूरा करने के लिये विशेषकर जबकि विस्तार कार्यक्रम तथा बोकारो दोनों में विलम्ब होने की सम्भावना है, क्या कार्रवाई कर रही है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : हम यथासम्भव विस्तार कार्यक्रम को तेल तेज करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या दल द्वारा परीक्षण इस बात के ढांचे के अन्दर किया जा रहा है कि परियोजना सरकारी क्षेत्र में होगी और यह भारतीय सलाहकारों द्वारा किया जाएगा ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : यह सरकारी क्षेत्र की परियोजना होगी और उसी आधार पर जाँच की जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह तथ्य है कि अमरीकी दल, अपने अमरीकी दृष्टिकोण से इस समस्या का अध्ययन कर रहा है, ताकि बोकारो को रूसी भिलाई का उत्तर बनाया जा सके और यदि हाँ, तो अमरीकी दृष्टिकोण क्या है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : भारत में सन्यन्त्र भारतीय हालात के अनुसार और भारत की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये होगा ।

†**श्री प्र० के० देव** : क्या अमरीकी दल ने दस्तूर सलाहकार से परामर्श किया था, जिसने बोकारो इस्पात सन्यन्त्र सम्बन्धी परियोजना रिपोर्ट दी थी ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : हाँ ।

†**श्री बसुमतारी** : इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि इतनी बड़ी परियोजना में बहुत बड़ी भूमि अधिग्रहण की जाएगी और बहुत से लोग उजड़ जायेंगे, क्या उनको स्थान के समीप ही समुपयुक्त स्थान देकर बसाने की कोई योजना है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती**: क्या यह सही है कि यह दल भारत की कुल इस्पात सम्बन्धी आवश्यकताओं के मुलभूत प्रश्न पर विचार कर रहा है और क्या हमें बोकारो की जरूरत है या नहीं ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : वे बोकारो इस्पात सन्यन्त्र की सम्भाव्यता की जांच कर रहे हैं । जहाँ तक आवश्यकता का सवाल है, मैं समझता हूं कि यह बात सिद्ध हो चुकी है कि बोकारो इस्पात संयंत्र की आवश्यकता है ।

†**श्री प्र० च० बरुआ** : क्या भारत सरकार अमरीकी सरकार को अपना दृष्टिकोण समझाने के लिये अमरीका को एक प्रविधिक शिष्टमण्डल भेजने का विचार करती है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : हमें और कोई कार्रवाई करने से पहले इस रिपोर्ट के पेश होने की प्रतीक्षा करनी है ।

†**श्री उमानाथ** : क्या सरकार का ध्यान इस आशय की एक प्रेस रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है कि बिरला जनों ने अमेरिका में गैर सरकारी क्षेत्र में सन्यन्त्र प्राप्त करने के लिये प्रयत्न किया और यदि हाँ तो सरकार ने इस बात के लिये क्या कार्रवाई की है कि इसका सर्वेक्षण दल की रिपार्ट पर कुप्रभाव न पड़े ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : मने ऐसी कोई रिपार्ट नहीं देखी ।

†**श्री मम्बियार** : क्या भारत सरकार अथवा इसके प्रतिनिधि ने सवक्षण दल के साथ जब वे यहाँ थे, बातचीत की थी और यदि हाँ, तो क्या सरकार ने दल के सामने अपनी बात ठीक-ठाक जोरदार ढंग से रखी ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : यह मामला रखने का प्रश्न नहीं है । वे बोकारो सन्यन्त्र की सम्भाव्यता का विचार कर रहे हैं । उनके सामने मामला रखने का कोई सवाल नहीं है । उन्हें बोकारो सन्यन्त्र की सम्भाव्यता के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट पेश करनी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** : क्या सरकार इस्पात संयंत्रों के समान, निकट भविष्य में, कोई भारी उद्योग स्थापित करने का विचार करती है, और यदि हाँ तो कहाँ ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : मा० सदस्या तीसरी योजना को देख लें, जिसमें देश में स्थापित किये जाने वाले भारी उद्योगों का वर्णन किया गया है ।

संगीत नाटक एकादमी

+

†*९८. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री व० कु० दास :
श्री सी० गोपालन :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **वैज्ञानिक अनुसधान और सांस्कृतिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संगीत नाटक अकादमी के सचिव द्वारा हाल में ही दिये गये त्यागपत्र के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि सचिव ने नियुक्ति के समय उसे दिये गये आश्वासन पूरे न किये जाने की शिकायत की है ; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में पूरी जाँच की है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)**: (क) अकादमी ने उसे सचिव के पद के लिये ठीक नहीं समझा और उसे उन्हीं शर्तों पर वैकल्पिक पद की पेशकश की । उसने वह पद स्वीकार करने से इंकार किया और पदत्याग किया ।

(ख) अकादमी ने बताया है कि उसकी नियूक्ति की शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया ।

(ग) ऐसा करने की जरूरत नहीं थी ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : चूंकि इस व्यक्ति ने अपने जीवन के पिछले सोलह वर्ष पैरिस में बिताये हैं, उसे पहले यह पद क्यों पेश किया गया था जब मन्त्रालय इस बात से सन्तुष्ट नहीं था कि वह इस पद के लिये उपयुक्त है ?

†**श्री हुमायून कबिर** : जब उसे नियुक्ति की पेशकश की गई थी तब मन्त्रालय से परामर्श नहीं किया गया था ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या यह तथ्य है कि इस पद की पेशकश या इस व्यक्ति के निमन्त्रण, जिसे मा० मन्त्री के कथनानूसार मन्त्रालय ने अनुमोदन नहीं किया था, अकादमी के उन कुलपति द्वारा दिया गया था, जो एक भुतपूर्व आई० सी० एस० अफसर हैं, जिसे सम्भवतः कला या संस्कृति के बारे में अधिक ज्ञान नहीं है ?

---

†मुल अंग्रेजी में

†**श्री हुमायून् कबिर :** मा० सदस्य ने मुझे सही नहीं समझा । मैंने 'अनुमोदन' नहीं कहा । मैंने कहा कि पेशकश दिये जाने से पहले हमें सूचित नहीं किया गया किन्तु हमें पेशकश किये जाने के बाद ही सूचित किया गया । मामला प्रारम्भ में हमें नहीं सौंपा गया, क्योंकि अकादमी का यह मत था कि वे बिना किसी से पूछे नियुक्ति करने के लिये सक्षम थे, किन्तु मन्त्रालय का यह मत था कि उससे परामर्श करना आवश्यक था, और चूंकि पेशकश की जा चुकी थी हमने उसे अनुमोदित नहीं किया ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** शकश किसने की थी ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** अकादमी ने ।

†**श्री तिरुमल राव :** क्या समाचारपत्र में प्रकाशित एक समाचार की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है कि संगठन का निर्माण करने वाले साम्यवादी विचारधारा वाले लोगों ने उस व्यक्ति के लिये उस पद पर रहना दूभर कर दिया था? यदि सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है ? क्या उन्होंने इन आरोपों का सत्यापन किया है ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** मैंने पहली बार यह सुना है ।

†**श्री तिरुमल राव :** सरकार के पास यह जानने के लिये कोई तंत्र है कि सहकार इसके विभागों के बारे में क्या प्रकाशित कर रहा है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य सूचना के बारे में मत जानना चाहते हैं, और जब उनके पास नहीं तो वह तर्क आरम्भ कर देते हैं ।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या यह सही नहीं है कि यह व्यक्ति इस अकादमी का सचिव नियुक्त किया गया था और जब वह आया तो उसे योजनाएं बनाने के लिये अकादमी में विशेष अधिकारी का पद दिया गया ? क्या इसका कारण यह था कि मंत्रालय ने इसको अनुमोदन नहीं दिया अथवा क्या कारण यह था कि मंत्रालय को इसका पता नहीं था कि इस व्यक्ति को पेरिस में से बुला कर उसे परेशान और बेइज्जत किया गया और पद से निकाल दिया गया ?

†**अध्यक्ष महोदय :** तर्क वितर्क की आवश्यकता नहीं है ।

†**श्री हेम बरुआ :** औचित्य प्रश्न यह है कि इस बात में कठिनाई यह है कि इसकी बहुत व्यापक चर्चा हुई है । हमें आशंका है कि वहां कुछ गड़बड़ी है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** ऐसा हो सकता है । मैं माननीय सदस्य से सहमत हो सकता हूं । श्री जोकीम आल्वा :

†**श्री जोकीम अल्वा :** इस अकादमी के हालात इतने बुरे क्यों हैं ? सब से पहले एक महिला सचिव थी, जो मुसीबत में फंसी, फिर उन्होंने किसी और को नियक्त करना चाहा, और उसे निकाल दिया । सरकार इस अकादमी के मामलों का गम्भीरतापूर्वक विचार क्यों नहीं करती और इसके लेखाओं का वार्षिक लेखा परीक्षण करवाती तथा सांस्कृतिक कार्यों में निपुण अत्यन्त योग्य सचिव क्यों नियुक्त नहीं करती ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह कार्रवाई का सुझाव है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

एवरो—७४८ का निर्माण

+

†*९९. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरुग्रा :
श्री श्यामलाल सर्राफ :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री बसुमतारी :
श्री यशपाल सिंह :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कानपुर में एवरो-७४८ के निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) १९६२ में कितने विमान बनाये जाने की संभावना है ;

(ग) क्या कुछ ब्रिटिश प्रविधिक अब भी कानपुर में हैं ; और

(घ) ऐसे प्रविधिज्ञों की संख्या कितनी है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** :(क) और (ख). दूसरे, तीसरे और चौथे एवरो-७४८ विमान का काम सन्तोषजनक ढंग से चल रहा है। आशा की जाती है कि दूसरा विमान इस वर्ष उड़ेगा और तीसरा तथा चौथा विमान पूर्ण होने वाले होंगे ।

(ग) जी हां ।

(घ) चार ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या उत्पादन १९६२ में पूरी तरह आरम्भ हो जाएगा ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : उत्पादन कभी पूर्ण नहीं होता—यह बढ़ता रहता है।

†**श्री नम्बियार** : अधिकतम कब हो जाएगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उनको प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं थी ।

†**श्री हेम बरुग्रा** : क्या यह सही है कि हाल ही में एवरो-७४८ –माला २ के निर्माण के लिये हाकर सिडलेवर्ग के साथ बातचीत की गई थी ? इस बातचीत का क्या परिणाम निकला ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : विमान के सामान्य निर्माण के लिये निर्माताओं के साथ हुआ करार केवल एक विशिष्ट प्रकार के लिये नहीं है। कई प्रगतिशील किस्में हैं। अब इंगलैंड में केवल निर्माताओं के साथ अग्रेतर नमूनों के बारे में बातचीत कर रहा है। सम्भवतः माननीय सदस्य इसका उल्लेख कर रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री दी० चं० शर्मा: क्या यह सही नहीं है कि एक दल, कुछ देशों से उनके लिये आर्डर लेने के लिये इस विमान का प्रदर्शन करने के लिये बाहर गया है ?

†श्री कृष्ण मेनन : वह सर्वथा भिन्न दल है। हम इसे दल नहीं कहते। जो वैमानिक इस विमान को चलाते हैं, वे विमान को इंडोनेशिया ले गये और वहां से कम्बोडिया, बर्मा, मलाया और वापिस आ गये हैं। वे सम्बद्ध सरकारों की प्रार्थना पर उड़ान प्रदर्शन थे। हमारे निर्माण करार के अधीन यदि हम चाहें हम उनको बेच सकते हैं।

†श्री श्याम लाल सर्राफ : क्या भारतीय शिल्पिक अब इस विमान के निर्माण में पूर्ण निपुण हैं और क्या इसका प्रतिरक्षा एवं असैनिक दोनों कामों के लिये प्रयोग किया जाता है ?

†श्री कृष्ण मेनन : भारतीय शिल्पिकों ने उनको बनाया। वे आशा के अनुसार हैं। अतः उन्हें निपुण समझा जा सकता है।

†श्री स० चं० सामन्त : हमारे देश में कितने प्रतिशत पुर्जे बनाये जा रहे हैं ?

†श्री कृष्ण मेनन : यह इस प्रश्न में नहीं आता। मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

†श्री म० ला० द्विवेदी : क्या उस दल ने जो विमान को प्रदर्शन के लिये इंडोनेशिया और अन्य देशों को ले गया था, यह अपनी इच्छा से किया है या उन देशों के निमंत्रण पर ?

†श्री कृष्ण मेनन : उन सरकारों के जोरदार निमंत्रण पर।

†श्री प्र० चं० बरुआ: कानपुर में इस विमान के निर्माण की वर्तमान स्थापित क्षमता क्या है और इस समय निर्माण कितना हो रहा है ?

†श्री कृष्ण मेनन : जैसा कि मैंने बताया, इस समय एक साथ तीन विमान तयार करने की संभाव्ता है। उनमें से प्रत्येक को बनाने में कितना समय लगेगा यह उत्पादन की प्रगति पर निर्भर है। कुल मिला कर, मैं समझता हूं वर्तमान व्यवस्था एक वर्ष में १२ विमान तैयार करने की है।

रायल्टी की दरें

†*१००. { श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री विभूति मिश्र :
श्री दाजी :
श्री हेम बरुआ :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री राम रतन गुप्त :
डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :
श्री पें० वेंकटासुब्बया : }

क्या खान और ईंधन मंत्री आसाम तेल पर रायल्टी के बारे में २३ अप्रैल, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ११२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रायल्टी की वर्तमान दरों में संशोधन के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†खान और ईंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

†श्री रामेश्वर टांटिया : इस बात के क्या कारण हैं कि आरम्भ में आसाम सरकार के साथ स्वामित्व के इस महत्वपूर्ण प्रश्न का फैसला नहीं किया गया और आयल इंडिया के काम की प्रगति में बिना बाधा पड़े इस मामले को सुलझाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†श्री हजरनवीस : पहले के बारे में, स्वामित्व देने के दायित्व के बारे में खण्ड है । हम इसका विवाचन एक प्रकार से करते हैं और आसाम सरकार दूसरे ढंग से । जब तक दोनों पक्ष एक विवाचन पर सहमत न हो जाएं, विवाद जारी रहेगा ।

दूसरे प्रश्न के बारे में सब उपाय किये जा रहे हैं । वर्तमान स्थिति यह है कि आसाम सरकार और केन्द्रीय सरकार दोनों एक साझा हल ढूंढने के लिय प्रयत्नशील हैं ।

†श्री रामेश्वर टांटिया : जब तक इस मामले का हल न हो जाए काम की प्रगति सम्बन्धी स्थिति क्या है ?

†श्री हजरनवीस : आसाम सरकार ने हमें वे सब प्रयोगात्मक लाइसेन्स देना स्वीकार कर लिया है जो हमने मांगें हैं ।

†श्री पें० वैंकटासुब्बैया : क्या सरकार का ध्यान प्रेस रिपोर्ट की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें कहा गया कि मामला मध्यस्थ निर्णय के लिये किन मंत्री को सौंपा गया है ? यदि हां, तो अब क्या स्थिति है ?

†श्री हजरनवीस : यह भी विचाराधीन एक उपाय है । इस बीच, आसाम सरकार तथा भारत सरकार के बीच समझौता है और मध्यस्थ निर्णय की आवश्यकता नहीं है ।

†श्री प्र० चं० बरुआ : आसाम सरकार को कमी के कारण कुल कितने अनुमानित राजस्व की हानि होगी ?

†श्री हजरनवीस : मैं कुल हानि बताने में असमर्थ हूं । किन्तु प्रति टन लगभग ६ रुपये का अन्तर है ।

†श्री हेम बरुआ : क्या सरकार का ध्यान आसाम के मुख्य मंत्री क हाल क इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि स्वामित्व और तेल निकालने के कार्यक्रम के मामले बड़े किये जा रहे हैं और दिल्ली के सरकारी क्षेत्र में डर पदा किया जा रहा है, यदि हां, तो क्या यह सही नहीं है कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के प्रतिनिधियों ने राज्य सरकार के विरुद्ध सब प्रकार के अनर्गल वक्तव्य देकर, स्थिति को पेचीदा बना रहे हैं ?

†श्री हरि विष्णु कामत : शीत युद्ध चल रहा है ।

†श्री हजरनवीस : मुझे आसाम के मुख्य मंत्री के ऐसे किसी वक्तव्य का पता नहीं और न ही मुझे तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के ऐसे किसी वक्तव्य का पता है ।

---

†मल अंग्रेजी में

†श्री बसुमतारी : क्या यह सही है कि तेल निकालने के बारे में इस समझौते के बारे में आसाम सरकार से परामर्श नहीं किया ?

†श्री हजरनवीस : जब माननीय सदस्य के मन में यह बात है कि आसाम सरकार ने दायित्व के सम्बन्ध में इस नवीन स्पष्टीकरण को स्वीकार नहीं किया । यह सही है ।

†श्री राम रतन गुप्त : क्या यह सही नहीं है कि योजना आयोग ने राज्य सरकार को उस तेल पर जो वहां पाया जाए, १५ प्रतिशत स्वामित्व दिया है ?

†श्री हजरनवीस : यह भी एक प्रस्ताव है ।

विशेष प्रकार का इस्पात

†*१०१. श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री यलमंदा रेड्डी :
श्री ईश्वर रेड्डी :

क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भद्रावती आयरन एण्ड स्टील वर्क्स, मैसूर में विशेष प्रकार के इस्पात के उत्पादन का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या मंत्री महोदय को भी उनके कारखाने के निरीक्षण के समय यह सुझाव दिया गया था ;

(ग) यदि हां, तो क्या कारखाने को इस प्रयोजन के लिये सहायता का कोई आश्वासन दिया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो किस प्रकार की सहायता का आश्वासन दिया गया था ?

†इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख). जी, हां ।

(ग) और (घ). हमने मैसूर वर्क्स को आश्वासन दिया है कि मिश्र और विशेष प्रकार के इस्पात के उत्पादन के उनके प्रस्तावों पर अनुकूल रूप से विचार किया जायेगा ।

†श्री सुबोध हंसदा : मैसूर स्टील एन्ड आयरन वर्क्स को ही परियोजना प्रस्तुत करने के लिये क्यों कहा गया ?

†श्री चि० सुब्रह्मण्यम : विशेषज्ञों की राय में उस की स्थिति इस परियोजना के लिये उपयुक्त है ।

†श्री सुबोध हंसदा : क्या उन्हों ने इस्पात संयंत्र की स्थापना के बारे में कोई योजना प्रस्तुत की है और यदि हां, तो वे किस प्रकार का संयंत्र स्थापित करना चाहते हैं ?

†श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हम ने उन से प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये कहा है और प्रस्ताव दो-तीन सप्ताह में प्राप्त हो जाने की संभावना है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या हमें विशेष प्रकार की बहुत अधिक आवश्यकता है याकि उस के उत्पादन का अधिकांश भाग निर्यात किया जायेगा ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : जी, नहीं । उस का उत्पादन देश में खपत के लिये किया जायेगा । सच तो यह है कि हम विशेष और मिश्र इस्पात का काफी आयात कर रहे हैं ।

†**श्री ब० कु० दास** : क्या दुर्गापुर में भी इस प्रकार के संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव है? यदि हां, तो इन दोनों में से किस को वरीयता दी जायेगी ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : जी हां । दुर्गापुर में भी संयंत्र स्थापित किया जायेगा और यदि इस बीच यह प्रस्ताव स्वीकृत हो गया तो मैसूर में भी संयंत्र स्थापित किया जायेगा ।

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या इस प्रयोजन के लिये कोई योजना तैयार कर ली गई है या की जा रही है ; यदि हां, तो क्या वह सभा पटल पर रखी जायेगी ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : मैं बता चुका हूं कि मैं ने प्रस्ताव मांगे हैं और वे तीन-चार सप्ताह में प्राप्त हो जायेंगे ।

†**श्री यलमंदा रेड्डी** : यह सहायता ऋण के तौर पर दी जायेगी अथवा सहायता के तौर पर ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : इस बात का निर्णय अभी किया नहीं गया है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती**: क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के आर्थिक सलाहकार की राय में यह परियोजना किसी गैर-सरकारी समवाय को सौंपना बेहतर होगा और इसलिये इस बात की संभावना है कि दुर्गापुर में यह संयंत्र सरकारी क्षेत्र में स्थापित न हो ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : इस प्रकार का सुझाव मैं ने पहली बार सुना है ।

†**श्रीमती रेण चक्रवर्ती** : यह सुझाव नहीं है ।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ** : इस इस्पात का वितरण अखिल-भारतीय संग्रह से किया जायेगा या इस्पात संयंत्रों को ही उस का वितरण करने दिया जायेगा ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : उस का वितरण अखिल-भारतीय आधार पर होगा ।

†**श्री सोनावने** : श्रीमन्, औचित्य के प्रश्न पर मेरा निवेदन है कि इस तरफ के सदस्य प्रश्न पूछने के लिये खड़े होते हैं किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि आप की नजर हमारी तरफ नहीं जाती ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं आज अपने डाक्टर से परामर्श लूंगा ।

†**श्री अ० प्र० जैन** : क्या यह सच है कि कोयले की प्रक्रिया से बनाया जाने वाला लोहा मिश्र और विशेष इस्पात के लिये विशेष रूप से उपयुक्त होता है और चूंकि भद्रावती में इस प्रक्रिया से लोहे का उत्पादन किया जाता है इसलिये उसे वरीयता दी जानी चाहिये ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : भद्रावती आयरन वर्क्स को इस काम के लिये वरीयता देने का एक कारण यह भी है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री सोनावने ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सोनावने** : देश में विशेष इस्पात की कितनी मांग है और क्या यह परियोजना इस मांग की पूर्ति कर सकेगी ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : केवल इस परियोजना से नहीं । हमारे पास दुर्गापुर परियोजना भी है । हम ने निजी क्षेत्र में भी कुछ लाइसेन्स दिये हैं किन्तु उन में से बहुत से उपक्रम उत्पादन न कर पायेंगे ।

†**श्री दासप्पा** : क्या यह सच है कि प्रविधिज्ञों का एक दल इस परियोजना के मूल्यांकन के लिये पश्चिम जर्मनी रवाना हो गया है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : जी, नहीं । यह दल जाने वाला है ।

'मिग' विमानों का सौदा

+

†*१०२. श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री प्र० के० देव :
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री मे० क० कुमारन :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री भक्त दर्शन :
श्री हेम राज :
श्री श्याम लाल सर्राफ :
श्री नम्बियार :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री पें० बेंकटासुब्बया :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री यलमन्दा रेड्डी :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री नाथ पाई :
श्री हेम बरुआ :
श्री बसुमतारी :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'मिग' या उस के समान अन्य विमान खरीदने और तैयार करने की व्यवस्था अन्तिम रूप से पूरी हो गई है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या पश्चिमी देशों ने कोई प्रस्ताव रखे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या प्रस्ताव रखे गये हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) एक से अधिक स्थानों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । उनकी जांच की जा रही है । इस सम्बन्ध में कोई ब्यौरा देना लोकहित में न होगा ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** :प्रकाशित समाचारों से प्रतीत होता है कि मिग विमानों के प्रस्तावित सौदे का पश्चिमी देश विशेष कर अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन विरोध कर रहे हैं । हमारे इस सौदे पर पश्चिमी देशों के विरोध का प्रभाव किस हद तक हुआ है और उन की नाराजगी के क्या कारण हैं अधर इस सम्बन्ध में हमारी क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री कृष्ण मेनन : यह प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है । (**अन्तर्बाधा**)

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ? क्या यह प्रगति पश्चिमी देशों की नाराजगी से अवरुद्ध हुई है यह बात प्रश्न से सम्बन्ध रखती है ।

†**श्रीकृष्ण मेनन** : मूल प्रश्न यह था कि क्या इस प्रश्न के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है मैंने बताया 'नहीं' । मुझ पूछा गया कि क्या अन्य प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । मैंने कहा कि उन पर विचार किया जा रहा है और उन का ब्यौरा देना लोकहित में नहीं होगा । (**अन्तर्बाधा**)

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि क्या इस मामले में सरकार किन्हीं अन्य बातों से प्रभावित होगी । वे यही जानना चाहते हैं ।

†**श्री कृष्ण मेनन** : हमारा देश सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न और स्वतंत्र है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : यह मामला किस अवस्था में है और क्या यह सच है कि अब सोवियत रूस भी इस में दिलचस्पी नहीं ले रहा है क्योंकि हमारे पास प्रविधिज्ञ नहीं हैं जो मिग विमानों का निर्माण कर सकें और इसलिये रूस की प्रतिष्ठा कम होगी ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : प्रश्न के पहले भाग का उत्तर देना लोकहित में न होगा । जहां तक दूसरे भाग का सम्बन्ध है, सामाचारपत्र सदा की भांति प्रचार कर रहे हैं ।

†**श्री प्र० के० देव** : रूस और जनवादी चीन की राजनीतिक विचारधारा में अन्तर होने के बावजूद . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न पूछते समय तर्क, निष्कर्ष आदि का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिये ।

†**श्री प्र० के० देव** : क्या भारत-चीन विवाद के संदर्भ में पुर्जों के संभरण के प्रश्न पर विचार किया गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : जब सौदा पक्का हो जाये तभी यह पूछा जा सकता है ।

†**श्री प्र० के० देव** : इस प्रश्न पर विचार करने के लिये यह समय उचित है ।

†**श्री कृष्ण मेनन** : हम राजनीतिक विचारधारा के लिये नहीं वरन् विमान खरीदने के लिये बातचीत कर रहे हैं । (**अन्तर्बाधा**)

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति । श्री महीड़ा ।

†**श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा** : क्या इन विमानों की खरीद से कुछ राजनीतिक प्रश्न जुड़े हुए हैं ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : जी, नहीं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : इस सौदे को पक्का करने के लिये जो दल रूस गया है उस के कब तक लौट आने की संभावना है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इस से क्या फर्क पड़ता है । दल एक दिन पहले या बाद में आ सकता है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : सौदा दल के लौट आने पर पक्का होगा ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या यह सच है कि हमारी वायु सेना के विशेषजों ने सावधानी-पूर्वक विचार और जांच करने के बाद सुविधा और उपादेयता की दृष्टि से अन्य विमानों की अपेक्षा मिग विमानों को खरीदने का निर्णय किया है ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : यह भी बताना मेरे लिये संभव नहीं है ।

†**श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : प्रतिरक्षा मंत्रालय के एक विशेष अधिकारी जिन का कि नाम श्री भगवन्तम् है वह रूस इन्हीं मिग विमानों की खरीद के सम्बन्ध में गये हुए हैं तो क्या उन्हें जाने से पहले यह निश्चय कर लिया था कि जिन दूसरे देशों ने अपना प्रपोजल मिग विमानों के सम्बन्ध में दिया है उन की अपेक्षा जहां वह जा रहे हैं वहां से यह सस्ते पड़ेंगे या हमारे देश के हित में रहेंगे ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : ये सभी बातें ऐसी हैं जिन्हें मैं बता नहीं सकता ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न इतना ही है कि क्या अफसरों का यह दल भेजने से पहले इस बात का पता लगा लिया गया है कि हमें अन्य देशों से अधिक सस्ते विमान नहीं मिल सकते ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : सरकार ने चुनाव करने से पहले अपनी राय में सभी आवश्यक जांच कर ली है । इस से अधिक जानकारी देना तो विभिन्न प्रकार के विमानों के गुणों के बारे में तुलनात्मक राय व्यक्त करना होगा ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : श्रीमन् आपके ध्यान में यह बात अवश्य आई होगी कि मंत्रीगण और विशेषकर कुछ मंत्री "लोक-हित" इस सुविधाजनक वाक्य का प्रश्रय लेने के लिये बहुत तत्पर रहते हैं। कोई बात लोक-हित की है या नहीं इस बात का अन्तिम निर्णय कौन कर सकता है—आप या सम्बन्धित मंत्री महोदय ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरा ख्याल है कि यह पहले भी तय हो चुका है कि जानकारी देना लोकहित में न होगा इस आधार पर मंत्री जानकारी देने से इन्कार कर सकता है । किन्तु यदि मैं देखता हूं कि जाकारी दी जानी चाहिये तो मैं हस्तक्षेप करता हूं जसा कि मैंने अभी मंत्री महोदय से जानकारी देने के लिये कहा था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री ने अभी जो जानकारी दी वह उस जानकारी से विपरीत है जो उन्होंने अपने मंत्रालय की माँगों पर चर्चा के दौरान दी थी। श्री भागवत झा आजाद ने जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर वादविवाद के दौरान अवश्य दिया गया है और अब मंत्री महोदय कहते हैं कि जानकारी देना लोक-हित में न होगा..... (**अन्तर्बाधा**)।

†**अध्यक्ष महोदय :** श्री आजाद ने संभवतः यही बात कही थी और उसके उत्तर में कहा गया था कि हमें अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने का अधिकार है। मुझे इस बात का स्मरण है। यदि माननीय सदस्य की राय में जानकारी में अन्तर है तो वे मुझे लिखें और मैं माननीय मंत्री को लिखकर रिकार्ड देख लूंगा। इस बात का निर्णय मैं अभी कैसे कर सकता हूं। (**अन्तर्बाधा**) :

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय ने अभी लोक-हित में जानकारी देने से इंकार किया है जबकि वाद-विवाद के दौरान उन्होंने कहा था कि ये विमान देश के लिये सर्वोत्तम हैं तो अब वे लोक-हित की आड़ क्यों ले रहे हैं.... (**अन्तर्बाधा**)।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्यों को यह समझना चाहिये कि कभी-कभी हमें किसी कथन का स्मरण ही रहता है। इसलिये मैं रिकार्ड देखे बगैर कह नहीं सकता कि उस दिन क्या कहा गया था और क्या अब वही जानकारी देने से इंकार किया जा रहा है याकि अब दी जा रहीं जानकारी कुछ भिन्न है।

†**श्री प्रिय गुप्त :** श्रीमन्, मैं औचत्य प्रश्न उठाना चाहता हूं।

†**श्री अन्सार हरवानी :** श्रीमन्, मैं औचित्य प्रश्न उठाना चाहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय :** शाँति, शाँति। जब एक माननीय सदस्य द्वारा औचित्य प्रश्न उठाया जा रहा हो तो मैं किसी और सदस्य को औचित्य प्रश्न उठाने की अनुमति कैसे दे सकता हूं ?

†**श्री प्रिय गुप्त :** श्रीमन्, औचित्य का प्रश्न यह है कि जब कोई मंत्री लोक-हित का कारण बता कर जानकारी देने से इंकार करता है तो उसे कितना समय दिया जाता है और इस बात का निर्णय कौन करेगा कि मंत्री महोदय का कथन सही है या नहीं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं इसका उत्तर दे चूका हूं।

श्री प्रिय गुप्त : : उसे कितना समय दिया जाता है। छः महीने या एक साल का या दो साल ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह परिस्थिति पर निर्भर करता है :

†**श्री प्रिय गुप्त :** इसका निर्णय कौन करता है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** शाँति, शाँति। माननीय सदस्य मेरी बात नहीं सुनते तो शायद निर्णय वहीं करेंगे।

†**श्री अन्सार हरवानी :** श्री भागवत झा आजाद ने बताया कि प्रतिरक्षा मंत्री ने वाद-विवाद के दौरान उन्हें कुछ जानकारी दी थी। क्या यह आवश्यक है कि वही जानकारी बार-बार दी जाये ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री भागवत झा आजाद :** जानकारी मुझे नहीं वरन् सदन को दी गई है ।

कुछ माननीय सदस्य—उठे ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी:** श्रीमन् मैं एक बात का स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** शाँति, शाँति । प्रश्न काल में क्या औचित्य प्रश्न ही उठाये जाते रहेंगे । मेरा ख्याल है कि प्रश्नकाल में जितने औचित्य प्रश्न उठाये जाते हैं उनमें शायद ही कोई औचित्य प्रश्न होता है । यदि सदन सहमत हो तो मैं माननीय सदस्यों से प्रश्नकाल में औचित्य प्रश्न न उठाने के लिये कहूंगा ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** श्रीमन्, इस बात को इस प्रकार नहीं तय किया जा सकता **(अन्तर्बाधा)** ।

†**अध्यक्ष महोदय :** शाँति, शाँति । मूझे औचित्य के प्रश्न सुनने और उन पर निर्णय देने में कोई आपत्ति नहीं है । किन्तु, मैं माननीय सदस्यों से पूछता हूं कि इस विशेषाधिकार का दुरुपयोग . . . **(अन्तर्बाधा)** ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** श्रीमन्, कभी कभी मंत्रीगण भी दुरुपयोग करते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** औचित्य का प्रश्न उठाये जाने पर और सब कार्यवाही स्थगित करनी पड़ती है । यह देखा गया है कि इस प्रकार उठाये गये औचित्य के १०० प्रश्नों में से केवल एक वास्तव में औचित्य प्रश्न था । **(अन्तर्बाधा)** मैं नहीं चाहता कि माननीय सदस्यों को इस अधिकार के प्रयोग से वंचित रखा जाये किन्तु मेरा ख्याल है कि माननीय सदस्यों को अधिक जिम्मेदारी से काम लेना चाहिये और वास्तव में औचित्य का प्रश्न होने पर उसे उठाना चाहिये ।

†**श्री प्रिय गुप्त :** हम आवश्यक होने पर ही औचित्य प्रश्न उठाते हैं ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि प्रश्नकाल में जब औचित्य का प्रश्न उठाया जाये ता जिस नियम के अन्तर्गत वह उठाया गया है उसका हवाला दिया जाये । आम तौर पर प्रश्नकाल में कोई भी सदस्य कुछ भी पूछ बैठता है । उसको बजाय हम नियम का उल्लेख कर औचित्य का प्रश्न उठा कर आपसे विनिर्णय देने का अनुरोध कर सकते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या पूरक प्रश्न पूछे जायें ?

†**श्री त्यागी :** क्या माननीय मंत्री की रूस के अधिकारियों से बातचीत के दौरान पता चला है कि चीन ने मिग सौदे के सम्बन्ध में सोवियत रूस को अपना विरोध व्यक्त किया है ? क्या यह सही है ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** मुझे कोई जानकारी नहीं है । वैसे भी यह इस प्रश्न के अन्तर्गत नहीं आती ।

†**श्री रघुनाथ सिंह :** वह समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुई है ।

---

†मूल अंग्रजी में

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी :** श्रीमन्, आपने कहा कि माननीय मंत्री लोकहित में जानकारी देने से इंकार कर सकता है । मैं इतना ही जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय के इस प्रकार के कथन के बाद भी आप किसी प्रकार का हतस्तक्षेप कर सकते हैं या नहीं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह बात कई बार उठायी गई है । एक बार श्री आयंगार ने, जो उस समय अध्यक्ष थे, मंत्री से रिकार्ड दिखाने के लिये कहा था ताकि वे इस बात का निर्णय कर सकें कि मंत्री महोदय ने जो कारण दिया है वह तथ्यों पर आधारित है या नहीं । किन्तु, अधिकांश मामलों में मैं माननीय मंत्री के कथन को सही मान लेता हूं जब तक माननीय सदस्य कोई विशेष तथ्य प्रस्तुत करें ।

†**श्री फ्रैंक एन्थोनी :** श्रीमन् मेरा निवेदन है कि यदि इस मामले में काई स्पष्ट विनिर्णय हो तो हम कोई कार्यवाही न कर सकेंगे । आप न्यायाधीश रह चुके हैं और आप जानते ही हैं कि न्यायालयों में इस विशेषाधिकार का प्रयोग किया जाता है किन्तु न्यायालय कभी अपना अधिकार नहीं त्यागते । प्रतिरक्षा मंत्री बार-बार ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देते हैं कि हम लोग कुछ कर नहीं सकते । जब मंत्रीगण विशेषकर ऐसे मामले में लोकहित की बात, उठायें तो आपको पूर्ण अधिकार है कि आप रिकार्ड मंगवाकर, उसके कथन की सचाई की जाँच करें । अन्यथा कोई भी मंत्री यह कारण दे सकता है और सभा को कोई जानकारी न मिल सकेगी ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह प्रश्न पहले उठाया गया था और मैं उत्तर दे चुका हूं । प्रश्न-काल समाप्त हुआ ।

†**श्री म० ला० त्रिवेदी :** श्रीमन् प्रश्न काल के दस मिनट औचित्य प्रश्न पर व्यतीत हुए हैं और इसलिये प्रश्नकाल १० मिनट बढ़ाया जाना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय :** ये १० मिनट किसने लिये ?

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ के अनपूरक* प्रश्न

†**अध्यक्ष महोदय :** श्री मोहन स्वरूप । वह अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ पर, जिसका कल उत्तर दिया गया था, अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते है ।

श्री मोहन स्वरूप : विवरण में यह कहा गया है कि आटा कलकत्ता पत्तन पर चार स्टीमरों में आया जिसमें ७०,००० बोरे आये और उनमें से केवल ४ ००० बोरे दारंग और मालदा भेजे गये और बाकी बिहार और उड़ीसा भेजे गये । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह माल कलकत्ता पत्तन पर एक साथ आया और सारे जहाजों से एक साथ माल उतारा गया ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** मैं उत्तर में बता चुका हूं चूंकि यह आटा जो दूषित कहा जाता हैं चार स्टीमरों में आया हैं । उसमें लगभग ७०,००० बोरे आये जिसमें स ४००० बोरे दारंग और मालदा जिले को भेजे गये । **(अन्तर्बाधा) :** इन ४००० बोरों के बार में भी यह नहीं कहा जा सकता कि ये ४००० बोरे सार ही दूषित हो गये है क्योंकि मालतदा में जिन स्थानों में यह घटनायें हुई है केवल बहुत थोड़े बोर इस्तेमाल हुए है । जिन क्षेत्रों में अधिक बोरे इस्तेमाल हुए है उससे कोई रिपोट नहीं मिली हैं ।

---

*देखिये लोक-सभा वाद-विवाद दिनांक ७ अगस्त, १९६२ ।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इन चार स्टीमरों में से जिनमें से दूषित आटा मिलने की खबर हैं, आटे के कुछ बोरे बम्बई और मद्रास पत्तों पर भी उतारे गये, क्या इन पत्तनों पर प्रादेशिक खाद्य निदेशकों को यह देखने का आदेश नहीं दिये गये कि बोरे ठीक हालत में है या नहीं और क्या वे दूषित हैं ?

†**श्री अ० म० थामस :** उनका परीक्षण किया जा रहा है। सभी सावधानी बरती जाती हैं। किये गये परीक्षणों और जांच से यह देखा जायेगा कि यह खराबी रास्ते में या पत्तन पर तो नहीं हुई ।

†**श्री हेम बरुआ :** सरकार ने कहा है कि इस बात का अभी पता नहीं लगा हैं कि दूषण कैसे हुआ। परन्तु अब मंत्री महोदय का कहना है कि यह दूषण रास्ते में नहीं हुआ। सरकार हमें यह बताये कि क्या यह दूषण आटे के ,आसाम अथवा पश्चिम बंगाल में विभिन्न केन्द्रों को भेजने के बाद हुआ ?

†**श्री अ० म० थामस :** मैंने भी यही कहा है। माननीय सदस्य ने वह उत्तर नहीं पढ़ा है जो मैंने सभा पटल पर रखा है। मैंने उत्तर के अन्त में कहा है :

> "....आटे के दूषण के बारे में और इस बारे में कि यह खराबी कब हुई, अग्रेत्तर जांच पड़ताल अभी हो रही है और यथा समय इस जांच पड़ताल का अन्तिम परिणाम सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।"

श्री यशपाल सिंह : क्या सरकार के पास कोई ऐसा इन्तजाम है कि आस्ट्रेलिया या अमेरिका वगैरह जिस जगह से गल्ला लोड किया जाता है, वहां ही यह देख लिया जाये कि किन्हीं ऐसे केमिकल्ज के साथ हमारा गल्ला न रखा जाये, जिससे वह पायजन हो सके ?

†**श्री अ० म० थामस :** ऐसी बात नहीं है। इस विशेष मामले में इस बात की पुष्टि हो चकी है कि उस जहाज में जिसमें यह आटा आया है कोई केमिकल नहीं लाया गया।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या ऐसी कोई व्यवस्था है कि जहां से माल लादा जाये वहां पर यह देखा जाये कि वह ठीक हालत में है अथवा दूषित हैं। **(अन्तर्बाधा)**

†**श्री अ० म० थामस :** चार्टर पार्टी में भी ये शर्तें हैं कि केमिकल और अन्य विषाक्त वस्तुयें खाद्यान्न के साथ नहीं लायी जा सकतीं।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह नहीं है कि उन्हें खाद्यान्न के साथ लाया जा सकता है या नहीं।

†**श्री अ० म० थामस :** जी, हां। उस स्थान पर जहां माल जहाज में लादा जाता है और जहां प्राप्त किया जाता है कुछ निरीक्षण किया जाता है।

श्री यशपाल सिंह : श्रीमान्, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया गया है।

†**अध्यक्ष महोदय :** उन्होंने दे दिया है। माननीय सदस्य ने सुना नहीं है।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** यह कहा जाता है कि यह आटा टी० सी० पी० नामक केमिकल से दूषित हुआ है। क्या मैं जान सकता हूं कि यह आयातित है या इसका भारत में निर्माण होता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० म० थामस** : यह जाँच पड़ताल पश्चिम बंगाल सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गयी और ट्रोपिकल स्कूल आफ मेडिसिन और अखिल भारत स्वच्छता और लोक स्वास्थ्य संस्था के, जिन्होंने यह जाँच पड़ताल की, अनुसान नमूनों में ट्राइक्रिसील फोस्फेट मिला हुआ था ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है ।

†**श्री अ० म० थामस** : यह विदेशी है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : उत्तर में यह कहा गया है कि इस केमिकल टी० सी० पी० से, जिसका इस्तेमाल प्लास्टिक उद्योग द्वारा किया जाता है, विषयुक्त होने पर, चक्कर, वमन, पेट में दर्द और पेचिश होती है और अन्त में पैरों में लकवा मार जाता है । इस रोग से अभी भी कितने व्यक्ति पीड़ित हैं और उनका व्यय अमरीकन फिलन्थ्रोपिक सोसायटी द्वारा वहन किया जायेगा या भारत सरकार द्वारा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : शाँति, शाँति । जाँच पड़ताल अभी हो रही है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : व्यक्ति अभी भी पीड़ित हैं ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या सरकार का ध्यान कथोलिक मिशन, जहाँ बच्चे बीमार हुये है, के मुखिया द्वारा दिये गये वक्तव्य की और, कि यह आटा पत्तन पर खराब हुआ है, आकृष्ट किया गया है, यदि हाँ, तो क्या इसके विरुद्ध कोई वक्तव्य जारी किया जायेगा क्योंकि सरकार का यह विचार है कि यह खराबी रास्ते में नहीं हुई ।

†**श्री अ० म० थामस** : कोई वक्तव्य नहीं दिया गया है । (**अन्तर्बाधा**)

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : समाचारपत्रों में ऐसा छपा है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : : माननीय सदस्यों का कहना है कि उन्होंने यह समाचारपत्रों में पढ़ा है । क्योंकि विवरण प्रकाशित हुआ है, वे यह जानना चाहते हैं कि क्या सरकार इसका खंडन करने के लिये कोई उपाय करेगी क्योंकि सरकार की यह राय है कि यह खराबी पत्तन पर नहीं हुई ।

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : यह बड़ा तकनीकी मामला है । क्योंकि किसी ने कोई बात कही है, सरकार खंडन नहीं करती । इस मामले की सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जाँच की जानी है । मेरे साथी ने कहा है कि उस ही पोरशन में सैकड़ों हजारों बोरे और भी थे जो अन्य स्थानों को भेजे गये । उनका उपभोग हो चुका है और कोई शिकायत नहीं आयी । तथापि, यह कारण हो सकता है, यद्यपि इसकी पुष्टि की जानी है, कि दूषण पत्तन पर नहीं हुआ । परन्तु इस मामले की अभी छानबीन की जा रही है और मैं समझता हूं कि इस प्रश्न पर पूछे गये अन्य प्रश्न पर इससे अधिक कोई जानकारी नहीं दी जा सकती ।

†**श्रीमती यशोदा रेड्डी** : उपमंत्री महोदय ने बताया है कि यह टी० सी० पी० केमिकल विदेश से आया है । यदि ऐसा है, तो वह यह पता क्यों नहीं लगा सके कि यह टी० सी० पी० किस पत्तन पर आया, कहाँ से यह भेजा गया और क्या इसके और खाद्यान्न के वितरण में कोई संबंध है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : यह भी बड़ा तकनीकी मामला है । यह हो सकता है कि जो कुछ पता लगा है वह टी० सी० पी० की तरह का हो और ठीक टी० सी० पी० न हो क्योंकि हमें ठीक पता है

---

†मूल अंग्रेजी में

कि यहाँ पर टी० सी० पी० का आयात नहीं किया गया। अतः इसमें कोई और मिलावट हो सकती है। मैं यह बताने के लिये सक्षम नहीं हूं कि कौन सा अन्य मिश्रण टी० सी० पी० की किस्म का हो सकता है।

†**श्रीमती रेणुका राय** : क्या यह सच है कि जब गेहूं और अन्य खाद्य पदार्थ पी० एल० ४८० के अन्तर्गत आते हैं तो उनका अच्छी तरह निरीक्षण किया जाता है परन्तु गैर-सरकारी संगठनों द्वारा गैर-सरकारी संगठनों को भेजे गये खाद्य पदार्थों का पत्तन पर निरीक्षण नहीं किया जाता ? क्या यह भी एक कारण है। जिस कारण यह पता नहीं लग सका है कि.....

†**अध्यक्ष महोदय** : एक भाषण दिया जा रहा है यह बड़ा लम्बा प्रश्न है।

†**श्रीमती रेणुका राय** : पी० एल० ४८० के अधीन सरकार को प्राप्त खाद्य पदार्थों का कुछ निरीक्षण किया जाता है। मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या ऐच्छिक संगठनों द्वारा ऐच्छिक संगठनों को भेजे गये खाद्य पदार्थ की भी वैसी ही जाँच की जाती है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : नियमबद्ध परीक्षण होता ही है। यदि यह पत्तन पर हुआ होता तो इन दो स्थानों के अतिरिक्त अन्य स्थानों से भी, जिन्हें यहाँ से यह माल भेजा गया है—केवल भेजा ही नहीं गया है परन्तु उसकी खपत भी हो गया है— यही शिकायत आती। परन्तु किसी अन्य स्थान से कोई शिकायत नहीं आयी। अतः अभी यह सिद्ध किया जाना है कि यह दूषण पत्तन पर हुआ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : मंत्री महोदय ने बताया है कि यह दूषण पत्तन पर अथवा रास्ते में नहीं हुआ। इससे वह क्या मतलब निकालते हैं ? यह कहाँ पर दूषित हुआ ?

†**श्री स० का० पाटिल** : मैं कोई मतलब नहीं निकालता। यह तो टेक्नीशियन लोग पता लगायेंगे।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा पटल पर जाने वाले पत्र।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड में कम कीमत की मोटरगाड़ी

†१०३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २३ अप्रैल, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ८६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड बंगलौर में कम कीमत वाली मोटरगाड़ी तैयार करने के लिये कोई विदेशी तकनीकी सहायता प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या उस मोटर गाड़ी का डिजाइन तैयार कर लिया गया है ; और

(घ) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) जी, हाँ। हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड ने विकासशील परियोजना का नमूना और पुर्जा तैयार कर लिया है ।

(घ) यह हल्के वजन की मोटरगाड़ी है। इसका ढांचा चार सीट वाला, पोलीस्टर पहले से दबाये हुये सैटिंग का और शीशा मिला हुआ बनाया गया है जिसमें ५ व्यक्ति बैठ सकते हैं और २५० पौंड वजन रखने का स्थान है।

यह कार हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट में निर्मित दो स्ट्रोक, तीन सिलन्डर वाले पानी से ठंडे होने वाले इंजन से चलने वाली बनायी गयी है।

दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश

†*१०४.
श्री प्र० के० देव :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री वी० चं० शर्मा :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्रीमती मैमूना सुल्तान ।
श्री माते :
श्री शिवचरण गुप्त :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न कालेजों में प्रवेश पाने के लिये दिल्ली विश्वविद्यालय में कितने छात्र पंजीबद्ध किये गये ;

(ख) उनमें से कितने छात्रों को भरती करने से इन्कार कर दिया गया है ; और

(ग) जिन छात्रों को भरती करने से इन्कार कर दिया गया है, उन्हें शिक्षा सुविधायें देने के लिये क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) १०,४८६ ।

(ख) २,६३६ ।

(ग) महिला विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय में अपना नाम गैर-कालिज विद्यार्थी के रूप में दर्ज कराने की वर्तमान सुविधा के अतिरिक्त दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम में एक संशोधन किया जा रहा है ताकि विश्वविद्यालय चालू शिक्षा वर्ष से डाक द्वारा शिक्षा आरम्भ कर सके।

---

†मूल अंग्रेजी में

मूल्यों में वृद्धि

*१०५. श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री वारियर :
श्री मे० क० कुमारन :
श्री वासुदेवन नायर :
डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :
श्री प्र० के० देव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वस्तुओं के मुल्यों में असाधारण वृद्धि को रोकने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है ;

(ख) क्या सरकार ने वस्तुओं के मूल्यों में असाधारण वृद्धि की जाँच कराई है या कराने का विचार है ; और

(ग) यदि हाँ, तो उसकी क्या रूपरेखा है ?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)**: (क) सभा की मेज पर एक विवरण रख दिया गया है जिसमें बताया गया है कि मूल्यों में वृद्धि रोकने के लिये सरकार ने कौन कौन से अधिक महत्वपूर्ण उपाय किये हैं । सरकार आगे जो उपाय करना चाहती है उनका पहले से संकेत देना सम्भव नहीं है ।

विवरण

चीजों की मूल्य-वृद्धि रोकने के लिये सरकार द्वारा किये गये उपाय

सरकार ने देश में उत्पादन बढ़ाने में प्रोत्साहन दे कर और विदेशों से आयात करके अनाज की पूर्ति और संग्रह में वृद्धि करने का यत्न किया हैं ।

कुछ राज्यों में चावल के अधिक से अधिक थोक मल्य निर्धारित किये गये है । चावल के एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिये गये हैं, ताकि किसी क्षेत्र के अन्दर ही उसे प्राप्त करने में आसानी हो और जिस मांग को सरकारी संग्रह से पूरा किया जा सकता हैं उस स्थानबद्ध किया जा सके ।

देश भर में उचित मल्य पर माल बेचने वाली लगभग ५० हजार दुकानों पर उचित मूल्य पर गेहूं और चावल बेचा जाता हैं ।

वायदा बाजार आयोग (फार्वर्ड मार्केट्स कमीशन) ने अनाज के वायदे के सौदे बन्द कर दिये है और वह कपास, तेलहनों और जूट के वायदे के सौदों का नियमन करता हैं ।

†मूल अंग्रेजी में

इस्पात, कोयला, सीमेण्ट और उर्वरकों (फर्टिलाइजर्स) जैसी बुनियादी चीजों की कीमतें सरकार निर्धारित करती हैं और उनके वितरण पर भी नियंत्रण रखा जाता हैं।

कुछ संरक्षित उद्योगों द्वारा बनायी गयी चीजों, जैसे कि रासायनिक पदार्थों के अधिकतम मूल्य और कागज व कागज के गत्ते जैसी उपभोक्ता वस्तुओं के उचित मूल्य आयात-निर्यात शुल्क आयोग (टैरिफ कमिशन) की सिफारिश के अनुसार निर्धारित किये गये है।

सूती कपड़े, अत्यावश्यक औषधों और औषधियों (ड्रग्स) जैसी चीजों के मूल्यों पर अनौपचारिक नियंत्रण लगा हुआ है।

अतिरिक्त क्रय-शक्ति को समाप्त करने के लिये कर बढ़ा दिये गये है।

मूल्यों की वृद्धि की रोकथाम करने के लिये रिजर्व बैंक ऋणों के विस्तार पर नियंत्रण रखता हैं।

(ख) और (ग). विभिन्न महत्वपूर्ण वस्तुओं की कीमतों पर सम्बद्ध मंत्रालयों द्वारा बराबर निगरानी रखी जाने के अलावा, समय समय पर आयात-निर्यात शुल्क आयोग (टैरिफ कमिशन) तथा दूसरी संस्थाओं और निकायों से खास-खास उद्योगों द्वारा बनायी गयीं चीजों की लागत और कीमतों के ढांचों की विशेष रूप से जांच करायी जाती हैं। प्रश्न में जिस तरह की विशेष जांच का ज़िक्र किया गया हैं उसे कराने का फिलहाल सरकार का इरादा नहीं है।

शिक्षा आयोजकों का प्रशिक्षण

†*१०६. **श्री बिशन चन्द्र सेठ** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ के शिक्षा विज्ञान तथा सांस्कृतिक संगठन के सहयोग से एशिया में शिक्षा आयोजकों, प्रशासकों और पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण के लिये प्रादेशिक केन्द्र स्थापित किया हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रशिक्षण के लिये पदाधिकारियों को चुनने का क्या तरीका हैं ;

(ग) अभी तक कितने देशों ने अपने पदाधिकारियों को इस प्रशिक्षण के लिये भेजा हैं ; और

(घ) भारत के कितने पदाधिकारियों ने अभी तक प्रशिक्षण प्राप्त किया हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां।

(ख) भारतीय प्रशिक्षार्थियों का चयन राज्य-सरकार द्वारा सिफारिश किये गये उम्मीदवारों में से केन्द्र के निदेशक द्वारा किया जायेगा। अन्य एशियाई देशों के सम्बन्ध में चयन यूनेस्को के महा-निदेशक द्वारा किया जायेगा।

(ग) प्रथम-पाठ्यक्रम सितम्बर, १९६२ में ही आरम्भ होगा।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में प्रवेश

†*१०७. श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में इस वर्ष उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं तक प्रवेश चाहने वाले सभी छात्रों को प्रवेश दे दिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो दिल्ली में कितने छात्रों का प्रवेश नहीं दिया गया ; और

(ग) सभी छात्रों को प्रवेश दिलाने के लिये क्या व्यवस्था की गई है या की जाने वाली है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) से (ग) दिल्ली प्रशासन और स्थानीय निकायों का यह प्रयत्न रहा है कि 'उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में प्रवेश चाहने वाले सभी विद्यार्थियों को प्रवेश दिलाया जाये परन्तु किसी विशेष स्कूल में प्रवेश की गारन्टी नहीं दी जा सकती। इस वर्ष अधिक प्रवेश को पूरा करने के लिये दिल्ली नगर निगम ने वर्तमान स्कूलों में अतिरिक्त सेक्शन खोलने के अलावा, एक हायर सैकेण्ड्री स्कूल खोला, १०१ नये जूनियर बेसिक स्कूल खोले और ५४ जूनियर बेसिक स्कूलों में सीनियर बेसिक स्कूल बनाया। नई दिल्ली नगरपालिका ने ८ नये प्राथमिक स्कूल खोले। दिल्ली प्रशासन ने, वर्तमान स्कूलों में अतिरिक्त सेक्शन लगाने के अतिरिक्त, १६ नये हायर सैकेण्ड्री स्कूल खोले और एक मिडिल स्कूल खोला। सहायता प्राप्त हायर सैकेण्ड्री स्कूलों को भी अपने विद्यार्थियों की संख्या में ५ प्रतिशत वृद्धि करने को कहा गया है। कुछ प्राईवेट मिडिल स्कूलों को भी हायर सैकेण्ड्री स्तर का बना दिया गया। यह समाचार प्राप्त हुआ है कि सरकार तथा स्थानीय निकायों द्वारा चलाये जा रहे स्कूलों में किसी भी बच्चे को प्रवेश से इन्कार नहीं किया गया।

बच्चों की शिक्षा

†*१०८. श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प० कुन्हन :
श्री केप्पन :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बम्बई में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष के इस

†मूल अंग्रेजी में

भाषण की ओर दिलाया गया हैं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में बच्चों की शिक्षा का लक्ष्य सम्भवतः प्राप्त नहीं होगा ; और

(ख) इस विषय में क्या ठोस कार्यवाही की जा रही हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, हां ।

(ख) लड़कियों की शिक्षा के लिये विशेष कार्यक्रम बनाये गये है ताकि लड़कियों के नाम दर्ज कराने में वृद्धि हो सके । योजना के प्रथम वर्ष के लिये निर्धारित लक्ष्य पार किया जा चुका है ।

नाटक प्रतियोगितायें

†*१०९. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री व० कु० दास :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "एकता के लिये भारत की खोज"[1] विषय पर सभी भाषाओं में नाटक प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थीं ;

(ख) यदि हां, तो ये प्रतियोगिताएं कब और कहां हुई थीं; और

(ग) क्या इसके लिये सर्वोत्कृष्ट प्रतियोगियों को कोई पुरस्कार दिये गये हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिककार्य-मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) से (ग). "एकता के लिये भारत की खोज" विषय पर नाटक प्रतियोगिताओं का अंग्रेजी और संविधान की आठवीं अनुसूची में लिखित भाषाओं में आयोजन किया गया । नाटक के इस मंत्रालय में प्राप्त होने की अन्तिम तिथि २८ फरवरी, १९६२ थी । अब नाटकों का मूल्यांकन किया जा रहा है ।

अधिवक्ता अधिनियम[2]

†*११०. **श्री श्रीनरायण दास :**
श्री रघुनाथ सिंह :
डा० मा० श्री अणे :
श्री बड़े :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अधिवक्ता अधिनियम लागू होने से पहले जिन छात्रों ने एल० एल० बी० या उसके बराबर की कक्षाओं में प्रवेश लिया था, क्या उन्हें बार काउन्सिल परीक्षा से छूट देने की कोई मांग प्राप्त हुई है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]India's quest for Unity.

[2]Advocate Act.

(ख) यदि हां, तो क्या उस पर विचार किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला ?

†**विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) जी नहीं। परन्तु इस बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि जिन लोगों ने २८ फरवरी, १९६२ के बाद कानून की अन्तिम परीक्षा पास की है, उनको अधिवक्ता के रूप में अपने नाम दर्ज कराने में होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिये कदम उठाये जायें ।

(ख) और (ग). मामला विचाराधीन है ।

चाय पर कर

†*१११. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम टी प्लान्टर्स असोसियेशन के अध्यक्ष ने असोसियेशन की रजत जयन्ती के अवसर पर सरकार से यह आग्रह किया था कि वह चाय उद्योग पर करों के बाहुल्य के प्रभाव की छानबीन करने के लिये एक उच्च-स्तरीय समिति नियुक्त करे; और

(ख) यदि हां, तो इस मांग पर सरकार का क्या निश्चय है ?

†**वित्त मंत्रालय म उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)**: (क) और (ख). इस प्रश्न का उत्तर अन्य तिथि को वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री द्वारा दिया जायेगा ।

कोयला विकास के लिये पोलैंड की सहायता

†*११२. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री दाजी :
श्री यशपाल सिंह :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री राम रतन गुप्त :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कोयला उद्योग के विकास के लिये पोलैण्ड ने पर्याप्त नयी सहायता देने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो ठीक-ठीक सहायता कितनी है; और

(ग) उस पर सरकार का क्या निश्चय है ?

खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय): (क) से (ग). कोयला उद्योग के विकास

†मूल अंग्रेजी में

के लिये पोलैण्ड से नयी सहायता की कुछ संभावना हैं। मामले पर बातचीत हो रही हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण

†*११३. श्री यशपाल सिंह :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री दाजी :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार विदेशी मुद्रा का संकट दूर करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष से १० करोड़ डालर का तत्काल ऋण ले रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या परिणाम रहा ;

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : (क) और (ख). भारत सरकार ९ जुलाई, १९६२ को १० करोड़ डालर के लिये अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ एक आपातोपयोगी समझौता कर चुकी हैं। इस आपातोपयोगी समझौते के अन्तर्गत, भारत २४ जुलाई, १९६२ को अब तक २५० लाख डालर निकाल चुकी हैं।

दिल्ली कलकत्ता तेल की पाइप लाइन

†*११४. श्री मुरारका :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली से कलकत्ता तक बरास्ता बरौनी एक पाइप लाइन बनाने का निश्चय कर लिया हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस पर कुल कितना व्यय होने का अनुमान है और प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में तैयार उत्पादन को बाहर भेजा जायेगा ; और

(ग) यह परियोजना कब पूरी होगी ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) से (ग). बरौनी-दिल्ली और बरौनी-कलकत्ता पाइप लाइन के लिये एक परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने का काम इटली के मेसर्ज स्नाम प्रागेट्टी को सौंपा गया था। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन हाल ही में प्राप्त हुआ है और उसका परीक्षण किया जा रहा है। संभावित लागत, लाइन की लम्बाई का ब्योरा परियोजना प्रतिवेदन का परीक्षण पूरा करने के बाद ही दिया जा सकता है। मोटे प्राक्कलन के अनुसार दिल्ली-कलकत्ता पाइप लाइन वर्ष १९६४ के अन्त तक पूरी हो जायेगी।

डा० राय के नाम पर दुर्गापुर का पुनः नामकरण

†*११५. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्गीय डा० विधान चन्द्र राय के नाम पर दुर्गापुर का पुनः नामकरण करने का विचार हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार स परामर्श लिया गया है या उसने इस मामले में अपना कोई मत दिया हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). इस बारे में राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

सिंगरेनी कोयला खानें

†*११६. { **श्री विभूति मिश्र :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी के कार्य को नियंत्रित करने के बारे में केन्द्रीय सरकार और आंध्र प्रदेश की सरकार के बीच कोई करार हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**खान और इंधन मंत्री (श्री के० दे ० मालवीय)** : (क) और (ख). भारत सरकार द्वारा सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड की सहायता के भावी तरीके और उसके परिणामस्वरूप इसके कार्य की दिशा में केन्द्र की रुचि के बारे में आंध्र प्रदेश सरकार के परामर्श से विचार किया जा रहा है ।

कृत्रिम वर्षा

†*११७ { **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री गुहम्मद इलियास :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बादलों से कृत्रिम वर्षा करने के प्रयोग किये गये हैं या किये जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो ये प्रयोग कैसे थे और उनकी क्या प्रविधि थी ; और

(ग) यदि कोई सफलता मिली है तो अब तक कितनी सफलता मिली है ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) जी हां।

(ख) भूमि पर विमानों में बीज जनरेटरों से बादलों में पानी को सुखाने वाले कण फैलाये जाते हैं। इस प्रकार फैलाये गये बीजों के एक अनुपात से बड़ी मात्रा में बादल बनते हैं और सामान्य छोटे बादलों से उनके टकराने से शीघ्र वर्षा होने में सहायता मिलती है अन्यथा वर्षा इतनी शीघ्र न होती ।

(ग) वर्षा और बादल भौतिक अनुसंधान एकक द्वारा किये गये ५४ परीक्षणों में से ३२ सफल रहे, ११ असफल रहे और ११ का कुछ परिणाम नहीं निकला ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कोयले का मूल्य

†*११८. श्री जसवन्त मेहता :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री सु० भू० दास :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री बसुमतारी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री व० कु० दास :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करग कि :

(क) क्या कोयला उद्योग ने सरकार से अभ्यावेदन किया है कि वर्ष १९४६ की भारतीय कोयला क्षेत्र समिति, जो प्रायः महेन्द्र समिति के नाम से प्रसिद्ध थी, की रिपोर्ट को ध्यान में रख कर कोयले का मूल्य बढ़ाने के प्रश्न की पुनरीक्षा की जाये ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

आंध्र प्रदेश म इस्पात कारखाना

†*११९. श्री प० वेंकटासुब्बया :
श्री म० ना० स्वामी :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश की सरकार ने सरकारी क्षेत्र में एक मध्यम आकार का इस्पात कारखाना स्थापित करने के लिये अभ्यावेदन दिया है, क्योंकि वहां लौह अयस्क के बड़े निक्षेप उपलब्ध हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस कारखाने की स्थापना के संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) जी, हां ।

(ख) भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश में एक कच्चा लोहा संयंत्र स्थापित करने के प्रश्न पर विचार करने के लिये एक प्रविधिक समिति स्थापित की है । समिति की सिफारिशें प्रतीक्षित हैं ।

विदेशी मुद्रा का तस्कर व्यापार

†*१२०. श्री चं० का० भट्टाचार्य :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री रिशांग किशिंग :
श्री जसवन्त मेहता :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान १० जुलाई, १९६२ को कलकता में प्रकाशित हुये एक समाचार

---

†मूल अंग्रेजी में

की ओर दिलाया गया है कि एक गिरोह के द्वारा देश से लगभग १४ लाख रुपये के मूल्य की विदेशी मुद्रा चोरी से देश से बाहर ले जाई गई है ;]

(ख) क्या यह सच है कि पुलिस ने इसके बारे में रिजर्व बैंक से लगभग ७०० फाइलें हासिल की हैं ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि कुछ मामलों में विदेशी मुद्रा के पर्मिट उन लोगों को दिये गये हैं जिनके पास कोई पारपत्र नहीं थे ?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) भारत के रक्षित बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा के पर्मिट सभी मामलों में बिना पारपत्र देखे, दिये जाते हैं। तथापि, अधिकृत व्यापारी पारपत्र पर दी गयी विदेशी मुद्रा की रकम अंकित करने के बाद ही विदेशी मुद्रा देते हैं।

मध्य प्रदेश में उर्वरक फैक्टरी

†*१२१. **श्रीमती वैमूना सुल्तान** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री ५ जून, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या २५६३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में प्रस्तावित उर्वरक फैक्टरी के लिये व्यवस्था पूरी हो चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह फैक्टरी सरकारी क्षेत्र में स्थापित की जायेगी या गैर-सरकारी क्षेत्र में ; और

(घ) परियोजना को कार्यान्विति का काम कब आरम्भ होने की संभावना है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)**: (क) से (ग). अब इस कारखाने को सरकारी क्षेत्र में स्थापित करनेका फैसला किया गया है। फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा, जिसको इसकी क्रियान्विति का कार्य सौंपा गया है, ब्यौरा तैयार किया जा रहा है ।

(घ) जनवरी, १९६३ तक ।

बच्चों द्वारा सोवियत रूस की यात्रा

†*१२२. **श्री हेम बरुआ** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दस बच्चों का एक प्रतिनिधि मंडल अरटेक में ३५ दिवसीय विश्राम शिविर में भाग लेने के लिये सोवियत रूस गया है ;

(ख) यदि हां, तो इन प्रतिनिधियों को किस ने चुना है ;

(ग) क्या बच्चे समूचे देश में से चुने गये थे ; और

(घ) यदि हां, तो इनको चुनने के लिये क्या कसौटी निर्धारित की गई थी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (घ). इस प्रश्न का उत्तर अन्य तिथि को वैदेशिक कार्य मंत्री द्वारा दिया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मद्रास म इस्पात संयंत्र

†*१२३. श्री बसुमतारी :
श्री जसवन्त मेहता :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री ईश्वर रेड्डी :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास में एक इस्पात संयंत्र की प्रस्तावित परियोजना की संभावना के संबंध में नार्वे या जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य से अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की कार्यान्विति के लिये सरकार ने क्या अन्तिम निर्णय किया है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न न हीं होता ।

फालतू असैनिक माल

†*१२४. श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री बसुमतारी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयुध कारखानों द्वारा कुछ मात्रा में फालतू असैनिक माल तैयार किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह फालतू माल खुले बाजार में बेचा जाता है ;

(ग) यदि हां, तो ऐसे माल की बिक्री को बढ़ाने की देख रेख करने के लिये सरकार द्वारा क्या तंत्र स्थापित किया गया है ; और

(घ) पिछले साल उसकी बिक्री से कितनी राशि प्राप्त हूई थी ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

विद्यार्थियों के लिये विदेशी मुद्रा

†*१२५. श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री मुहम्मद इलियास :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

---

†मूल अंग्रेजी में

(क) क्या यह सच है कि विदेशी मुद्रा पर लगाये गये प्रतिबन्धों के अधीन, कुछ श्रेणियों के विद्यार्थियों पर अध्ययन के लिये विदेशी विश्वविद्यालयों में जाने पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया गया है ;

(ख) क्या प्रतिबन्धित सूची में कुछ विषय और पाठ्यक्रम भी रखे गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उनका क्या ब्योरा है ?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)**: (क) और (ख) . जी, हां ।

(ग) नये विनियमों के अधीन गैर-तकनीकी विषयों में उच्चतर शिक्षा के लिये विदेश जाने वाले विद्यार्थियों को स्वीकृत विश्वविद्यालयों संस्थाओं द्वारा स्वीकृत कुछ स्वीकृत विषयों के लिये, यदि उनके पास न्यूनतम शिक्षा अर्हतायें हैं, विदेशी मुद्रा दी जाती है। इसी प्रकार, तकनीकी विषयों और अप्रेन्टिसशिप प्रशिक्षण में डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिये भी न्यूनतम शिक्षा अर्हतायें निर्धारित की गयी हैं। सभा पटल पर एक सूची रखी जाती है जिसमें प्रतिबन्धित विषय बताये गये हैं । **(देखिये परिशिष्ट १ , अनुबन्ध संख्या २७)**

कानपुर में विशेष धातुमिश्रित इस्पात संयंत्र

†*१२६. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री बी० चं० शर्मा :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कानपुर में विशेष धातुमिश्रित इस्पात संयंत्र स्थापित करने के बारे में और क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या बिजली प्राप्त करने के बारे में कठिनाइयां इस बीच दूर हो गई हैं ; और

(ग) इस कारखाने में कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है ?

†**प्रति रक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) धातुमिश्रित और विशेष इस्पात संयंत्र की स्थापना के सिद्धांत रूप से स्वीकार कर लिया गया है । संयंत्र और मशीनों के लिये टेंडर देने का प्रश्न सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन है।

(ख) वर्तमान उपभोग और भावी विस्तार के लिये पर्याप्त मात्रा में बिजली के संभरण के प्रश्न पर भी सरकार विचार कर रही है।

(ग) इस समय कोई ठीक तिथि बताना संभव नहीं है।

छोटी कारों का निर्माण

श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० जदास :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री बी० चं० शर्मा :

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री दाजी :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :
श्री प्र० के० देव :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री श्रीनारायण दास:
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री भक्त दर्शन :
†*१२७. श्री का० ना० तिवारी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री उमा नाथ :
श्री प० कुन्हन् :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री दलजीत सिंह :
श्री अ० व० राघवन :
श्री राम रतन गप्त :
श्री नम्बियार :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में छोटी कारों के निर्माण के बारे में कोई निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो अन्तिम निर्णय क्या है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) जी, अभी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

औद्योगिक प्रबन्ध 'पूल'

†*१२८. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक (व्यापार) प्रबन्ध 'पूल' को परिपूर्ण करने के लिये सरकार का क्या कार्यक्रम है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) तृतीय योजना की निधारित मांग क्या है; और

(ग) क्या किसी ट्रेनिंग, रिओरियन्टेशन और रिफ्रेशर कोर्स की व्यवस्था की जा रही है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) औद्योगिक प्रबन्ध 'पूल' के कार्यकरण और 'पूल' से सम्बन्धित अन्य महत्वपूर्ण मालों का पुनर्विलोकन किया जा रहा है और पुनर्विलोकन पूरा होने पर भावी कार्यवाही के बारे में कार्यक्रम निर्धारित किया जायेगा।

(ख) मांग का केन्द्रीय रूप से मूल्यांकन के बावजूद प्रत्येक उपक्रम, सरकारी कम्पनी और मंत्रालय को तृतीय पंचवर्षीय योजना में प्रबन्ध कर्मचारियों की अपनी अपनी आवश्यकता का हिसाब लगाने को कहा गया है ।

(ग) प्रशिक्षण आदि के लिये कोई केन्द्रीय योजना नहीं है परन्तु जहां आवश्यक होता है, व्यक्तिगत उपक्रम उनको भेजे गये औद्योगिक प्रबन्ध 'पूल' के पदाधिकारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करते हैं ।

अन्दमान में पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना

†*१२९. **श्री प्र० के० देव :**
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री यलमंदा रेड्डी :
श्री श्री नारायण दास :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान में पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने की अदालती जांच पूरी हो गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो जांच प्रतिवेदन और इसकी उपपत्तियां क्या हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** :(क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

†१३०. **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री दाजी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा मंडल, अजमेर का अखिल भारतीय स्तर पर कार्य कब से प्रारम्भ हुआ है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या संघ राज्य क्षत्रों के अतिरिक्त और कुछ राज्यों के माध्यमिक स्कूलों से सम्बन्ध (एफिलियेशन) के लिये आवेदन-पत्र आये हैं और यदि हां, तो कितने स्कूलों से ;

(ग) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बच्चों को उनके स्थानान्तरण के कारण असुविधा न होने देने के लिये पाठ्यक्रमों और शिक्षा माध्यम की क्या व्यवस्था की गई है ; और

(घ) बोर्ड पर कितना धन व्यय होता है और यह कहां से प्राप्त होता है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) से (घ). विवरण लोक सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) १ जुलाई, १९६२ से ।

(ख) विभिन्न राज्यों से करीब ४० स्कूलों ने बोर्ड से पाठ्यक्रम और सम्बन्धन के नियमों की जानकारी के लिये आवेदन-पत्र भेजे हैं । केवल एक ही स्कूल का अभी तक सम्बन्धन हुआ है ।

(ग) बोर्ड हिन्दी और अंग्रेजी के माध्यम द्वारा परीक्षायें लेगा । अभी पाठ्यक्रम और पाठ्य-विषय तैयार किये जा रहे हैं और जब तक नया पाठ्यक्रम लागू नहीं होता तब तक बोर्ड दिल्ली बोर्ड के पाठ्य विषयों में परीक्षा लेगा ।

(घ) सरकार ने बोर्ड पर कोई खर्चा नहीं किया है । अजमेर बोर्ड एक चालू संस्था है जिसके पास अपनी निजी धन राशि है जो परीक्षा-फीसों की आमदनी से जमा हुई है ।

विदेशी मुद्रा विनियम का उल्लंघन

†*१३१. **श्री नाथ पाई :**
श्री हरि विष्णु कामत :

क्या **वित्त** मंत्री विदेशी मुद्रा विनियम के उल्लंघन के एक मामले मे जांच सम्बन्धी १८ मई, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ८५७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा आरम्भ की गयी जांच पूरी हो गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो जांच के आधार पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) जो अभी पूरी नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हरिद्वार में भारी विद्युत् उपकरण परियोजना

†*१३२. श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री भक्त दर्शन :
श्री डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरिद्वार में प्रस्तावित भारी विद्युत् उपरकरण परियोजना में निर्माण के सभी दौर पूरे हो गये हैं तथा सरकार को अन्तिम प्रतिवेदन दे दिया गया है ;

(ख) क्या रूस ने इस कारखाने में सहयोग के लिये कोई शर्तें स्वीकार कर ली हैं ; और

(ग) परियोजना की प्राक्कलित लागत क्या है तथा रूस का इसमें कितना अंश होगा ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

परियोजना की क्रियान्वित की ओर पहले कदम के रूप में भारत और रूस की सरकारों के बीच १२ सितम्बर, १९५९ को हुए १५० करोड़ रुबल के ऋण करार के अनुसरण में हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिमिटेड ने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिये, १५ मई, १९६२ को मास्को के मेसर्ज प्रोमाशएक्सपोर्ट के साथ एक संविदा पर हस्ताक्षर किये । संविदा की शर्तों के अनुसार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन मई, १९६३ तक प्राप्त होने की आशा है । प्रतिवेदन के प्राप्त और स्वीकृत होने के बाद, संयंत्र और मशीनों के आयात, तकनीकी जानकारी, भारतीय व्यक्तियों का रूस में प्रशिक्षण और संयंत्र के बनाने और चलाने में तकनीकी सहायता देने के लिये भारत मे रूसी विशेषज्ञ भेजने के लिये तकनीकी सहयोग के बारे में मेसर्ज प्रोमाशएक्सपोर्ट, मास्को के साथ बातचीत की जायेगी और समझौता किया जायेगा ।

परियोजना पर पूंजी लागत का अनुमानित प्राक्कलन ४० करोड़ रुपये है । विदेशी मुद्रा लगभग १८ करोड़ रुपये की खर्च होगी और इसे रूबल ऋण से पूरा किया जायेगा ।

शिक्षा का महत्व

†*१३३. श्री श्रीनारायण दास :
श्री यलमन्दा रेड्डी :
श्री गो० महन्ती :
श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :

क्या **शिक्षा** मंत्री ९ मई, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ५६८ के उत्तर के सम्बन्ध

---

†मूल अंग्रेजी में

में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय जीवन में भावात्मक एकता लाने में शिक्षा के महत्व की जांच करने के लिए नियुक्त डा० सम्पूर्णानन्द समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी महत्वपूर्ण बातें क्या हैं ;

(ग) क्या प्रतिवेदन पर विचार कर लिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

इस्पात संयंत्र में परिवर्तन

†*१३४. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री बसुमतारी :
श्री ब० कु० दास :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० के० देव :
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री ज० के कुमारन :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री भक्त दर्शन :
श्री मरारका :
श्री हरि विष्णु कामत :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री प्रभात कार :
श्री दाजी :
श्री रा० बरूआ :
श्री हेम बरुआ :

क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा चलाये गये तीनों सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों मे हाल में ही कुछ संगठन सम्बन्धी परिवर्तन कर दिये गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या मुख्य परिवर्तन लागू किए गए हैं ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) जी, हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २८]

सामान्य बीमे की किस्तों की दरों में परिवर्तन

*†१३५. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सामान्य बीमा समवायों को आदेश दिए हैं कि १ जुलाई, १९६२ से किस्तों (प्रीमीयम) की दरों में २५ प्रतिशत कमी कर दी जाय ; और

(ख) यदि हां, तो सामान्य बीमा के व्यापार पर इस परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा ?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बैंकों द्वारा पाकिस्तान में अनिवार्य निक्षेप

†*१३६. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री बिशनचन्द्र सेठ ।
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रा० स० तिवारी :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री यशपाल सिंह :
श्री मोहसिन :
श्री बागड़ी :
श्री बसुमतारी :
श्री त्रिदिव कुमार चौधरी :
श्री हेम बरुआ :
श्री राम रतन गुप्त :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार द्वारा हाल में ही जारी किए गए उस अध्यादेश के विरोध में पत्र भेजा है जिसमें यह कहा गया था कि सभी विदेशी बैंक भारतीय बैंकों समेत पाकिस्तान के राज्य बैंक में कम से कम २० लाख रुपया जमा रखें ; और

(ख) यदि हां, तो उस पत्र का क्या उत्तर मिला और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). नये अध्यादेश के परिणामस्वरूप भारतीय बैंकों को होने वाली संभावित कठिनाइयों के बारे में पाकिस्तान सरकार को बता दिया गया है । यदि कोई नई बात हुई, तो उसको ध्यान में रख कर इस प्रश्न पर आगे विचार किया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कोयला खानों का एकीकरण

†*१३७. श्री बसुमतारी :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या खान और ईंधन मंत्री ३१ मई, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या १२०५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खान ऐच्छिक एकीकरण समिति को अपने प्रयत्नों में सफलता नहीं मिली है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार छोटी कोयला खानों के एकीकरण के लिये कोई विधान प्रस्तुत करने का विचार कर रही है ;

(ग) यदि हां, तो यह कब तक पुरस्थापित होगा ; और

(घ) सरकार का विचार और क्या कार्यवाही करने का है ?

†खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) यह कहना ठीक नहीं है कि कोयला खान ऐच्छिक एकीकरण समिति का कोई फल नहीं निकला ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

ह्विटले परिषदें

†*१३८. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री विभूति मिश्र :
श्री नम्बियार :
श्री केप्पन :
श्री भक्त दर्शन :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच ह्विटले परिषदों के समान केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की संस्थायें बनाने का निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या विधान का प्रारूप बना लिया गया है ;

(ग) क्या नियम बना लिये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या उनको सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

†गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) से (घ). मामला अभी विचाराधीन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विदेशी राष्ट्रजनों को विदेशी मुद्रा की सुविधायें

†*१३९. श्री नाथ पाई ;
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती ;
श्री इन्द्रजीत गुप्त ;
श्री प्र० चं० बरुआ ;
श्री यशपाल सिंह ;
श्री रघुनाथ सिंह ;
श्री प्र० के० देव ;
श्री नम्बियार ;
श्री राम रतन गुप्त :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रिजर्व बैंक ने भारत में विदेशी राष्ट्रजनों को विदेशी मुद्रा की सुविधा देने के बारे में बैंकों को नये आदेश दिये हैं; और

(ख) नये आदेश जारी करने के क्या कारण हैं ?

†वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : (क) जी, हां ।

(ख) विदेशी मुद्रा की वर्तमान कठिन स्थिति को देखते हुए भारत से धन बाहर भेजने के लिये विदेशी राष्ट्रजनों को दी जा रही सुविधाओं का पुनर्विलोकन करना आवश्यक हो गया ।

जनगणना

†*१४०. श्री श्रीनारायण दास : क्या गृह-कार्य मंत्री २३ अप्रैल, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६१ की जनगणना से प्राप्त भारत की कुल जनसंख्या के अन्तिम आंकड़े अब उपलब्ध हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या एक विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या ए एल० टी० २९२/६२]

पाइपलाइनों के लिये ऋण

†*१४१. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री प्रभात कार :
श्री राम रतन गुप्त :
श्री यशपाल सिंह :

क्या खान और इंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयाल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन आयल इंडिया पाइपलाइन के लिये बर्मा आयल कम्पनी से १४ करोड़ रुपये के ऋण की बातचीत करने के लिये लन्दन गये थे; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो बातचीत के क्या परिणाम निकले ?

†खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) जी, हां ।

(ख) बर्मा शेल कम्पनी द्वारा ब्रिटेन में १ करोड़ पौंड का ऋण लिया जायेगा। यह ऋण वर्ष १९६३ के मध्य में या उसके कुछ बाद पाइपलाइन की विदेशी मुद्रा की लागत के पूरा करने के लिये आयल इण्डिया लिमिटेड को दिया जायेगा ।

संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासनिक ढांचा

†*१४२. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री भक्त दर्शन :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री ज० ब० सि० विष्ट :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनिक ढांचे की जांच के लिये विधि मंत्री के सभापतित्व में स्थापित की गई समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी सिफारिशें क्या हैं ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) जी हां ।

(ख) प्रतिवेदन पर विचार किया जा रहा है और सरकार शीघ्र ही एक वक्तव्य देगी ।

लोहा तथा इस्पात बोर्ड

†*१४३. श्री यशपाल सिंह : क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ब्रिटेन के समान ही लोहा तथा इस्पात बोर्ड बनाने का विचार रद्द कर दिया है; और

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ?

†इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख). अभी इस विषय पर अन्तिम रूप से कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

लौह अयस्क का उत्पादन

†*२१५. श्री प्र० के० देव :
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :

क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में इस समय लौह अयस्क का कुल उत्पादन कितना होता है और तृतीय पंचवर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्य की वह कहां तक पूर्ति करता है और दोनों के बीच की कमी पूरी करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने की सोच रही है ;

---

†मू लअंग्रेजी में

(ख) पूर्वी जोन में स्थित लौह अयस्क की गैर-सरकारी खानों का वर्तमान उत्पादन कितना है; और

(ग) सरकार द्वारा संचालित खानों में लौह अयस्क का कुल कितना उत्पादन होता है ?

†**खान और ईंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरनवीस) :** (क) तृतीय योजना के प्रथम वर्ष (१९६१–६२) में, गोवा के अतिरिक्त शेष भारत का उत्पादन केवल १३० लाख टन कम था। जब कि इस योजना के अन्त तक ३२० लाख टन उत्पादन की क्षमता का लक्ष्य है। १९५९–६० से अब तक उत्पादन में ४० टन की वृद्धि हुई है। वृद्धि की इस रफ्तार से हम लौह तथा इस्पात उद्योग की अयस्क सम्बन्धी सभी अपेक्षाओं और निर्यात सम्बन्धी वचनों की पूर्ति कर सके हैं।

(ख) पूर्वी जोन में १९६१ के दौरान गैर-सरकारी खान स्वामियों ने कुल ७२,२६,००० टन लौह अयस्क का उत्पादन किया।

(ग) सरकार द्वारा संचालित खानों का कुल उत्पादन १९६१ के दौरान ३,१७,००० टन था।

सिन्दरी उर्वरक कारखाना

२१६. **श्री तन सिंह :** क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंदरी उर्वरक कारखाने के लिये सन् १९५७–५८ से अब तक प्रतिवर्ष किस-किस स्थान से कितनी-कितनी मात्रा में जिप्सम प्राप्त किया गया ;

(ख) जिप्सम की हर स्थान के अनुसार कितनी कीमत चुकाई गई थी और कितना रेल भाड़ा चुकाया गया ;

(ग) क्या यह सच है कि उस जिप्सम से जो माल बनता है उसका उत्पादन खर्च इतना अधिक है कि वह कंट्रोल रेट से महंगा पड़ता है; और

(घ) क्या उत्पादन खर्च को कम करने के लिये कोई क़दम उठाये गये हैं, और यदि हां, तो वे क्या हैं।

इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है।

(ग) जिप्सम से बनने वाले माल का कोई कन्ट्रोल रेट नहीं है।

(घ) एक विशेषज्ञ-समिति ने सिंदरी उर्वरक कारखाने में अधिकतम उत्पादन बढ़ाने और उत्पादन लागत में कमी करने के प्रश्न की जांच की है। समिति द्वारा की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २९]**

राजस्थान में वायु-चुम्बकीय सर्वेक्षण

†२१७. **श्री तन सिंह :** क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोलम्बो योजना के अन्तर्गत कनाडा के समवाय ने राजस्थान के किन भागों का वायु-चुम्बकीय सर्वेक्षण किया था ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) सर्वेक्षण का परिणाम क्या निकला ; और

(ग) उसके बाद के कार्यक्रम ने अभी तक क्या सफलतायें प्राप्त कीं ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) कोलम्बो योजना के अन्तर्गत कनाडा के स्पार्टन एयर सर्विसेज लिमिटेड, ओटावा ने जैसलमेर जिले के पश्चिमी भाग और बीकानेर जिले के दक्षिण-पश्चिमी भाग का वायु-चुम्बकीय सर्वेक्षण किया था।

(ख) सर्वेक्षण से पता चला कि उस क्षेत्र को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है— उत्तर–पूर्वी भाग, जहां रेत की सतह बहुत कम गहरी है और दक्षिणी–पश्चिमी क्षेत्र, जहां रेत की सतह काफी मोटी है। मोटी सतह वाले क्षेत्र में तेल मिलने की संभावना दिखती है।

(ग) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा किये गये बाद के सर्वेक्षणों से भी पता चला है कि उन क्षेत्रों की पर्तों में तेल मिलने की संभावना है। आयोग ने उन क्षेत्रों में तेल की खोज का कार्य और तेजी से आगे बढ़ाने का निश्चय कर लिया है।

चोरी छिपे लाये जाने वाले सोने का पकड़ा जाना

†२१८. **श्री हेम राज** : क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने जून और जुलाई १९६२ के दौरान चोरी छिपे लाया गया कितना सोना पकड़ा ; और

(ख) तस्कर व्यापारियों की राष्ट्रीयता क्या थी और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जून और जुलाई, १९६२ के दौरान सीमा शुल्क, स्थल सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों ने लगभग १४ लाख रुपये के मूल्य का चोरी छिपे लाया गया लगभग १९३ किलोग्राम सोना पकड़ा था।

(पौंडिचेरी के केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के कलैक्टोरेट विभाग ने सूचना नहीं भेजी, इसलिये वह इसमें सम्मिलित नहीं है।)

(ख) (१) तस्कर व्यापार करने वाले ४४ तस्कर व्यापारियों की राष्ट्रीयतायें इस प्रकार थीं :—

भारतीय	३३
लंकावासी	३
चीनी	२
ब्रिटिश	२
आस्ट्रियाई	१
जर्मन	१
अमरीकी	१
पाकिस्तानी	१

†मूल अंग्रेजी में

(२) इन तस्कर व्यापारियों के विरुद्ध निम्नलिखित कार्यकाही की गई :—

अभियोजित और दंडित . . .	१
मुकदमा चल रहा है	१६
विभागीय कार्यवाही की गई	४
जांच पड़ताल चल रही है या विभागीय रूप में मध्यस्थ निर्णय किया जा रहा है . . .	२३

(मद्रास सीमा शुल्क कलैक्टोरेट और पोंडिचेरी केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कलैक्टोरेट से संबंधित सूचनायें अभी मिल नहीं पायी हैं, इसलिये उनको इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है ।)

अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों के लिये छात्रावास

†२१९. **श्री सरकार मुरमू :** क्या गृह-कार्य मंत्री २१ जून, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३७१२ के उत्तर के संबंध में यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी बंगाल में अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों के लिये अभी तक कुल कितने छात्रावास निर्मित किये गये ;

(ख) अनुसूचित आदिम जातियों के कुल कितने विद्यार्थियों को १९६१–६२ और १९६२–६३ के दौरान छात्रवृत्तियां और छात्रावास संबंधी अनुदान दिये गये ;

(ग) १९६१–६२ और १९६२–६३ में कुल कितने विद्यार्थियों को पुस्तकों के लिये अनुदान दिये गये ;

(घ) क्या पश्चिमी बंगाल में आदिम जाति कल्याण कार्य या उसके संबंध में सलाह देने के लिये कोई अभिकरण या बोर्ड है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) :** (क) ५४ छात्रावास ।

(ख) छात्र-वृत्तियां

१९६१–६२	१३,८८२
१९६२–६३	आंकड़े अभी प्राप्त नहीं हुये ।

छात्रावास सम्बन्धी अनुदान

१९६१–६२	१,६३१
१९६२–६३	आंकड़े अभी प्राप्त नहीं हुये ।
(ग) १९६१–६२	२,७७१
१९६२–६३ . .	आंकड़े अभी प्राप्त नहीं हुये ।

(घ) जी, हां ।

प्रधान कार्यालय में . .	आदिम जाति परामर्शदात्री परिषद
जिले के स्तर पर . . .	अनुसूचित आदिम जातियों के लिये जिला कल्याण समिति ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ङ) पश्चिमी बंगाल सरकार को तत्संबंधी अधिसूचनाओं में ब्यौरा दिया गया है। उसकी प्रतियां विवरण १ और २ के रूप में संलग्न हैं। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—२९३/६२।]

आदिम जातियों के विद्यार्थी

†२२०. **श्री सरकार मुरमू :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी बंगाल के सामाजिक कार्यकर्ता प्रशिक्षण प्रतिष्ठान में अभी तक आदिम जातियों के कुल कितने विद्यार्थियों को प्रशिक्षण मिला ;

(ख) अभी इस समय वहां कुल कितने विद्यार्थी प्रशिक्षण पा रहे हैं ; और

(ग) क्या इस प्रशिक्षण का सारा खर्च सरकार उठाती है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) :** (क) और (ख). एक भी नहीं। (इमारत पूरी बन चुकी है और शीघ्र ही प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू होने की आशा है।)

(ग) योजना के लिये पिछड़े वर्ग क्षेत्र में केन्द्र द्वारा प्रणति कार्यक्रम के अन्तर्गत वित जुटाया जायेगा।

त्रिपुरा में झूमिया

†२२१. **श्री दशरथ देव :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसा कोई प्रतिनिधान मिला है जिसमें कहा गया है कि झूमिया पुनर्वास योजना के अन्तर्गत त्रिपुरा के रायमा और सर्मा इलाकों में झूमिया लोगों को दी गई भूमि का एक भाग कुछ झूमिया लोगों ने गैर-आदिम जातीय लोगों को हस्तांरित कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है ;

(ग) यदि हां, तो कितने मामलों में भूमि का ऐसा हस्तांतरण हुआ है ; और

(घ) ऐसे हस्तांतरण को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) ऐसा कोई प्रतिनिधान नहीं मिला है।

(ख), (ग) और (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

खोवई में आंधी

†२२२. **श्री दशरथ देव :** क्या गृह-कार्य मंत्री ३१ मई, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या २३४८ के उत्तर के संबंध में यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) खोवई सब डिवीजन में अप्रैल, १९६२ में आई आंधी के शिकार बनने वाले कितने व्यक्तियों ने सरकार से सहायता मांगी है ;

(ख) कितने लोगों को सहायता दी गई ; और

(ग) क्या प्रभावित व्यक्तियों को कोई ऋण दिया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) १२०७ परिवार।

(ख) ४९८ परिवार ।

(ग) जी, हां ।

त्रिपुरा में आदिम जातियों के लिये भूमि

†२२३. श्री दशरथ देव : क्या गृह-कार्य मंत्री १८ जून, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३३३५ के भाग (ख) के उत्तर के संबंध में यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में आदिम जातियों के लोगों के लिये भूतपूर्व शासक द्वारा रक्षित क्षेत्रों में अभी भी कुल कितने एकड़ भूमि है ;

(ख) क्या यह सच है कि अब वह रक्षित भूमि आदिम जातियों के लिये एक तरह से नहीं रह गई है और उक्त कथित आदिम जाति रक्षित क्षेत्रों में आदिम जातियों को कोई संरक्षण नहीं मिलता और गैर-आदिम जातियों के लोग वहां घुस पैठ करके भूमि पर कब्जा जमाने के लिये उनसे झगड़े करते हैं ; और

(ग) त्रिपुरा में महाराजा के आदिम जाति रक्षित क्षेत्र में आदिम जातियों के लोगों से गैर-आदिम जातीय लोगों ने कितने मामलों में भूमि ली है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क), (ख) और (ग). त्रिपुरा प्रशासन से सूचना मांगी गई है और मिलने पर तुरन्त ही सभा पटल पर एक विवरण रख दिया जायेगा ।

स्कूल एटलस

†२२४. श्री माते : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के महा सर्वेक्षक द्वारा तैयार की गई और इस मंत्रालय द्वारा प्रकाशित स्कूल एटलस में गोआ, दमन और दीव को अभी भी पुर्तगाली बस्तियों के रूप में दिखाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उसे ठीक करने के लिये क्या उपाय किये हैं ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) जी, हां, क्योंकि वे मानचित्र गोआ, दमन और दीव की मुक्ति से पहले मुद्रित किये गये थे ।

(ख) "गोआ", "दमन" और "दीव" की मुक्ति से पहले मुद्रित मानचित्रों में छपे "पुर्तगाली" शब्द को काली स्याही से ढका जा रहा है। सही स्थिति बताने के लिये नया संस्करण निकालने का काम भी चल रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

त्रिपुरा का आदिमजाति कल्याण विभाग

†२२५. **श्री सरकार मुरमू** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में त्रिपुरा के आदिम जाति कल्याण विभाग में कुछ लोग 'सुपरवाइजर्स' और "इन्स्पैक्टरों" के पदों के लिये भर्ती किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो कथित पदों के लिये प्रार्थना पत्र भेजने वाले और भर्ती किये जाने वाले आदिम जातियों के लोगों की संख्या कितनी-कितनी है ; और

(ग) सरकार सभी पदों पर आदिम जातियों के लोगों को रखने के लिये क्या कर रही है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क), (ख) और (ग). त्रिपुरा प्रशासन के आदिम जाति कल्याण विभाग में 'सुपरवाइजरों' के आठ और 'इन्स्पैक्टरों" के दो स्थान रिक्त थे, और उनके लिये २६६ प्रार्थना-पत्र (आदिम जातियों के लोगों के ६५ प्रार्थना पत्र सहित) आये हैं। चुनाव को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

मद्रास में जहाजी इंजन[1] का कारखाना

†२२६. **श्री मे० क० कुमारन** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास के एन्नौर में जहाजी डीजल इंजन का कारखाना स्थापित करने के संबंध में पूरा ब्यौरा तैयार कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, उसका क्या ब्यौरा है ; और

(ग) कारखाना कब तक उत्पादन आरम्भ करेगा ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)**: (क), (ख) और (ग). योजना अभी विचाराधीन है और अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है।

आन्ध्र प्रदेश में पर्वतीय आदिम जातियां

†२२७. **श्री सत्यनारायण** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में तृतीय योजना के अन्तर्गत पर्वतीय आदिम जातियों के लिये शिक्षा, समाज सुधार, जल संभरण और आवास के लिये अलग अलग कितने अनुदान दिये गये ;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने इस संबंध में केन्द्रीय सरकार के पास कोई योजना भेजी है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है और उस पर कितना खर्च आयेगा ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)**:(क) से (ग). राज्य सरकार से अपेक्षित सूचना मांगी गई है। सूचना मिलने पर तुरन्त ही एक विवरण सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Marine Engine.

बेलोनिया की आदिम जातियां

†२२८. **श्री सरकार मुरमू** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अभी हाल में त्रिपुरा में बेलोनिया की बंगाफा आदिम जातियों की भूमि को आश्रम स्कूल की स्थापना के लिये अर्जित करने का निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को प्रभावित आदिम जातियों की ओर से भूमि अर्जन के इस प्रस्ताव के विरूद्ध कोई प्रतिनिधान मिला है ; और

(ग) इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** :(क) जी, हां ।

(ख) और (ग). दो प्रभावित आदिम जातियों में से एक जाति ने भूमि-अर्जन के प्रस्ताव के विरूद्ध प्रतिनिधान भेजा है । उस भूमि के अर्जन के बाद भी, संबंधित आदिम जाति के लोग बेघरबार नहीं हो जायेंगे । उनके पास खेती के लिये पर्याप्त भूमि बच रहेगी। इसलिये प्रतिनिधान में कोई सार नहीं है ।

उड़ीसा में कोयला

†२२९. { **श्री प्र० के० देव :**
श्री राम रतन गुप्त :
श्री रा० स० तिवारी :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में तालचेर कोयले की पट्टी का पता चला है ;

(ख) कथित निक्षेप की किस्म और संभावना क्या है ;

(ग) क्या वह कोयला तापीय विद्युत केन्द्र के लिये उपयुक्त है और उड़ीसा ने उस काम को हाथ में लेने के लिये कहा है ; और

(घ) इस प्रस्ताव पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी, हां । आंशिक रूप से पता लगा लिया गया है ।

(ख) उड़ीसा के तालचेर क्षेत्र की दो पर्तों में काफी परिमाण में कोयले के अस्तित्व का पता चला है, जिसमें से लगभग १९ करोड़ टन चुनी हुई श्रेणी १ किस्म का है और शेष घटिया किस्म का ।

(ग) और (घ). घटिया किस्म का कोयला तापीय विद्युत् उत्पादन के लिये उपयुक्त है। राष्ट्रीय कोयला विकास निगम इन निक्षेपों को काम में लेने के लिये नयी खानें विकसित कर रहा है, घटिया किस्म का कोयला तालचेर विद्युत् केन्द्र के लिये सुलभ बनाया जा रहा है। उड़ीसा सरकार ने इन निक्षेपों का काम अपने हाथ में लेने का कोई प्रस्ताव नहीं रखा है। इसलिये, उसपर केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया का कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पेन्शन पाने वाले

†२३०. { **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्री श्री नारायण दास :
श्री भक्त दर्शन :

क्या गृह-कार्य मंत्री २३ मई, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ९६९ के उत्तर के संबंध में यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार ने पेंशन पाने वाले लोगों को और सुविधा देने के लिये क्या किया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : मामला विचाराधीन है।

उर्दू-मलयालम शब्द-कोष

†२३१. **श्री कोया:** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक उर्दू –मलयालम शब्द कोष प्रकाशित करने में सहायता के लिये सरकार से कोई अनुरोध किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी, हां।

(ख) उपयुक्त सहायता देने का प्रस्ताव है।

तेल अनुसंधान

†२३२. **श्री श्याम लाल सर्राफ** : : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बतालाने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में तैल और गैस अनुसंधान कार्य पर कुल कितना विनियोजन किया गया ;

(ख) उसमें से केवल सर्वेक्षण और छिद्रण पर कितनी राशि व्यय की गई ; और

(ग) कितने स्थान (कुएं) आर्थिक दृष्टि से लाभकारी पाये गये हैं ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क), (ख) और (ग). अपेक्षित सूचना संग्रह की जा रही है और मिलते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

राजस्थान में योग्यता छात्रवृत्तियां

†२३३. **श्री कर्णी सिंह जी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत १९६०–६१ और १९६१–६२ में विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए गरीब विद्यार्थियों को योग्यता छात्रवृत्तियां देने के लिए राजस्थान सरकार को कितनी सहायता दी गई है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस में से कितनी रकम राज्य सरकार ने खर्च की है ;

(ग) आवंटित धन को खर्च न करने के कारण क्या हैं ; और

(घ) १९६२–६३ में इस प्रयोजन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना १९६०–६१ से नहीं, १९६१–६२ से शुरू की गई थी । १९६१–६२ में राजस्थान को ४४,१०० रुपये की सहायता दी गई थी ।

(ख) १९,३६० रुपये ।

(ग) छात्रवृत्ति मिलने से पहले चुने हुए विद्यार्थियों को एक आवेदन-पत्र और कुछ अन्य पत्र भरने पड़ते हैं । सरकार को ये पत्र कुछ मामलों में ३१ मार्च, १९६२ तक नहीं मिले थे । इसलिए आवंटित राशि खर्च नहीं कर सकी । ऐसे विद्यार्थियों को चालू वर्ष में बकाया दे दिया जायेगा ।

(घ) केवल ८८,२०० रुपये ।

कुठ तेल का निकाला जाना

†२३५. **श्री हेम राज :** क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन केन्द्रीय सरकार की प्रयोगशालाओं के नाम क्या हैं जिनमें कुठ तेल निकालने के प्रयोग किये जा रहे हैं,

(ख) उन में कितनी सफलता प्राप्त हुई है ;

(ग) यह किन किन देशों को भेजा जाता है ।

(घ) क्या तेल निकालने की देशी मशीनरी उपलब्ध है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस का मूल्य क्या है और इसको लगाने का व्यय कितना है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** (क) राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, पूना और प्रादेशिक अनुसन्धान प्रयोगशाला, जम्मू ।

(ख) तेल निकालने का एक तरीका निकाला गया है । राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला में एक उत्पादन एकक स्थापित किया जाता है ।

(ग) यह उस एकक के काम करने के बाद शुरू किया जायेगा । यह अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप को भेजा जा सकता है ।

(घ) जी हां, केवल औद्योगिक वैक्युम पम्प को छोड़ कर ।

(ङ) अनुमान है कि ५ टन जड़ों को तैयार करने में १ लाख रुपये लगेंगे । एक लाख और प्रतिवर्ष कच्चे माल और संस्थापना पर लगेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कांगड़ा में सीमेंट का कारखाना

†२३६. **श्री हेम राज :** क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी फर्म ने कांगड़ा जिले में एक सीमेंट का कारखाना स्थापित करने के लिए लाइसेंस के लिए प्रार्थनापत्र दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका नाम और इसके लिए क्या स्थान चुना गया है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) :** (क) और (ख). मार्च, १९६१ में मैसर्ज सुरेन्द्र (ओवरसीज) प्राइवेट लि०, कलकत्ता ने कांगड़ा जिले में समलोटी पर एक सीमेंट का कारखाना स्थापित करने के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन-पत्र दिया था। चूंकि पठानकोट से छोटी लाइन पर है, रेल परिवहन की दृष्टि से वहां सीमेंट का कारखाना लगाना उपयुक्त नहीं समझा गया। प्रार्थियों ने इसलिए यह मंजूर कर लिया है कि कारखाना पठानकोट में या उसके पास बड़ी लाइन पर लगाया जाये। ठीक ठीक स्थान ।

भारत का उर्वरक[1] निगम

†२३७. **श्री कोल्ला वेंकटया :** क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१–६२ में भारत के उर्वरक निगम के कौन कौन से कारखाने थे ;

(ख) १९५९–६०, १९६०–६१ और १९६१–६२ में विभिन्न कारखानों में कितना अमोनियम सल्फेट और अन्य प्रकार का उर्वरक पैदा हुआ ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) :** (क) १९६१–६२ में निगम के दो कारखाने सिन्द्री और नंगल पर थे।

(मीट्रिक टन)

(ख) (१) सिन्द्री .	१९५९–६०	१९६०–६१	१९६१–६२
अमोनियम सल्फेट .	२८९८१२	३०४८५२	२८४३२६
डबल साल्ट (अमोनियम सल्फेट-नाइट्रट)	२२५५२	३६००३	५५४२८
यूरिया . .	४७३२	१०६६६	१३६३३
(२) नंगल . .		११००५	२००७८०
कैलिश्यम अमोनियम नाइटेट			

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Fertilizer Corporation of India.

भारतीय वायु-सेना के सदस्यों द्वारा घाटियों का दौरा

†२३८. { **श्री बसुमतारी :**
श्री बिशन चन्द्र सेठ :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वायु सेना के ८ जवान सदस्यों देश की तीन अत्यधिक सुन्दर घाटियों चीनी, बासपा और तौस में पैदल घूमने गये थे ;

(ख) यदि हां, तो दौरा किस हद तक सफल हुआ ;

(ग) उनके दौरे पर कितना खर्च हुआ ; और

(घ) ऐसे दौरों का लाभ क्या है और किन के द्वारा आयोजित किये जाते हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) भारतीय वायुसेना के ८ सदस्यों ने जून, १९६२ में, सतलुज, चीनी और बासपा घाटियों का दौरा किया था।

(ख) दौरा सफल रहा था ।

(ग) सरकार ने कोई सहायता नहीं दी थी।

(घ) ऐसे दौरे भारतीय वायुसेना ट्रेनिंग और पर्वतारोहण संस्था द्वारा आयोजित किये जाते हैं। ऐसे दौरों से सदस्यों में साहस और चरित्र निर्माण की भावना उत्पन्न होती है ।

चन्द्रधारी संग्रहालय

२३९. **श्री योगेन्द्र झा** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि संस्कृति के प्राचीन केन्द्र मिथिला के दरभंगा शहर में एक चन्द्रधारी म्यूजियम है ;

(ख) भारत सरकार ने अब तक उपरोक्त म्यूजियम को क्या सहायता दी है ; और

(ग) इस म्यूजियम को भविष्य में सहायता देने के बारे में सरकार का क्या निर्णय है ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). बिहार सरकार को दूसरे आयोजन काल में चन्द्रधारी म्यूजियम, दरभंगा के विकास के लिए ५२,००० रुपए का अनुदान दिया गया था । तीसरे आयोजन की अवधि में इस के विकास के लिए राज्य सरकार को ५०,००० रुपए और दिए गए हैं।

गांजे का तस्कर-व्यापार

२४०. **श्री योगेन्द्र झा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार, बंगाल तथा उत्तर प्रदेश में अवैध नैपाली गांजा लाने को रोकने तथा लाये हुए गांजे को पकड़ने के ऊपर भारत सरकार का कितना सालाना खर्च होता है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) पिछले पांच वर्षों में कितने मूल्य का अवैध नेपाली गांजा अपने देश में पकड़ा गया जिसमें बिहार राज्य का क्या हिस्सा है ;

(ग) इस समस्या पर नेपाल सरकार के साथ भारत सरकार ने कभी विचार-विमर्श किया है ; और

(घ) यदि हां, तो नेपाल सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) चोरी छिपे गांजा लाने की रोकथाम का विषय राज्य सरकारों का है, इसलिए नेपाल से, बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश में गांजे का चोरी छिपे लाया जाना रोकने के लिए भारत सरकार के पास अलग कर्मचारी नहीं हैं। इसलिए भारत सरकार इस सम्बन्ध में कुछ भी खर्च नहीं करती।

(ख) पिछले पांच वर्षों में चोरी-छिपे लाया गया जितना अवैध नेपाली गांजा पकड़ा गया उसकी कीमत लगभग १.९९ करोड़ रुपया थी । इसमें से बिहार में जो गांजा पकड़ा गया, उसकी कीमत लगभग १.३६ करोड़ रुपया बैठा है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) नेपाल सरकार ने नाजायज तौर पर गांजे की खेती करने और अवैध रूप से भारत में गांजा भेजने की रोकथाम के लिए नया कानून बनाया है ।

संयुक्त राष्ट्र बाल आपात निधि से दुग्ध-चूर्ण

†२४१. श्री ब० कु० दास :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१-६२ के दौरान में संयुक्तराष्ट्र बाल आपात निधि से कितना दुग्ध-चूर्ण प्राप्त हुआ था ; और

(ख) इसका कैसे उपयोग किया गया ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) (क) २३,९९४,४१६ पौंड ।

(ख) दुग्ध-चूर्ण विभिन्न राज्यों में प्रसूति और शिशु स्वास्थ्य केन्द्रों के द्वारा गर्भवती स्त्रियों, और स्कूल जाने वाले तथा स्कूल जाने से कम उम्र के बच्चों को दिया गया था ।

भारतीय वायुसेना के विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना

†२४२. श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायु सेना का एक न ट फाइटर १९ जून, १९६२ को बंगलौर में गिर गया था और संचालक की मृत्यु हो गई थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह सत्य है कि दुर्घटना के समय विमान का परीक्षण किया जा रहा था ; और

(ग) क्या दुर्घटना की कोई जांच की गई है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) और (ख). जी हां ।

(ग) दुर्घटना के कारणों की जांच एक जांच न्यायालय कर रहा है ।

आय-कर अधिनियम के अन्तर्गत तलाशियां

†२४३. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१-६२ में १९६१ के आय-कर अधिनियम की धारा १३२(१) के अन्तर्गत कितनी तलाशियां ली गई थीं ; और

(ख) उन का क्या परिणाम निकला ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) आय-कर अधिनियम, १९६१ १ अप्रैल, १९६२ को लागू हुआ था, इसलिये धारा १३२(१) के अन्तर्गत १९६१-६२ में कोई तलाशियां नहीं ली गईं । तथापि आय-कर अधिनियम, १९२२ के अन्तर्गत १९६१-६२ में १६ मामलों में तलाशियां ली गई थीं ।

(ख) महत्वपूर्ण लेखा पुस्तकें और पत्र जो विभाग के सामने प्रस्तुत नहीं की गई थीं, छीन ली गई थीं ।

राष्ट्रीय धातु-कर्मिक प्रयोगशाला

†२४४. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय धातु कर्मिक प्रयोगशाला में प्रविधिक, वैज्ञानिक और अन्य कर्मचारियों के चुनाव और नियुक्ति का तरीका क्या है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)**: कर्मचारियों के चुनाव और नियुक्ति का तरीका वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के उपनियमों के अनुसार है जोकि संक्षेप में इस प्रकार है :

(क) श्रेणी ३ और ४ के पदों को छोड़ कर, जिन के लिये स्थानीय रूप से विज्ञापन दिये जाते हैं, सभी पदों के लिये अखिल भारतीय आधार पर विज्ञापन दिये जाते हैं ।

(ख) चुनाव चुनाव समितियों द्वारा किये जाते हैं ।

(ग) सचिवालय पदों के लिये पदोन्नति एक विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा की जाती है ।

कानपुर में टैगोर थियेटर

†२४५. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर में टैगोर थियेटर स्थापित करने के लिये कोई राशि मंजूर की गई है और दी गई है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो कुल राशि क्या है ; और

(ग) क्या निर्माण कार्य शुरू हो गया है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) सरकार को इस प्रस्ताव के बारे में कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) और (ग). उत्पन्न नहीं होते ।

इस्पात संयंत्रों में उत्पादन आंकड़े

†२४६. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० और १९६१ में निम्न इस्पात संयंत्रों में उत्पादन के आंकड़े क्या थे :—

(१) भिलई ;

(२) रूरकेला ; और

(३) दुर्गापुर ; और

(ख) इन का उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या पग उठाये गये हैं ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) १९६० और १९६१ तीन सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में इस्पात पिंडकों का उत्पादन इस प्रकार था :—

(मिट्रिक टन)

	भिलई	रूरकेला	दुर्गापुर
१९६० . .	३१,८१५	१८८,००९	९४,८०८
१९६१ . . .	७०१,६४७	३००,१२८	३८६,५८७

(ख) इस्पात संयंत्रों के शेष एककों को चालू कर के ।

(ग) आरम्भ की कठिनाइयों को यथासंभव दूर कर के ।

एम० ई० एस० के मामलों का विवाचन[1]

†२४७. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१-६२ में एम० ई० एस० के कितने मामले न्यायालय-विवाचन के लिये निर्दिष्ट किये गये थे ;

(ख) सरकार की कितने मामलों में हार हुई ; और

(ग) इन के हारने के कारण ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) ११७ ।

(ख) ६९ मामलों में से ३४ का अभी निर्णय हुआ है ।

(ग) मुकदमे हारने का कोई विशिष्ट कारण नहीं दिया जा सकता क्योंकि न्यायालय-विवाचन का निर्णय उन के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Arbitration.

आंध्र प्रदेश में 'यरकला' और 'इरादी' जातियां

†२४८. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री २६ अप्रैल, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १८३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में 'यरकला' और 'इरादी' जातियों का राज्य में ऐसी आदिमजातियों के बराबर वर्गीकरण करने के मामले में कोई निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस का ब्योरा क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सरकारी ऋण

२४९. **श्री दी० चं० शर्मा** : : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ नये ऋणों की घोषणा की है ;

(ख) यदि हां, तो वे क्या हैं ; और

(ग) उन का ब्योरा क्या है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). अपेक्षित जानकारी का एक विवरण पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३०]**

गुरदासपुर का भूतत्वीय सर्वेक्षण

†२५०. **श्री दी० च० शर्मा** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के गुरदासपुर जिले का हाल में कोई भूतत्वीय सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्योरा ?

†**खान और ईंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) और (ख). खनिजों के लिये हाल में गुरदासपुर जिले में कोई भूतत्वीय सर्वेक्षण नहीं किया गया । तथापि १९५१ में किये गये सर्वेक्षण के फलस्वरूप चूने का पत्थर, पोटाशियम और सोडियम साल्ट पाये गये थे । सर्वेक्षण का ब्योरा इस प्रकार है :

चूने का पत्थर : चक्की नदी की घाटी में, जो गुरदासपुर और कांगड़ा के सीमान्त के साथ-साथ बहता है, चूने का पत्थर पाया जाता है, जोकि चूना जलाने के काम आता है ।

पोटाशियम और सोडियम साल्ट (कल्लर) : मगर मुदियां चम्बा, मरोर, जयन्तीपुरा सराय और बदसोरा के समीप कल्लर के छोटे टुकड़े पाये गये थे । इन के नमूनों के संतोषजनक परिणाम निकले हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

महेन्द्रगढ़ में इस्पात सयन्त्र

†२५१. **श्री बी० चं० शर्मा :** क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री २३ अप्रैल, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या १०३ के उत्तर में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पंजाब में महेन्द्रगढ़ में गैर-सरकारी क्षेत्र में एक इस्पात संयंत्र स्थापित करने की मंजूरी दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इसे स्थापित करने में क्या प्रगति हुई है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री वि० सुब्रह्मण्यम) :** (क) और (ख). सरकार इस्पात संयंत्र नहीं, कच्चे लोहे का कारखाना स्थापित करने के लिये दो प्रार्थनापत्रों पर विचार कर रही है।

फील्ड टेलीफोन केबल का निर्माण

†२५२. **श्री गो० कु० सिंह :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री बसुमतारी :
श्री स० च० सामन्त :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने फील्ड टेलीफ़ोन केबल के निर्माण के लिये एक जापानी फ़र्म के साथ समझौता किया है ;

(ख) यदि हां, तो यह कारखाना कहां लगाया जायेगा ; और

(ग) क्या परियोजना मशीनरी भारत में खरीदी या बनाई जायेगी या जापान से लाई जायेगी ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** (क) जी हां ।

(ख) चंडीगढ़ ।

(ग) केवल वही मशीनरी जो भारत में नहीं बनाई जा सकती जापान से ली जायेगी ।

सरकारी समवायों में हानि

†२५३. **श्री जसवन्त मेहता :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन समवायों के बारे में जानकारी की है जिनमें कि हानि हुई है; और वे समवाय पूर्णतः सरकार के अधिकार में हैं;

(ख) ऐसे कितने सरकारी समवाय हैं जिन्हें १९६१-६२ में हानि हुई है;

(ग) उनके हानि में काम करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) लाभ कमाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) से (घ). १९६१–६२ में होने वाली हानि के बारे में तो कोई विशेष जानकारी नहीं की गई है; किन्तु मुख्यत: ये हानि उसी प्रकार की हैं जैसी कि प्रारम्भ किये जाने वाले समवायों में हुआ करती हैं; वर्ष १९६१–६२ की वार्षिक बेलेंस शीट तथा लेखा आदि सितम्बर, १९६२ के अन्त तक तैयार होंगे।

प्रशासकीय राष्ट्रीय अकादेमी को हटाना

†२५४. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
श्री भक्त दर्शन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री २३ मई, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १८४० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मसूरी स्थित प्रशासकीय राष्ट्रीय अकादेमी के सामने क्या कठिनाइयां हैं जिसके कारण सरकार ने मसूरी में उसकी स्थापना पर इतना व्यय करने के बावजूद भी अब उसे वहां से हटाने के बारे में विचार कर रही है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : अकादेमी के सामने मुख्य कठिनाई स्थानाभाव है। इस संस्था को मसूरी से हटान के बारे में सरकार बड़ी सावधानी से विचार कर रही है लेकिन अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है।

दिल्ली बोर्ड की हायर सैकन्डरी परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थी

†२५५. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सन् १९६२ में कितने विद्यार्थियों ने दिल्ली बोर्ड से हायर सैकन्डरी (उच्च माध्यमिक) परीक्षा पास की है; और

(ख) उनमें से कितने विद्यार्थियों को दिल्ली के कालिजों में दाखिला मिल गया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) ८१२३.

(ख) ४४११.

गौहाटी-बरौनी पाइप लाइन

†२५६. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि गोहाटी से बरौनी तक पाइपलाइन डालने का काम सीमेंट की कमी के कारण रुक गया है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : जी नहीं।

केरल में मध्याह्न भोजन योजना

†२५७. **श्री प० कुन्हन** : क्या **शिक्षा** मंत्री १ मई, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३९६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्याह्न भोजन योजना को चालू करने के लिये क्या केरल सरकार को सहायता अनुदान देने के बारे में कोई निर्णय हो गया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका विस्तृत ब्यौरा क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) तथा (ख). यह मामला अभी विचाराधीन है ।

डेनमार्क से ऋण

†२५८. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री बसुमतारी :
श्री ब० कु० दास :

क्या **वित्त** मंत्री २१ जून, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३७६६ के उत्तर के सम्बन्ध में वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उसके बाद से डेनमार्क ने भारत की विभिन्न परियोजनाओं को चलाने के लिये १ करोड़ रुपये का ऋण दिया है;

(ख) यदि यह ठीक है तो इस सहायता के अन्तर्गत कौन कौन सी परियोजनाएं चालू की जायेंगी;

(ग) इस ऋण के भुगतान की शर्तें क्या हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) से (ग). डेनमार्क सरकार से इस ऋण के बारे में कुछ प्रारम्भिक बातें ही अभी हुई हैं । और यह मामला अभी विचाराधीन है ।

प्लाईवुड पर उत्पादन शुल्क

†२५९. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वित्त** मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कलकत्ता कुटीर उद्योग प्लाईवुड निर्माता संघ के मंत्री के उस वक्तव्य की ओर आकर्षित किया गया है जो उन्होंने २३ जून, १९६२ को कलकत्ता के एक प्रेस सम्मेलन में प्लाईवुड पर से उत्पादन शुल्क घटाने के बारे में दिया था; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या विचार है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) सरकार ने उस प्रेस विज्ञप्ति को देखा है ।

(ख) ऐसे छोटे पैमाने के निर्माताओं को जो पैकिंग बक्सों के लिये प्लाईवुड तैयार करते हैं और जिनका उत्पादन में एक महीने में ४०० वर्ग मीटर तथा साल में ४००० वर्ग मीटर से अधिक नहीं है केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से कुछ शर्त विशेष के अन्तर्गत छूट दी गई है ।

पालम हवाई अड्डा

†६० **० चं० बरुआ** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायुबल की ओर से यह मांग की गई है कि पालम हवाई अड्डे को सम्पूर्णतः वायुबल का अड्डा बनाया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का निर्णय क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी हां ।

(ख) अभी तो यह निर्णय किया गया है कि भारतीय वायुबल तथा असैनिक उड्डयन विभाग दोनों ही इस हवाई अड्डे का प्रयोग करें ।

विदेशों को भेजे गये प्रतिनिधि मंडल

†२६१. **श्री वारियर :**
श्री वासुदेवन नायर :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री रामरतन गुप्त :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब से सरकार द्वारा यात्रा सम्बन्धी प्रतिबंध लगाये गये हैं तब से अब तक कितने प्रतिनिधिमंडल विदेश भेजे गये हैं; और

(ख) उन पर कितना धन व्यय हुआ है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) तथा (ख). विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से वांछित जानकारी एकत्रित की जा रही है और सूचना मिलते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

इंडियन आयल कम्पनी

†२६२. **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री भक्त दर्शन :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आइल कम्पनी ने सोवियत संघ से आयातित बढ़िया किस्म के लो-सल्फर हाई स्पीड डिजल तेल तथा ऊंची किस्म के 'ज्योति' नामक मिट्टी के तेल को बाजार में बेचना शुरू कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो यह तेल कहां कहां भेजा गया है ?

†**खान और ईंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरतवीस)** : (क) जी हां ।

(ख) एच० एस० डी० तेल महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मैसूर और केरल में और मिट्टी का तेल आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, जम्मू तथा काश्मीर, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा आंशिक रूप से मैसूर, मद्रास और पश्चिमी बंगाल में बेचा जा रहा है ।

दिल्ली में लम्बित फौजदारी के मामले

†२६३. **श्री भ० व० राघवन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के पास अभी ५०,००० से अधिक फौजदारी के मामले लम्बित पड़े हैं जिन में अभी तक फैसला नहीं हुआ है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इन मामलों की संख्या कम करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है; और

(ग) क्या सरकार अवैतनिक दंडाधिकारियों के स्थान पर वैतनिक दंडाधिकारी रखने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी हां ।

(ख) जल्दी से इन मामलों को निपटाने के लिये दंडाधिकारियों की संख्या में वृद्धि की गई है और अदालतों के काम का भी पुनर्गठन किया गया है ।

(ग) जी नहीं ।

केरल कृषि सुधार अधिनियम[1] को लक्कदीव मिनी का और अमीनदीवी द्वीपसमूह में लागू करना

†२६४. **श्री अ० ब० राजवन** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल कृषि सुधार अधिनियम को लक्कदीव, मिनीकाय और अमीनदीवी टापुओं में भी लागू करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है; और

(ख) इन टापुओं में कृषि सम्बन्धी सुधारों को पूरा करने के लिए जैसा कि योजना आयोग ने योजना बनाई है, सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)**. (क) जी नहीं ।

(ख) कृषि सम्बन्धी सुधार करने से पूर्व यह आवश्यक है कि वहां का सर्वेक्षण और बंदोबस्ती का काम पूरा किया जाये । इन टापुओं में सर्वेक्षण का काम तो आजकल हो रहा है और उसके बाद ही बन्दोबस्त का काम होगा ।

सिंगरेनी कोयला खान

†२६५. **श्री प० कुन्हन** : क्या **खान और इंधन** मंत्री १८ मई, १९६२ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १५९४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंगरेनी खदानों का लक्ष्य उसके बाद से बढ़ाने के प्रश्न के बारे में कोई गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**खान और इंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) तथा (ख). यह मामला अभी तक विचाराधीन है ।

अखिल भारतीय शिक्षा सेवा

†२६६. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री १ मई, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ३०७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय शिक्षा परामर्श बोर्ड ने जैसा कि सिफारिश की है उसके अनुसार अखिल भारतीय शिक्षा सेवा योजना लागू करने में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) इस योजना की स्थूल रूपरेखा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Kerala Agrarian Relations Act.

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) तथा (ख). अखिल भारतीय शिक्षा सेवा योजना लागू करने का प्रश्न विचाराधीन है। राज्य सरकारों से यह उत्तर आना अभी शेष है कि क्या वे इस योजना से सिद्धान्त रूप से सहमत हैं ?

राज्यों को ब्याज रहित ऋण

†२६७. **श्री यलमन्दा रेड्डी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही है कि राज्यों को जो ऋण दिये गये हैं वे अब से ब्याज रहित कर दिये जायेंगे ;

(ख) यदि हां, तो कब से ; और

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) राज्यों को जो ऋण दिया गया है वह उस राशि में से दिया गया है जो कि केन्द्रीय सरकार ने ब्याज पर ली है इसलिये राज्यों को ब्याज रहित ऋण देने का सवाल नहीं उठता।

महारानी उषा राजे को मान्यता

†२६८. **श्री यशपाल सिंह** :
श्री प्र० के० देव :
श्री विशन चन्द्र सेठ :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इन्दौर से कोई ऐसा ज्ञापन मिला है जिसमें महारानी उषा राजे मल्होत्रा को इन्दौर गद्दी का जो उत्तराधिकारी बनाया गया है उसे वापस लेने का आग्रह किया गया हो ;

(ख) क्या सरकार का विचार इस निर्णय पर फिर से विचार करने का है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) जी हां। महाराजा तुकोजीराव होल्कर, श्री मल्हारराव होल्कर, श्री प्रतापराव होल्कर आदि से एक अभ्यावेदन मिला है ;

(ख) जी नहीं।

पंजाब में तेल छिद्रण का काम

†२६९. **श्री हेम राज** : क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनौरी (पंजाब) में तेल छिद्रण का काम पूरा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या इन परिणामों को ध्यान में रखते हुए ज्वालामुखी में फिर से खुदाई का काम शुरू करने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो कब से ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी नहीं ।

(ख) परिणामों के बारे में अभी कुछ कहना बहुत जल्दी है ;

(ग) तथा (घ). इस बारे में प्राकृतिक गैस आयोग विचार करेगा और उपयुक्त समय आने पर इस बारे में कार्यवाही करेगा ।

निवृत्ति वेतन की स्वीकृति

†२७०. **श्री हेमराज** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सैनिक सेवा से निवृत्ति वेतन के लिये कुछ रोगों का ही उल्लेख किया है ;

(ख) यदि हां तो उनके नाम क्या हैं ;

(ग) दूसरे रोगों को सम्मिलित न करने के कारण क्या हैं और यदि उन रोगों के कारण कोई सैनिक अपंग हो जायें अथवा मर जायें तो क्या होगा ; और

(घ) तो क्या सरकार उस सूची में परिवर्तन करेगी और उन नियमों को बदलेगी ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी नहीं । यदि सैनिक सेवा में रहते हुए किसी को कोई रोग हो जाये अथवा कोई अपंगता आ जाये तो वह सैनिक सेवा में रत ही मानी जाती है । कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो सामान्यत: सैनिक सेवा में नहीं होती वे हैं सरकोमा ल्यूकेमिआ, गाउट, म्योपिया और एस्टिगमेटिज्म आदि । किन्तु प्रत्येक मामले की जांच उसकी गुणिता के आधार पर की जाती है ।

(ख) से (घ). ये प्रश्न नहीं उठते ।

पाकिस्तानी जाली नोट

†२७१. **श्री हेम राज** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अमृतसर में काम करने वाले एक गिरोह का पता लगाया है और जाली पाकिस्तानी नोट पकड़े हैं ;

(ख) यदि हां तो ऐसे गिरोह कितने हैं; और अब कितने नोट उन्होंने प्रचलन में शुरू किये हैं; और

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है, और उनसे नोट बनाने वाला कितना सामान पकड़ा है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) तथा (ख). अमृतसर पुलिस ने पांच व्यक्तियों को बन्दी बनाया है और उनके पास १००–१०० रुपये वाले २०० नोट पकड़े हैं । किन्तु इस बात का कोई प्रमाण अभी तक नहीं मिला है कि वे नोट अमृतसर में बनाये गये थे अथवा भारत में कहीं और ।

(ख) इस मामले की अभी जांच हो रही है और नोट बनाने का सामान अभी तक पकड़ में नहीं आया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आजाद हिन्द फौज के सैनिक

†२७२. **श्री हेम राज :** क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आजाद हिन्द फौज के कितने सैनिक विभिन्न राज्यों में, प्रत्येक राज्य में अलग-अलग राजनतिक पीड़ितों के रूप में रजिस्टर किये गये हैं ;

(ख) उन्हें कितनी-कितनी पेंशनें राज्यवार मंजूर की गई हैं ;

(ग) असैनिक, सैनिक तथा अन्य सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिये, राज्यवार, उन्हें क्या क्या सुविधायें उपलब्ध हैं ; और

(घ) क्या क्षेत्रीय सेवा के समय प्रतिरक्षा सैनिकों को जो भारतीय सेना अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आते हैं और लड़ाका तथा गैर-लड़ाका भर्ती हुए असैनिक कर्मचारी जो भारतीय सेना अधिनियम के अन्तर्गत हैं—क्या दोनों में कोई अन्तर है ; और

(ङ) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) :** (क) आजाद हिन्द फौज के भतपूर्व सनिक जो आजाद हिन्द फौज में भर्ती होने के पहले जो भारतीय सेना में नौकरी करते थे, उन्हें अन्य भूतपूर्व सैनिकों के समान समझा जाता है और रोजगार सम्बन्धी सहायता प्रदान करने के लिये रोजगार दिलाऊ दफ्तरों में इसी हैसियत में उन्हें रजिस्टर किया गया है। रोजगार देने वाले व्यक्तियों द्वारा नाम मांगे जाने पर जब उन व्यक्तियों के नाम भेजे जाते हैं, तो रोजगार दिलाऊ दफ्तर यह बात भी उनकी जानकारी में ला देते हैं कि इन उम्मीदवारों की राजनैतिक पृष्ठभूमि रही है। इसके अतिरिक्त रोजगार दिलाऊ दफ्तरों द्वारा राजनैतिक पीड़ितों के रूप में इन व्यक्तियों के सम्बन्ध में पृथक् सांख्यकी नहीं रखी जाती है।

(ख) पेंशन और उपदान की निम्न रकमें मंजूर की गई हैं :—

पेंशन	रुपए १०,२२,८६६ प्रतिवर्ष लगभग
उपदान और एकमुष्ट दी गई रकमें	रुपए २,५८,८७२ लगभग

इन रकमों के राज्यवार वितरण के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग) भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार के लिये उपलब्ध रियायतें और सुविधायें लोक-सभा में दिनांक ५ जून, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या २५९९ के भाग (ग) में दी जा चुकी हैं।

यह रियायतें आजाद हिन्द फौज के उन भूतपूर्व सैनिकों को भी उपलब्ध हैं जो आजाद हिन्द फौज में भर्ती होने से पहले भारतीय सेना में नियुक्त थे। इसके अतिरिक्त इन सैनिकों को अन्य व्यक्तियों की तुलना में प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि उनके साथ राजनैतिक पृष्ठभूमि है।

(घ) और (ङ) प्रतिरक्षा असैनिक कर्मचारियों को रियायतें देने के सम्बन्ध में वर्तमान आदेशों के आधीन विभिन्न क्षेत्रों के लिये विशिष्ट आदेश हैं। जम्मू और काश्मीर में सेवा करने वाले प्रतिरक्षा असैनिक कर्मचारियों (जिन में स्थानीय रूप से भर्ती किए गए व्यक्ति सम्मिलित नहीं हैं) को मुफ्त राशन, आवास व्यवस्था, चिकित्सा, वस्त्र इत्यादि दिये जाते हैं जो लड़ाका और गैर-लड़ाका (भर्तीशुदा) के समान ही हैं। अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में सेवा नियोजित प्रतिरक्षा असैनिक कर्मचारियों को इसी प्रकार रियायतें देने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

विदेशी ऋणों का चुकाया जाना

†२७३. { **श्री मुरारका :**
श्री रामेश्वरानन्द :
श्री कार्जी :
डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :

क्या **वित्त** मन्त्री सभा पटल पर निम्नलिखित जानकारी वाला विवरण रखने की कृपा करेंगे :

(१) विभिन्न देशों को देय ऋण की रकम तथा चुकाये जाने की तिथि ;

(२) १९६१ से लेकर प्रत्येक वर्ष विदेशी ऋण पर ब्याज की राशि; और

(३) इस दायित्व को पूरा करने के लिये किये गये प्रबन्ध ।

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (१) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखी गयी [देखिये संख्या एल० टी०, २९४/६२]**

(२) १९६१-६२ में विभिन्न देशों को विदेशी ऋणों पर लगभग २५.५६ करोड़ ऋण दिया गया जिसमें भारतीय रुपयों में दिया गया ब्याज भी शामिल है और वर्ष १९६२-६३ के लिये ऐसी भुगतान का प्राक्कलन ३९.९६ करोड़ रुपये है ।

विदेशी ऋण एक ही बार नहीं लिये जाते, परन्तु विभिन्न तिथियों पर और विभिन्न किस्तों में जब सम्बन्धित विकास परियोजनाओं के लिये आयात किये जा चुके हों या दूसरा व्यय किया जा चुका है, विदेशी ऋण लिया जाता है । समय-समय पर बाकी रह गए सन्तुलनों पर ब्याज का हिसाब लगाया जाता है । कुछ ऋणों के मामले में अधिकृत राशि पूर्णतया नहीं ली गई है । कुछ अन्य ऋणों की अधिकृत राशि में से कोई राशि अभी नहीं ली गई है । इन परिस्थितियों में आने वाले वर्षों में प्रत्येक देश से विदेशी ऋणों पर ब्याज का हिसाब लगाना कठिन है ।

(३) इस बात को सुनिश्चित करने के लिये प्रबन्ध किए गए हैं कि विभिन्न ऋणों के मूलधन लौटाने की किश्तें और ली गई राशि पर ब्याज विभिन्न देशों को उचित समय पर दे दिये जाएं ।

रिजर्व बैंक का राज्यों पर बकाया ऋण

†२७४. **श्री मुरारका** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों को इस समय रिजर्व बैंक का ऋण चुकाना है ;

(ख) उनकी ओर कितना ऋण है ;

(ग) इस ऋण के क्या कारण हैं ; और

(घ) हिसाब में समायोजन के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). राज्य सरकारों के साथ किये गए समझौते के अनुसार, रिजर्व बैंक आफ इण्डिया इन राज्यों के बकर के रूप में काम करता है और उनके बीच में किये गये इन सरहदों के सम्बन्ध में सार्वजनिक रूप से ब्यौरा प्रकट नहीं किया जा सकता।

(ग) रिजर्व बैंक आफ इण्डिया अधिनियम और राज्य सरकारों के साथ किए गए समझौते दोनों ही रिजर्व बैंक द्वारा राज्यों को अस्थायी ऋण मंजूर करने की अनुमति देते हैं।

(घ) इस स्थिति पर निरन्तर ध्यान रखा जाता है और किसी भी राज्य सरकार को इस बात की अनुमति नहीं है कि वह अनिश्चित काल के लिये 'ओवरड्राफ्ट' प्राप्त करे। संसाधनों में दीर्घकालीन असुन्तलन का सामना खर्च में कमी और केन्द्र द्वारा ऋण अथवा अन्य संसाधनों से किया जाता है। न कि रिजर्व बैंक आफ इण्डिया से।

इस्पात संयंत्रों का उपोत्पाद

†२७५. श्री मुरारका : क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक इस्पात संयंत्र द्वारा उत्पन्न उपोत्पाद की कुल मात्रा कितनी है ;

(ख) इनके विपणन के लिये हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने क्या व्यवस्था की है ; और

(ग) इनसे प्रत्येक इस्पात संयंत्र को १९६१–६२ में कुल कितनी रकम प्राप्त हुई ?

†इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३१]

(ख) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड इस बात का प्रयत्न कर रहा है कि उद्योगों से इस आशय का अनुरोध किया जाए कि जितनी अधिक मात्रा में वाणिज्यिक और औद्योगिक प्रयोजनों के लिए उपोत्पादों का प्रयोग संभव हो उतना किया जाए। किन्तु जिन उपोत्पादों के सम्बन्ध में देश में कोई मांग नहीं है उनके निर्यात के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(ग) उपोत्पादों की बिक्री से १९६१–६२ में निम्नलिखित रकमें प्राप्त हुई हैं :—

	लाख रुपयों में
रूरकेला	११.५८
भिलाई	६२.०८
दुर्गापुर	७६.३८
रुपये	१५०.०४

रुरकेला में सिविल इंजीनियरिंग कार्यों के लिए ठेके

†२७६. श्री मुरारका : क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूरकेला में सिविल इंजीनियरिंग के कामों के लिए 'मेसर्ज हौट चीफ गैमनज' को दिया गया ठेका पूरा हो चुका है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो कुल दी गई राशि ;

(ग) उनके यंत्रों के लिये किराए के लिए दी गई राशि ; और

(घ) क्या उनका काम सन्तोषजनक रहा है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) जी हां ।

(ख) ८१० लाख रुपये और ८० लाख डी० एम० ।

(ग) २६.५ लाख रुपये और १७.७ लाख डी० एम० ।

(घ) जी, हां ।

त्रिपुरा में लेखकों को प्रोत्साहन

†२७७. **श्री दशरथ देव** : क्या **शिक्षा** मंत्री १३ जून, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३०७६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में लेखकों को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ख) जो लेखक त्रिपुरी में पुस्तकें लिखते हैं या त्रिपुरी में रवीन्द्रनाथ टैगोर और अन्य विख्यात लेखकों की पुस्तकों का अनुवाद करते हैं, क्या उन्हें कोई वित्तीय सहायता या पारितोषिक दिए जा रहे हैं ; और

(ग) क्या प्रारम्भिक पुस्तकों के लिए त्रिपुरी में पाठ्य पुस्तकें लिखने के लिए कोई कड़ी कार्यवाही की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) त्रिपुरी में लेखकों को प्रोतसाहन देने के लिए त्रिपुरा प्रशासन ने जो कदम उठाए हैं उनमें त्रिपुरी में उनकी किताबों का प्रकाशन उचित लेखों और अनुवादों का रिसालों में प्रकाशन और उन्हें उचित मुआवजा देना है ।

(ख) जी हां ।

(ग) प्रारम्भिक पाठशालाओं के लिए श्रेणियां १, २ के लिए एक 'प्राइमर' तैयार की गई है ।

सोने का तस्कर व्यापार

†२७८. **श्री दशरथ देव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में २० जून तक भारतीय हवाई अड्डों पर सोने और अन्य वस्तुओं के अन्तर्राष्ट्रीय तस्कर व्यापार के कोई मामलों का पता चला है ;

(ख) यदि हां, तो कितने मामलों का पता चला ;

(ग) उन व्यक्तियों और कम्पनियों या अभिकरणों के नाम जिनसे इन व्यक्तियों का सम्बन्ध था, क्या हैं , और

(घ) इन मामलों में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : आवश्यक जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

त्रिपुरा में मतदाताओं का नामांकन

†२७९. **श्री दशरथ देव**: क्या **विधि** मंत्री ९ मई, १९६२ को दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या ९७१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा में नवम्बर, दिसम्बर और जनवरी के महीनों में मतदाताओं के नामांकित करने के लिए बहुत से आवेदनपत्र उनकी सूचनाओं के देर से आने के कारण सुनवाई के दिन पेश नहीं हो सकी ; और

(ख) यदि हां, तो त्रिपुरा में दूर के आदिम जाति क्षेत्रों के आवेदकों को सूचनाएं पहुंचाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

†**विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र)**: (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

उनाकुटी तिरथ, त्रिपुरा

†२८०. **श्री दशरथ देव** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री २३ मई, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १८२८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनाकुटी तिरथ, त्रिपुरा में मूर्तिकलाओं और चट्टानों से बनाई हुई मूर्तियों के संरक्षण के लिए अब तक कोई निधि निर्धारित की है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि निर्धारित की है ;

(ग) इन मूर्तिकलाओं और चट्टानों से बनाई मूर्तियों के संरक्षण के अब तक की गई कार्यवाही का क्या ब्यौरा है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी हां।

(ख) १९६२–६३ में ५०० रुपये ।

(ग) कोई भी नहीं क्योंकि हाल ही में इस स्थान का संरक्षण किया गया है ।

कोयले के प्रयोग में कमी

†२८१. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में हाल में ही भट्टियों (लोहा और इस्पात उद्योग) में कोयले के प्रयोग में कमी करने के लिए तरीके ढूंढने के लिए कोई कोशिश की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या नतीजा निकला है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) और (ख). भट्टियों में कोयले के प्रयोग को कम करने के लिए विभिन्न तरीकों के साथ कुछ सफलता के साथ तजरुबा किया जा रहा है । उनमें से विशेषकर ये हैं :—

(१) कोयला, लोहा, अयस्क और चूने के पत्थर की धुलाई और अभिशोधन ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) 'ब्लास्ट' में ऑक्सीजन, भाप और तेल का प्रयोग ।

(३) 'ब्लास्ट' का अधिक तापमान ।

(४) भट्टी का बहुत ऊंचा तापमान ।

(५) 'सिंटरिंग' ; और

(६) कच्चे माल को मिलाने और किस्म में सुधार ।

चंडीगढ़ हवाई अड्डा

†२८२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपाकरें गे कि :

(क) क्या सरकार चंडीगढ़ हवाई अड्डे को विमान-आस्थान (एयर बेस) बनाना चाहती है ;

(ख) यदि हां, तो योजना का परिव्यय ; और

(ग) सरकार को किन कारणों से यह निर्णय करना पड़ा है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** :(क) चंडीगढ़ पहले हीं वायुसेना केन्द्र है । प्रतिरक्षा सेवा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसका विकास किया जा रहा है ।

(ख) और (ग). इस सम्बन्ध में जानकारी देना जनहित में नहीं है ।

रूस में प्राचीन भग्नावशेष

२८३. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस के एशियाई भाग में विशेषकर दुशाव के निकट पुराने पंजीकेंट स्थान पर प्राचीन भारतीयों के घरों के भग्नावशेष पाये गये हैं जिनमें दान-पत्रों के रूप में मिट्टी और अन्य बर्तनों पर भारतीय शिलालेख भी मिले हैं ; और

(ख) उनका ब्यौरा क्या है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)**: (क) और (ख) प्रेस में जो निकला है उसके अलावा सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

सीमेंट में मिलावट

†२८४. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि सीमेंट में पिसा हुआ पत्थर मिलाया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की मिलावट को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)**: (क) महाराष्ट्र राष्ट्र सरकार ने भारत सरकार को हाल ही में सूचना दी है कि मिलावट वाला सीमेंट अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा बिना परमिट के बेचा जा रहा था। अन्य सरकारों से कोई शिकायतें नहीं आई है।

(ख) महाराष्ट्र में सीमेंट के वितरण पर पूरा नियंत्रण है और लोगों को परमिट पर दिया जाता है जोकि राज्य सरकारें लाइसेंस वाले स्टाकिस्टों द्वारा जारी करती हैं। यदि अनधिकृत रूप से सीमेंट के व्यापारी सीमेंट में मिलावट करते हों, तो 'बम्बई सीमेंट कंट्रोल आदेश, १९५९' के अन्तर्गत उनके विरुद्ध मुकद्मा चलाया जा सकता है। विक्रय अधिकर्ताओं से प्रार्थना की गई है कि वे अपने स्टाकिस्टों के नाम समाचारपत्रों में अधिसूचित करें ताकि जनता उनसे ही सीमेंट खरीदे। मिलावट को रोकने के लिए और कदम भी विचाराधीन हैं।

सांताक्रुज हवाई अड्डे पर सोने का पकड़ा जाना

†२८५. **श्री रघुनाथ सिंह**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि ५ जुलाई, १९६२ को सांताक्रुज हवाई अड्डे पर पश्चिम जर्मनी के विद्यार्थी को गिरफ्तार किया गया था जिस ने अपनी कमीज के नीचे विशेष रूप से बनाई गई जैकटों में २ लाख रुपये की कीमत के सोने के १६ थैले छिपाये हुए थे।

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: बम्बई के एक सीमाशुल्क अधिकारी ने ५ जुलाई, १९६२ को सांताक्रुज हवाई अड्डे पर एक पश्चिम जर्मन राष्ट्रजन से लगभग २,३३,१०० रुपये की कीमत का लगभग १८.५ किलोग्राम सोना प्राप्त किया। यह निषिद्ध सोना कपड़ों के नीचे पहनी हुई विशेष प्रकार से सिली हुई जैकट में छिपा हुआ था। उसे गिरफ्तार किया गया और चीफ प्रैजीडेंसी मजिस्ट्रेट बम्बई के सामने पेश किया गया जिसने कि उसे १,००,००० रुपयों की जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

मोटर कारों का निर्माण

†२८६. **श्री दलजीत सिंह**: क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अप्रैल, १९६१ से ३१ मार्च, १९६२ तक कुल कितनी मोटर कारें बनाई गयीं, और

(ख) उसी अवधि में कितनी कारों का निर्यात किया गया है।

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)**: (क) और (ख). आवश्यक जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

शिक्षा सम्बन्धी पर्यटन

†२८७. **श्री दलजीत सिंह**: क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब सरकार के लिये १९६२-६३ में अब तक विद्यार्थियों के राज्य में या उसके बाहर शिक्षा सम्बन्धी पर्यटन के लिये कितनी राशि मंजूर की है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : ११,७०० रुपये।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब के प्रकाशकों को सहायता

†२८८. **श्री दलजीत सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६१–६२ में सामाजिक शिक्षा सम्बन्धी साहित्य के लिये पंजाब के प्रकाशकों, मुद्रकों और पुस्तक विक्रेताओं को क्या सहायता दी गई थी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : नवसाक्षरों के लिये पुस्तकों/पाण्डुलिपियों के लिये पारितोषिक प्रतियोगिता की योजना के अन्तर्गत चुनी गई पंजाबी में पुस्तक 'लोक राज' जिसे इनाम मिला, की १५०० प्रतियों के खरीदने के लिये पंजाब के लिये एक प्रकाशक को ७५० रुपये दिये गये ।

मैट्रिक के आगे अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां

†२८९. **श्री दलजीत सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को मैट्रिक के आगे अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां देने के लिये १९६१–६२ और १९६२–६३ में अलग से पंजाब को कितनी राशि दी गई; और

(ख) १९६१–६२ में यथार्थ में कितनी राशि प्रयोग में लाई गई ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) (१) १९६१–६२

१४,५२,२०० रुपये

(२) १९६२–६३

१४,४७,२०० रुपये का अनुदान दिया गया है ।

(ख) सारी निर्धारित राशि प्रयोग में लाई गई ।

पंजाब में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों का कल्याण

†२९०. **श्री दलजीत सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान पंजाब में केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिये कोई योजना बनायी गई है, और

(ख) यदि हां, तो इसके विस्तृत विवरण क्या हैं और कितनी राशि व्यय की जायेगी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) जी हां ।

(ख) सभा-पटल पर एक विवरण रखा गया है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३२]**

पदनिवृत्त प्राध्यापकों की सेवायें

२९१. **श्री त्रिदिव कुमार चौधरी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क्या यह सच है कि विश्व विद्यालय अनुदान आयोग ने, विभिन्न विश्वविद्यालय और कालेजों के लिये पदनिवृत्त अध्यापकों तथा अनुसन्धानकर्ताओं की सेवायें प्राप्त करने के लिये कोई योजना बनाई है; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उक्त पदाधिकृत प्राध्यापकों तथा अनुसन्धानकर्ताओं को सेवायें किन शर्तों पर प्राप्त की गयी हैं ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, नहीं।

(ख) इस प्रयोजन के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजना संलग्न की गयी है। [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३३]

गुजरात तेल शोधनशाला

२९२. श्री सरजू पाण्डेय : क्या खान और ईंधन मंत्री १८ जून, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या १५११ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि गुजरात (कोयाली) आयल रिफाइनरी की स्थापना में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय): प्रश्न संख्या १५११ का उत्तर दिया गया था और इंडियन इंस्टीट्यूट आफ पैट्रोलियम को ऐजन्सी द्वारा शोधनशाला के उत्पादों के वितरण की योजना के अध्ययन का काम पूरा हो चुका है।

सरकारी कर्मचारियों के लिए कैंटीन

२९३. श्री सरजू पाण्डेय : क्या गृह-कार्य मंत्री १८ जून, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या १५१९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी कर्मचारियों के लिये एक कैंटीन बनाने के बारे में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): सरकारी कर्मचारियों के लिये कैंटीनें बनाने की योजना सरकार द्वारा मंजूर कर ली गई है। इसे मंजूर किये गये तरीके पर लागू करने के लिये आगे कार्यवाही की जा रही है।

तिरुचिरापल्ली में हाई प्रेशर बायलर प्लांट

†२९४. श्री उमा नाथ : क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) तिरुचिरापल्ली में भारी हाई प्रैशर बायलर प्लांट के लिये अभी तक कितनी पोरम्बोक और कितनी पट्टेदारी जमीन अधिग्रहीत कर ली गई है;

(ख) भूमि के स्वामियों को किस दर पर प्रतिकर दिया गया;

(ग) क्या इस प्रकार का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि प्रतिकर की राशि बहुत कम है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या करना चाहती है ?

†इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम): (क) अभी तक १०४८ एकड़ पोरम्बोक भूमि और १४८७ एकड़ पट्टेदारी भूमि अधिग्रहीत की गयी हैं;

(ख) से (घ). इस परियोजना के लिये भूमि का अधिग्रहण तथा भूमि के मालिकों को प्रतिकर देना मद्रास सरकार की जिम्मेदारी है।

†मूल अंग्रेजी में

मद्रास के लिये सीमेंट

†२९५. **श्री उमा नाथ :** क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमेंट के संबंध में मद्रास की आवश्यकता कितनी है और उस राज्य को कितना सीमेंट दिया गया है ;

(ख) क्या १९६१ और १९६२ के लिये पूरी राशि दे दी गयी है;

(ग) यदि हां, तो कितना कम दिया गया और इस का क्या कारण है;

(घ) इस कमी को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है;

(ङ) क्या सरकार सीमेंट के उचित उपयोग करने के सम्बन्ध में अवगत है यदि हां,तो वस्तुस्थिति क्या है ;

(च) क्या मद्रास सरकार से आवंटन की राशि बढ़ाने के लिये कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(छ) यदि हां , तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम):** (क) से (ग) निम्नलिखित आंकड़ों में मांग, आवंटन, भेजी गयी राशि तथा आवंटित राशि और भेजी गयी राशि के बीच अन्तर दिखलाया गया है :

अवधि	मांग	आवंटन की राशि (टनों में)	भेजी गयी राशि	कमी
१९६१ . .	५६६८१५	१३२३००	१२३२५६	९०४४
जनवरी—मार्च ६२ . .	२३००८५	१३२३००	१०९१०६	२३१४०
अप्रैल—जून ६२ . .	३३६५५५	५१६२००	४६८२९४	४७९०६
जुलाई—सितम्बर ६२ . .	३९३६७०	१२७८००	..	..

तिमाही आवंटन की राशि में राज्य को, उसे प्राप्त हो सकने वाली अधिकतम राशि दी गयी है। यह विभिन्न सीमेंट कारखानों के उत्पादन के उपर आधारित है। आवंटन तथा भेजी गयी सीमेंट की राशि के बीच जो कमी हुई उस का कारण कारखानों में उत्पादन की कमी थी मद्रास में बिजली की खराबी हो जाने के कारण इस में अप्रैल-जून १९६२ में काफी कमी हुई है।

(घ) इस बात का पूरा प्रयत्न किया जा रहा है कि लगातार उत्पादन के द्वारा उत्पादन बढ़ाया जा सके तथा कोयला नियंत्रक के परामर्श से सभी कारखानों में कोयला संभरण पर निगाह रखी जाये। इस बात का भी प्रयत्न किया जा रहा है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य के अधीन जिन कारखानों को लायसेन्स दिया गया है उन्हें शीघ्र चालू किया जाये।

(ङ) भारत सरकार राज्य को तिमाही आवंटन कर देती है। इस आवंटित राशि को वितरित करने की जिम्मेदारी राज्य की रहती है। उन को यह सलाह दी गयी है कि वे इस संबंध में आवश्यक नियंत्रण लगायें जिस से मांग की पूर्ववर्तिताओं को ध्यान में रखते हुए यथासंभव समान वितरण हो सके।

†मूल अंग्रेजी में

(च) और (छ). मद्रास सरकार ने जुलाई अगस्त, १९६२ के लिये ५०००० टन अतिरिक्त सीमेंट के आवंटन की मांग रखी है। यद्यपि वर्तमान उपलब्धि के देखते हुए अतिरिक्त राशि नहीं दी जा सकती है, तथापि बिजली बन्द होने से उत्पन्न कठिनाई का सामना करने के लिये उन्हें ५००० टन की तदर्थ राशि स्वीकृत कर दी गई है।

आंध्र प्रदेश में कोयला ले जाने के लिये माल डिब्बे

†२९६. **श्री म० ना० स्वामी :** क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा कोयले के परिवहन के लिये कितने माल डिब्बों की मांग की गयी; और

(ख) इस समय कितने डिब्बे दिये गये हैं ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री क० दे० मालवीय) :** (क) मई १९६२ में आन्ध्र प्रदेश सरकार ने यह मांग की थी कि राज्य के लिये १८०० डिब्बों के स्थान पर २०४० डिब्बे प्रति माह दिये जायें। मामले की जांच के उपरान्त जुलाई, १९६२ से डिब्बों की संख्या बढ़ा कर २०३० कर दी गयी।

(ख) १९६२ के पहिले पांच महीनों में आन्ध्र प्रदेश के लिय राज्य द्वारा आरम्भ की गयी पूर्ववर्तिताओं के लिये भेजे गये डिब्बों की संख्या इस प्रकार है : —

जनवरी	२०३६
फरवरी	१६७०
मार्च	१४५३
अप्रैल	१०८९
मई	८३३
जून	११५८

मार्च–जून १९६२ में भेजे गये डिब्बों की संख्या में इस कारण कमी रही क्योंकि 'टी० ओ० बी० क्योरिंग' उद्योग[1] अप्रैल से जुलाई तक कोयला नहीं लेता।

अनुसूचित जातियों के लिये कानूनी सहायता

†२९८. **श्री म० ना० स्वामी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६१-६२ में अनुसूचित जातियों से कानूनी सहायता प्राप्त करने के सम्बन्ध में कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए ;

(ख) आंध्र प्रदेश से ऐसी कितनी अर्जियां प्राप्त हुईं ; और

(ग) वर्ष १९६१-६२ में इस में कुल कितनी राशि व्यय की गई ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) :** (क) और (ख). अनुसूचित जातियों को कानूनी सहायता देने की योजना तीसरी योजना के पिछड़े वर्गों वाले क्षेत्र में कुछ राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों ने शामिल की है तथा वह उन्हीं के द्वारा संचालित की जाती है। भारत सरकार इस योजना का आधा भाग वहन करती है। अतः आवेदन पत्र भी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को भेजे जाते हैं। अतः आंध्र प्रदेश आवेदन पत्र प्राप्त होने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। आंध्र प्रदेश की सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस कार्य के लिये कोई उपबन्ध नहीं किया है

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Tob Curring Industry.

(ग) राज्य सरकारों तथा संघ राज्य प्रशासनों द्वारा, १९६१-६२ के दौरान किया गया व्यय इस प्रकार है : —

राज्य/संघ राज्य प्रशासन का नाम	१९६१-६२ के लिये रखी गई राशि	३०-९-६१ तक किया गया व्यय (लाख रुपयों में)	३१-३-६२ तक किया गया व्यय
गुजरात . .	.०३	.०१	सूचना नहीं दी गई
मैसूर . .	.०४	—	" "
उड़ीसा . .	.१३	—	—
पंजाब . .	.१०	.०९	.१०
त्रिपुरा . .	.०१५	—	—

पवन शक्ति

२९९. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री ४ मई, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६७० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पवन-शक्ति सम्बन्धी विशेष डिवीजन द्वारा उत्तर प्रदेश के गढ़वाल व अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में पवन शक्ति की संभावनाओं का पता लगाने के लिये जो सर्वेक्षण करने का विचार किया जा रहा था, उस के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है, और कब तक वह सर्वेक्षण कार्य पूरा हो जाने की आशा की जाती है ?

वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : उत्तर प्रदेश सरकार से कहा गया है कि वह गढ़वाल जिले में ऐसे गांवों का नाम बताये जहां पवन चक्कियां लगाई जा सकती हों । सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है ।

केन्द्रीय मद्य-निषेध समिति

३००. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री ९ मई, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ५४८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय मद्य निषेध समिति द्वारा की गई जिन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया था ; उन में से प्रत्येक को कार्यान्वित करने में इस बीच क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) शेष सिफारिशों को स्वीकार करने तथा उन्हें कार्यान्वित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दातार): (क) और (ख). चौथी, छठी, नवीं तथा दसवीं सिफारिशों के अलावा सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय द्वारा वृत्त-चित्र तैयार किये जाने से सम्बन्धित ग्यारहवीं सिफारिश भी लागू की जा चुकी है । राज्य सरकारों के मार्ग-दर्शन के लिये विधान के नमूने का प्रारूप तैयार करने से सम्बन्धित सातवीं सिफ़ारिश को मंजूर नहीं किया गया क्योंकि सरकार के ख्याल में राज्य सरकारें अपने विधि-विभागों और स्थानीय जरूरतों के मुताबिक ऐसे विधेयकों का प्रारूप आसानी से तैयार करा सकती है । बाकी ५ सिफ़ारिशें विचाराधीन हैं ।

घरेलू नौकर

३०१. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री १८ जून, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३३४९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और नई दिल्ली में घरेलू नौकरों की रजिस्ट्री करने का कार्य जो पुलिस द्वारा हाथ में लिया गया है उस के अन्तर्गत अब तक कुल कितने घरेलू नौकरों की रजिस्ट्री की जा चुकी है ; और

(ख) इस कार्य से अब तक स्वयं घरेलू नौकरों को तथा उन के मालिकों को कितना लाभ पहुंचा है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार): (क) १५ जुलाई, १९६२ तक ४६,६५४।

(ख) कोई निश्चित उत्तर देना कठिन है। योजना के परिणामस्वरूप मालिकों में विश्वास की वृद्धि और घरेलू कर्मचारियों के लिये अधिक सुरक्षा हो जायेगी।

अध्यापन शुल्क

३०२. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **शिक्षा** मंत्री २८ मई, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या २०९८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली के स्कूलों में ५००० रु० वार्षिक से अधिक आय वाले अभिभावकों के छात्र-छात्राओं से जो पाठ्य-शुल्क अधिक मात्रा में लिया जाता है उस की सीमा को और ऊंचा करने के सुझाव पर क्या निश्चय किया गया है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : विषय विचाराधीन है।

आरम्भिक शिक्षा तथा लड़कियों की शिक्षा

†३०३. **श्री मे० क० कुमारन** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है कि आरम्भिक शिक्षा तथा लड़कियों की शिक्षा के लिये रखी गई रकम का पूरी तरह उपयोग हो सके ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या ३४**]

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त का वार्षिक प्रतिवेदन

†३०४. **श्री मे० क० कुमारन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के वार्षिक प्रतिवेदन पर राज्य विधान सभाओं में चर्चा की जा सकती है।

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को इस सम्बन्ध में कोई पत्र भेजा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्र शेखर)**: (क) से (ग) कुछ वर्ष पूर्व केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को यह सुझाव दिया था कि यदि आयुक्त के प्रतिवेदन पर राज्य विधान

---

†मूल अंग्रेजी में

सभाओं में चर्चा की जायेगी तो इस से लाभ होगा । इस का राज्य सरकारों ने स्वागत किया था तथा अब कई राज्य विधान सभाओं में उन पर चर्चा होती है ।

हिन्दू विवाह अधिनियम में असंगति

†३०५. { श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन का ध्यान मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री रामकृष्णन् के निर्णय की ओर आकर्षित हुआ है जिस में कहा गया है कि हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा १६ में एक असंगति है तथा उन्होंने सुझाव दिया है कि उस का तत्काल संशोधन किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभूधेन्द्र मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) यह मामला सरकार के विचाराधीन है ।

भारतीय प्रशासन सेवा के परिवीक्षक

†३०६. श्रीमती ज्योत्सना चन्द : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अखिल भारतीय प्रशासन सेवा के परिवीक्षकों को मसूरी में प्रशिक्षण अकादमी में प्रवेश करने के पूर्व उन्हें उन की आवश्यकताओं यथा कपड़े यात्रा भत्ता इत्यादि की पूर्ति के लिये कुछ अग्रिम धन भी देती है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि देती है ?

†गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातर) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सैनिक कर्मचारियों के बालकों को शिक्षा सम्बन्धी रियायतें

†३०७. { श्री अ० ब० राघवन् :
श्री अ० क० गोपालन :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैनिक कर्मचारियों के बालकों को शिक्षा संबंधी रियायतें देने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या सैनिक कर्मचारियों के बालकों को शिक्षा संबंधी सुविधायें देने के लिये राज्य सरकारों को कोई पत्र भेजा गया है ।

(ग) यदि हां, तो उन की क्या प्रतिक्रिया है ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) केन्द्रीय सरकार के ३४९ रु० तक प्रतिमाह पाने वाले कर्मचारियों के लिये १ मार्च १९६२ से, प्रारम्भिक कक्षा में पढ़ने वाले बालकों के लिये १० रु० प्रति माह, उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिये १५ रु० प्रतिमाह के भत्ते की योजना जारी की गई है ; वह

†मूल अंग्रेजी में

रियायत सेना के जूनियर कमीशन के अधिकारियों तथा अन्य श्रेणियों को तथा जल सेना, वायु-सेना के समकक्ष अधिकारियों के लिये उसी तारीख से जारी कर दी गई है ।

(ख) क्या मद्रास, मैसूर, केरल और राजस्थान की सरकारों से यह अनुरोध किया गया है कि वे सैनिक कर्मचारियों के बालकों को भी शिक्षा संबंधी वे सभी रियायतें देवें जोकि वे अपने अघोषित कर्मचारियों को देते हैं ;

(ग) केरल को छोड़ कर किसी राज्य सरकार से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है । केरल सरकार सैनिक कर्मचारियों के बालकों को तब तक कोई रियायतें देने को तैयार नहीं है जब तक कि केन्द्रीय सरकार समान राशि राज्य सरकार को वापस न दे देवे ।

नाइजीरिया को प्रतिरक्षा मंत्रालय का प्रतिनिधिमंडल

†३०८. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन के मंत्रालय का एक प्रतिनिधि मंडल, नाइजीरिया की सरकार के निमंत्रण पर वहां विभाग प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के लिये भेजा गया था ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : जी हां ।

अखिल भारतीय प्रशासन सेवा की परीक्षायें

†३०९. { **श्री सत्यनारायणन** :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री २८ मई को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या २०२६ के उत्तर के सम्बन्ध मे यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग तथा अखिल भारतीय प्रशासन सेवा इत्यादि परीक्षाओं में अर्हता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को द्वितीय श्रेणी में नियुक्त करने के सम्बन्ध में कोई निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके विवरण क्या हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

ऊनी कपड़ों के परिष्करण (प्रोसेसिंग) पर उत्पादन शुल्क

†३१०. **श्री हेम राज** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऊनी कपड़ों के परिष्करण पर उत्पादन शुल्क लगने से लगभग ढाई सौ कारखानों को बन्द होने का खतरा पैदा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी नहीं । सरकार को कोई ऐसी जानकारी प्राप्त नहीं है ।

(ख) ऊनी कपड़ों के छोटे पैमाने पर निर्माताओं से यह अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि ऊनी कपड़ों के परिष्करण पर शुल्क के भुगतान से छूट दी जाये । ऐसे निर्माताओं को कुछ छूट दे दी गई है ।

कला और विज्ञान के विद्यार्थी

†**३११. श्री गो० महन्ती** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा शिक्षा केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की इस सिफारिश पर सरकार ने क्या निश्चय किया है कि विज्ञान और कला दोनों के ही विद्यार्थियों को नौकरी तथा वेतन इत्यादि के लिये समान अवसर दिया जाये; और

(ख) इस निश्चय को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?.

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) यह मामला विचाराधीन है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित आदिम जातियां

†**३१२. श्री गो० महन्ती** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों का प्रतिशत क्या है;

(ख) क्या प्रत्येक राज्य के लिये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के सहायक आयुक्त की नियुक्ति कर ली गई है; और

(ग) उसका मुख्य कार्यालय कहां पर स्थित है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्र शेखर)**: (क) १९५१ की जनगणना के आधार पर राज्यवार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की जनसंख्या दिखाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

१९६१ की जनगणना के आधार पर आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) इस समय अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के ग्यारह सहायक आयुक्त हैं उनका मुख्य कार्यालय चंडीगढ़, जयपुर, भोपाल, लखनऊ, बड़ौदा, पूना, भुवनेश्वर, हैदराबाद, मद्रास, रांची और शिलांग में है । इसके अतिरिक्त नई दिल्ली में आयुक्त के कार्यालय में भी एक सहायक आयुक्त है । **[परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३५]**.

आवास क्षेत्रों का वाणिज्यिक क्षेत्रों में परिवर्तन

†**३१३. श्री यशपाल सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने यह निश्चय किया है कि नई दिल्ली में आवास क्षेत्रों को वाणिज्यिक क्षेत्रों मे बदलने पर मकान मालिकों से कुछ अतिरिक्त राशि ली जाये; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का मकान मालिकों पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)**: (क) सरकार की यह नीति रही है कि आवास क्षेत्रों में बनाये गये मकानों को वाणिज्यिक क्षेत्रों में बदलने के पूर्व मकान मालिकों से कुछ अतिरिक्त राशि ली जाती है ।

(ख) किसी भी पट्टेदार ने अभी तक ऐसी किसी राशि देने पर आपत्ति नहीं की है ।

नागा विद्रोही

†**३१४. श्री यशपाल सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ३० जून को ओकोलोंग नामक स्थान पर, जो कि टैनैनलोग से २० मील दूर है, कुछ नागा विद्रोही भारतीय सुरक्षा बल से हुई मुठभेड़ में मारे गये; और

(ख) यदि हां, तो यह सब किन हालात में हुआ ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** :(क) और (ख). मनीपुर में नागा विद्रोहियों के नेता के छिपने के स्थान की खबर मिलने पर, हमारे सुरक्षा बलों ने इस स्थान ओकोलोंग पर ३० जून, १९६२ को छापा मारा । हमारी सुरक्षा सेनाओं और विद्रोहियों ने एक दूसरे पर गोलियां चलाईं । परिणामस्वरूप ३ विद्रोही मारे गये और कुछ शस्त्र अस्त्र भी हाथ आये ।

भवन निर्माण अनुदान

३१५. { **श्री कछवाय :**
श्री बड़े :
श्री मे० क० कुमारन :

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सांस्कृतिक संस्थाओं को इमारत बनवाने के लिये अनुदान देने का फैसला किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिये वर्ष १९६२–६३ के लिये कितनी धनराशि रखी गई है;

(ग) इस अनुदान को प्राप्त करने के लिये कौन सी शर्तें रखी गई हैं; और

(घ) अनुदान का आधार क्या होगा ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)**: (क) जी हां ।

(ख) ११ लाख रुपये ।

(ग) वे सांस्कृतिक संस्थायें, जो कम से कम तीन साल से काम कर रही हों और जो रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज एक्ट (२१—१८६०) के या इसी तरह के एक्टों के अधीन रजिस्टर हो चुकी हैं, अनुदान के लिए आवेदन कर सकती हैं ।

(घ) संस्था के काम और उसकी इमारत की जरूरत ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अल्प बचत की राशि

३१६. **श्री कछवाय :**
श्री बड़े :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अल्प बचत योजना के अन्तर्गत १९६०–६१ और १९६१–६२ वर्ष में सरकार को कितना धन मिल सका है;

(ख) वर्ष १९६२–६३ मे अल्प बचत से कितना धन एकत्र करने का लक्ष्य रखा गया है; और

(ग) इस योजना को लोकप्रिय बनाने के लिये क्या पग उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) १९६०-६१ में लगभग १०५.१६ करोड़ रुपया और १९६१–६२ में लगभग ९०.५६ करोड़ रुपया।

(ख) १९६२–६३ के बजट में छोटी बचतों से १०५ करोड़ रुपये की वास्तविक प्राप्ति होने का अनुमान किया गया है ।

(ग) छोटी बचतों के आन्दोलन के सम्बन्ध मे बराबर विचार किया जाता है और इसे अधिक लोकप्रिय बनाने के लिये समय समय पर आवश्यक उपाय किये जाते हैं।

हाल में जो बड़े-बड़े उपाय किये गये हैं उन मे से कुछ का उल्लेख नीचे किया जाता है :

(१) डाकखाना बचत बैंक में जमा की गयी रकमों के ब्याज की दर १ अगस्त, १९६२ से व्यक्तिगत खातों की १० हजार रुपये तक की जमा रकमों के लिए २½ प्रतिशत से बढ़ाकर ३ प्रतिशत और इससे अधिक की, १५ हजार रुपये तक की रकमों के लिए २ प्रतिशत से बढ़ाकर २½ प्रतिशत कर दी गयी है;

(२) बढ़ने वाली सावधिक जमा योजना (क्यूम्यूलेटिव टाइम डिपाजिट स्कीम) मे १५ वर्ष वाला खाता जारी किया गया है और १० वर्ष व १५ वर्ष वाले खातों में जमा की गयी रकमों पर आयकर में छूट पाने की सुविधा दी गयी है;

(३) सरकारी दफ्तरों और सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों (अण्डरटेकिंग) में वेतन से सीधी बचत करने की योजना जारी की गयी है;

(४) १ जून, १९६२ से राजकोष बचत जमा पत्रों (ट्रेजरी सेविंग्स डिपाजिट सर्टिफिकेट) और वार्षिकी पत्रों (एन्युइटी सर्टिफिकेट) पर दिये जाने वाले कमीशन की दर १½ प्रतिशत से बढ़ाकर १ प्रतिशत कर दी गयी है; और

(५) वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों की मार्फत छोटी बचतों के बारे में प्रचार किया जाता है ।

'आर० डी०—९ इंजिन' फैक्टरी

†३१७. **श्री अ० व० राघवन् :**
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आर० डी० ९ इंजन फैक्टरी के लिए स्थान का कोई निश्चय कर लिया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) रूसी सरकार के साथ मंत्रालय के शिष्टमंडल ने जिस करार पर हस्ताक्षर किये हैं वह विस्तार से क्या है; और

(ग) फैक्टरी को बनाने का कार्य कब से आरम्भ हो जायगा ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी हां।

(ख) इस करार का ब्योरा प्रकट करना जनहित मे नहीं होगा।

(ग) जब फैक्टरी के स्थान का निर्णय हो जायेगा, उसके बाद।

गोहाटी तेल शोधक कारखाने को प्रशोधित तेल

†**३१८. श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयल इंडिया ने १०० प्रतिशत हाई वैक्स क्रूड आयल गोहाटी रिफाइनरी को सम्भरण करना आरम्भ कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो कब से ?

†**खान और इंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी, हां।

(ख) जुलाई, १९६२ से।

मनीपुर में भूमि राजस्व तथा करों की बकाया रकम

†**३१९. श्री रिशांग किशिंग** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ मार्च, १९६२ तक भूमि राजस्व, करों और कर्जों की बकाया राशि कुल कितनी है; और

(ख) इस बकाया राशि की वसूली के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

नागा विद्रोही

†**३२०. श्री रिशांग किशिंग** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई, जून और जुलाई, १९६२, में मनीपुर में आत्म समर्पण करने वाले, गिरफ्तार होने वाले और मरने वाले नागा विद्रोहियों की संख्या क्या है ;

(ख) इनमें स्थानीय और गैर स्थानीय लोगों की संख्या क्या है ; और

(ग) प्रतिरक्षा बलों द्वारा जो दस्तावेज उनसे छीनी गयी हैं उनसे उनकी भविष्य के कार्यक्रमों तथा गतिविधियों पर क्या प्रकाश पड़ता है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) जनहित में यह जानकारी प्रकट नहीं की जा सकती।

---

†मूल अंग्रेजी में

सोने का तस्कर व्यापार

†३२१. श्री राम रतन गुप्त :
श्री प० कुन्हन :
श्री मे० क० कुमारन :
श्री नम्बियार :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून १९६२ को पालम हवाई अड्डे पर एक बी० ओ० ए० सी० के कैप्टन को गिरफ्तार किया गया था, जिसके पास से २ लाख रुपये का सोना पकड़ा गया ; और

(ख) यदि हां, तो एयर लाइन्ज़ के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) २७ जून, १९६२ को श्री चार्ल्स मरलोने नाम के एक व्यक्ति को पालम हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क प्राधिकारियों ने गिरफ्तार किया था। वह ब्रिटिश ओवरसीज़ एयर लाइनज़ कारपोरेशन के फ्लाइट इंजीनियर हैं उनके पास से १५ किलो सोना जिसका मूल्य लगभग १,७५,००० रुपये अनुमान है, भी पकड़ा गया।

(ख) मामले की जांच हो रही है ?

कटंगा में भारतीय सैनिक

†३२२. **श्री राम रतन गुप्त** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २७ जून, १९६२ को भारतीय सैनिकों को रेलवे दुर्घटना हो जाने के कारण चोटें आई थीं ; और

(ख) यदि हां, तो विस्तार से यह मामला क्या है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)**: (क) और (ख). २७ जून, १९६२ को कटंगा में कोई रेलवे दुर्घटना नहीं हुई जिसमें कि कोई भारतीय सैनिक के चोट आई हो। शायद यह उल्लेख २६ जून, १९६२ को रेलवे दुर्घटना का है। इस दुर्घटना में मलोंदा रेलवे स्टेशन के पास एक बलूबा शरणार्थी गाड़ी माल और यात्री मिली जुली गाड़ी से टकरा गयी थी। यह दुर्घटना कुछ रेलवे कर्मचारियों की भूल से हुई थी। ५ भारतीय सैनिकों और १६ शरणार्थियों को साधारण चोटें आई थीं। सभी को गाड़ी के साथ चल रहे चिकित्सा अधिकारी की ओर से सहायता पहुंचा दी गयी थी।

राज्यों में अल्पसंख्यक

†३२३. **श्री नटराज पिल्ले** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों में अल्पसंख्यों के हितों के संरक्षण के लिये जो व्यवस्था है उसके कार्यान्वित होने के बारे में प्रतिवेदन देने वाला केन्द्रीय सरकार का कोई अधिकरण है ; और

(ख) केरल राज्य में इस अधिकरण का अभिकर्ता कौन है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)**: (क) और (ख). भाषाई अल्पसंख्यकों सम्बन्धी आयुक्त इन मामलों सम्बन्धी संरक्षणों की जांच करता है जिनकी इनके लिये व्यवस्था की गयी है। केरल राज्य में इससे अलग और कोई अभिकर्ता नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

डोगरी भाषा को प्रोत्साहन

†३२४. **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मन्त्री यह बतलाने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'साहित्य अकादमी' द्वारा डोगरी भाषा के प्रोत्साहन के लिये कुछ सहायता दी जा रही है जो कि जम्मू और काश्मीर राज्य के जम्मू क्षेत्र की भाषा है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी और कसे ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)**: (क) और (ख). जी नहीं; परन्तु मन्त्रालय ने जम्मू और काश्मीर राज्य को १९६०–६१ में २००० रुपये की सहायता इस कार्य के लिये दी थी कि वह निम्नलिखित पुस्तकों के प्रकाशन की व्यवस्था करे :—

१. डोगरी लोकगीत उर्दू अनुवाद सहित . .	.	१,२५० ००
२. डोगरी कला और साहित्य का संक्षिप्त इतिहास (अंग्रेजी)	.	७५० ००
कुल	.	२,००० ००

बिहार में आदिम जाति के लोग

†३२५. **श्री डा० उ० मिश्र** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के सिंहभूम जिले तथा अन्य जिलों में फालतू भूमि भूमिहीन आदिम जाति लोगों को दी जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिये कोई योजना बनाई गयी है ; और

(ग) बिहार में भूमिहीन आदिम जाति के लोगों की संख्या क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) जी हां ।

(ख) बिहार सरकार से जानकारी मांगी गयी है ।

(ग) केन्द्रीय सरकार के पास इसकी जानकारी नहीं है । बिहार सरकार से इसके बारे में पूछा जा रहा है, यदि उनसे कुछ जानकारी उपलब्ध हुई तो उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

लोहा और इस्पात नियंत्रक के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता

†३२६. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मन्त्री २६ मार्च, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३१९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोहा इस्पात नियन्त्रक के लिये कर्मचारियों की आवश्यकता के बारे में एस० आर० यूनिट का प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है ; और

(ख) बाकी के स्थानों को कब तक स्थायी बना दिया जायेगा ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) जी नहीं ।

(ख) अतिरिक्त अस्थायी पदों के स्थायीकरण के प्रश्न का परीक्षण वित्त मन्त्रालय के एस० आर० यूनिट के प्रतिवेदन की पृष्ठभूमि में किया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए दिल्ली में छात्रावास

†३२७. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की माल रोड पर स्थित पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के छात्रावास के लिये सरकार सहायता दे रही है ;

(ख) इस सहायता की राशि क्या है ; और

(ग) क्या यह निःशुल्क छात्रावास है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)**: (क) जी हां, गृह-कार्य मंत्रालय अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ द्वारा संचालित विद्यार्थियों के छात्रावास के लिए, जो कि दिल्ली में माल रोड पर स्थित है अनुदान देता रहा है ।

(ख) संघ को छात्रावास के लिए १९५६–५७ से दी जा रही सहायता का वर्ष वार ब्योरा नीचे दिया जाता है ।

(ग) इस छात्रावास में रहने वाले छात्रों को मुफ्त आवास और खाने की सुविधायें दी जाती हैं। ८० प्रतिशत खर्चा सरकारी अनुदान से चलता है और २० प्रतिशत की जिम्मेदारी संघ पर है।

विवरण

वर्ष	राशि
१९५६–५७	८,०००
१९५७–५८	१२,०००
१९५८–५९	१२,०००
१९५९–६०	१२,०००
१९६०–६१	८,९७०
१९६१–६२	८,७६०
१९६२–६३	८,७६०

अन्तर्राष्ट्रीय ग्रीष्म कालीन ग्राम शिविर जापान

†३२८. **श्री बिशन चन्द्र सेठ** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत की राजधानी के विभिन्न पब्लिक स्कूलों से चार बच्चे चुने गये हैं जो कि जापान में अन्तर्राष्ट्रीय ग्रीष्मकालीन ग्राम शिविर में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे;

(ख) यदि हां, तो लड़कों को चुनने की क्या कसौटी थी; और

(ग) इस शिष्टमंडल को किस सीमा तक सरकार से सहायता मिलेगी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**:(क) से (ग). मंत्रालय को इस शिष्टमंडल का कुछ भी पता नहीं है । इसके लिए कोई अनुदान नहीं दिया गया । फिर भी भारतीय पब्लिक स्कूलों के सम्मेलन से इस मामले के तथ्यों की जांच की गयी है जिसे यथा समय सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब में कोयले की कमी

३३०. श्री बागड़ी
श्री गुलशन
श्री बूटा सिंह } : क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि पंजाब में कोयले की कमी के कारण ईंटों के भट्ठे बन्द हो रहे हैं जिसके कारण नये मकानों का निर्माण और विस्तार के कामों में बहुत रुकावट पैदा हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार पंजाब को कोयला पहुंचाने के लिये क्या कदम उठा रही है और हाल ही में कितनी गाड़ियां कोयला पंजाब को दिया जा रहा है ?

खान और इंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) जून, १९६२ से कोयला नियंत्रक ने सारे राज्यों के लिए बल्क कोटे (एक मुश्त) का संशोधन किया है। यह राज्य सरकारों पर निर्भर है कि वे विभिन्न सूचियों के उपभोक्ताओं की पिछली खपत और उनकी आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए उनके बीच में समस्त कोटे में से बल्क कोटे का वितरण करें। जून, १९६२ के दौरान में पंजाब के लिए बी० आर० के० कोयला के कोटे के १३५६ वैगन निश्चित किये गये किन्तु १४६५ वैगनों का प्रेषण हुआ।

(ख) जुलाई, १९६२ के पंजाब के लिए बल्क कोटे में ३७२ वैगनों की वृद्धि की गई है। तो भी, पंजाब के लिए जम्मू और काश्मीर की कालाकोट खानों से ईंटों को पकाने वाले कोयले की समधिक सप्लाई का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

विश्वविद्यालय शिक्षा समिति

३३१. **श्री रा० स० तिवारी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय शिक्षा समिति की स्थाई समिति की स्थापना हो चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो समिति में कितने सदस्य रखे गये हैं और उनके नाम क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी हां।

(ख) समिति में निम्नलिखित १२ सदस्य हैं :—

डा० सी० पी० रामस्वामी अय्यर (अध्यक्ष)
प्रोफेसर एस० एन० बोष
डा० सुनीति कुमार चटर्जी
डा० डी० आर० गाडगील
डा० पी० के० केलकर
पण्डित हृदय नाथ कुंजरू
प्रोफेसर एम० मुजीब
प्रोफेसर हीरेन मुकर्जी

---

†मूल अंग्रेजी में

डा० विक्रम साराभाई
प्रोफेसर एम० एन० श्रीनिवास
प्रोफेसर ए० आर० वाडिया
श्रीमती पुरोयल वासी (सदस्य सचिव)

राजस्थान में तांबे की खानें

†३३२. **श्री काशीराम गुप्त :**
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रयोग द्वारा यह सिद्ध हो गया है कि राजस्थान की खोह–दरीबा तांबे की खानों में धातु गलाने वाला यंत्र अलग से लगाना पड़ेगा;

(ख) यदि नहीं; तो खोह–दरीबा से खेतरी तक अयस्क के लाने ले जाने के लिए परिवहन का कौन सा ढंग अपनाया जायेगा;

(ग) खोह–दरीबा तथा उसके आस पास का क्षेत्र काफी मीलों तक फैला है और उसमें विभिन्न खनिज प्राप्त हैं, तो क्या सरकार खोह–दरीबा को एक ओर से खेतरी के साथ और दूसरे ओर अलवर के साथ रेलवे द्वारा मिलाने के प्रश्न का परीक्षण कर रही है;

(घ) क्या खेतरी और खोह–दरीबा के लिए भाखड़ा नंगल परियोजना से बिजली प्राप्त होगी अथवा खानों के लिए अलग से बिजली पैदा करने वाला संयंत्र लगाया जायेगा; और

(ङ) खेतरी और खोह–दरीबा क्षेत्रों में प्रतिदिन का उत्पादन क्या होगा और इस क्षेत्र में अयस्क से निकलने वाले तांबे की प्रतिशतता क्या है ?

†**खान और इंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) दरीबे में प्रति वर्ष १५०० टन तांबे का उत्पादन होगा अतः गलाने वाले यंत्र की अलग से जरूरत होगी ।

(ख) प्रतिदिन २०० टन अयस्क की मात्रा खानों से निकाली जायेगी, और वही उसमें से १५-१६ टन तांबा निकाला जायेगा, और हर रोज खेतरी भेज दिया जायेगा, जहां पर कि गलाने वाला यंत्र लगाया जायेगा ।

(ग) अयस्क के इतने अधिक निक्षेप नहीं कि अलग से संयंत्र लगाने की आवश्यकता हो, अतः रेलवे लिंक स्थापित करने का कोई प्रश्न ही नहीं है ।

(घ) इन परियोजनाओं के लिए बिजली राजस्थान राज्य विद्युत् बोर्ड से प्राप्त की जायेगी । उपलब्धि के अनुसार सम्भरण के साधन का निर्णय भी हो जायेगा ।

(घ) खेतरी में ६८०० टन प्रति दिन के उत्पादन का अनुमान है जो कि १ प्रतिशत ग्रेड के तांबे का होगा, और दरीबा में २०० टन प्रति दिन अयस्क उत्पादन का अनुमान है जो कि २.५ प्रतिशत ग्रेड के तांबे का होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खनन उद्योग के लिए प्राविधिक कर्मचारी

†३३३. **श्री वी० चं० शर्मा :** क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा खनन उद्योग के प्राविधिक कर्मचारियों के लिए एकीकृत परीक्षण की व्यवस्था की गयी है ताकि सरकारी क्षेत्र में खनन उद्योग की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ हो सकें; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में होने वाली प्रगति विस्तार से क्या है ?

†**खान और इंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) खनन उद्योग की सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण की योजना बना ली गयी है ।

(ख) दो समितियों का निर्माण कर दिया गया है । एक वरिष्ठ प्राविधिक कर्मचारियों के लिए और एक कनिष्ठ प्राविधिक कर्मचारियों के लिए । दोनों समितियां खनन कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए सुविधायें प्राप्त करने के प्रश्न का परीक्षण कर रही हैं ।

सिंगरैनी कोयला खानें

†३३४. **श्री रा० ना० रेड्डी :** क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंगरेनी कोलियरीज़ कम्पनी को १८,०००/२०,००० किलोवाट की कुल क्षमता वाले बिजली पैदा करने वाले यंत्र खरीदने की अनुमति दे दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो इस की कीमत क्या है; और

(ग) वे किस देश से उपलब्ध होंगे और उनका भुगतान कब तक हो जायेगा ।

†**खान और इंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) सिंगरैनी कोलियरीज़ कम्पनी को बिजली की कमी हो रही ह उसे पूरा करने के लिए वह 'पैकेज़ सैट्स' खरीदने पर विचार कर रही है ।

(ख) इसके लिए कुल व्यय का अनुमान २.५ कराड़ रुपये है ।

(ग) कम्पनी ने जो पूछताछ की थी उसके उत्तर में कई देशों से टैंडर आये हैं और उनकी छानबीन की जा रही है ।

सिंगरैनी कोयला खानों को सहायता

†३३५. **श्री रा० ना० रेड्डी :** क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंगरैनी कोलियरीज़ कम्पनी को रेत की थाक लगाने (सैण्ड स्टोइंग) के लिए कितनी राशि १९६१-६२ में सहायता के रूप में दी गयी है;

(ख) १९६२-६३ के वर्ष की प्रथम तिमाही में कम्पनी ने कितनी राशि की मांग की है; और

(ग) कितनी राशि स्वीकृत हूई है और कितनी अब तक अदा की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†खान और इंधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) सिंगरैनी कोलियरीज कम्पनी को रेत की थाक लगाने (सैण्ड स्टोइंग) के लिये १९६१-६२ के लिये कोई सहायता नहीं दी गई, क्योंकि कम्पनी ने इस के लिये सभी औपचारिकताओं को पूरा कर के आवश्यक जानकारी के साथ आवेदन पत्र ही २८ जन, १९६२ को दिया। आवेदन पत्र कोयला बोड के विचाराधीन हैं।

(ख) कम्पनी ने १,०५,६९९ रुपये, ६९ नये पैसा का दावा अप्रैल और मई १९६२ के लिये किया हैं। जून १९६२ के लिये दावा अभी तक कोयला बोर्ड के पास नहीं पहुंचा।

(ग) कम्पनी का १९६२-६३ के लिये आवेदन पत्र भी बोर्ड के विचाराधीन हैं।

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना

†३३६. श्रीमती लक्ष्मी बाई : क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९६१-६२ में राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत आंध्र प्रदेश के छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या क्या हैं ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : १६३।

कांगो के लिए सैनिक

†३३७. श्री बूटा सिंह।
श्री गुलशन :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करगे कि :

(क) १९६१-६२ में सभी प्रकार के जो सैनिक कांगो भेजे गये थे उन की कुल संख्या क्या थी, जिन लोगों ने अपनी जानें दे दीं उन की संख्या क्या हैं ;

(ख) क्या उन के परिवारों को कोई मुआवजा दिया गया हैं।

(ग) यदि हां, तो वह विस्तार से क्या हैं ; यदि नहीं तो इस के क्या कारण है ; और

(घ) उपरोक्त परिवारों की देखभाल के लिये और उन के बच्चों के रोजगार और शिक्षा के लिये क्या किया जा रहा हैं ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) १९६१-६२ में कांगो में भेजे जाने वाले सैनिकों की कुल संख्या ५६६१ थी। इस के अतिरिक्त ३ नौ सेना, और २८२ वायु सेना के लोग भी थे। कांगों में लड़ाई करते हुए १५ भारतीय सैनिक मारे गये।

(ख) जी हां।

(ग) विवरण सभा पटल पर रखा जाता हैं। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३६]**

(घ) सैनिकों, नाविकों और वैमानिकों के बोर्ड सब जिलों में फैले हुए है और भतपूर्व सैनिकों के परिवारों की देखभाल करते है। क्या सहायता दी जा रही हैं इस का सविस्तार ब्योरा इस समय उपलब्ध नहीं हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

पुलिस द्वारा लाठी चार्ज और गोली चलाना

†३३८. { गुलशन :
श्री बूटा सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय प्रशासन के अन्तर्गत ऐसे स्थानों के नाम क्या है जहां गत तीन वर्षों में लाठी-चार्ज हुआ अथवा गोली चली । और एसे स्थानों का नाम जहां 'कर्फ्यू' लगे और धारा १४४ लागू की गई ;

(ख) इन गोली चलाने के कांडों के कारण मरने वाले, घायल होने वाले अथवा अपंग होने वालों की संख्या क्या हैं ; और

(ग) जिन के विरुद्ध मुकदमे चलाये गये तथा जितनों को सजा हुई उन की संख्या क्या हैं ; और जिन के मुकदमे वापिस लिये गये और जिन के मुकदमे अभी चल रहे है उन की संख्या क्या हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी एक त्रत की जा रही हैं और यथा समय पटल पर रख दी जायेगी ।

योगाभ्यास

†३३९. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में योगाभ्यास तथा चिकित्सा की उन्नति के लिये क्या कार्यवाही की गई हैं ;

(ख) आगामी पांच वर्षों में क्या कार्यवाही करने का विचार हैं ; और

(ग) क्या ब्योरे बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) गत पांच वर्षों (१९५७-५८ से १९६१-६२) में योग की उन्नति के लिये निम्नलिखित कार्यवाही की गई हैं :

(१) यौगिक अध्यापकों को प्रशिक्षण देने समेत योग्याभ्यास की गवेषणा और प्रचार के लिये ५,६३,०४७ रुपये का अनुदान स्वीकार किया गया ।

(२) 'शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन की राष्ट्रीय योजना' की सिफारिश के अनुसार लड़के तथा लड़कियों की शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में नमूने के तौर पर चुने हुए यौगिक व्यायाम शामिल करना ।

(३) शारीरिक शिक्षा लक्ष्मीबाई कालिज (ग्वालियर) के तीन वर्ष के डिग्री पाठ्य-क्रम में योग को एक विषय शामिल करना ।

(४) योग की प्रतिक्रियाओं के विशेषीकरण के लिये शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों को तीन छात्रवृत्तियां ; और

(५) यौगिक प्रक्रियाओं की चिकित्सा सुविधाओं का अध्ययन करने के लिये तथा मूल्यांकन करने के लिये चिकित्सा विशेषज्ञों की एक समिति स्थापित की गई थी

---

†मूल अंग्रेजी में

जिस में योगिक चिकित्सा में लगी हुई संस्थाओं के वैज्ञानिक विकास के बारे में सिफारिश करने को कहा था । समिति का प्रतिवेदन विचाराधीन हैं ।

(ख) और (ग). उपरोक्त धारा २ में बनाये गये कार्यक्रम आगामी पांच वर्षों में किये जायेंगे । इस के साथ साथ चिकित्सा-विशेषज्ञों की समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने का विचार हैं ।

जन्माष्टमी की छुट्टी

†३४०. **श्री च० का० भट्टाचार्य :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि सरकार ने राष्ट्रीय पंचांग के अनसार १९६२ में जन्माष्टमी की छुट्टी २३ अगस्त को घोषित नहीं की हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि पश्चिम बंगाल और पंजाब राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार के विपरीत जन्माष्टमी की छुट्टी राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार २२ अगस्त को की हैं ।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) :** (क) और (ख). सामान्यतः छुट्टिया भारतीय पंचांग तथा कैलेन्डर की तिथियों पर घोषित की जाती है । परन्तु जब यह तिथियां कैलेन्डर के अनुसार नहीं होतीं तो भारत सरकार उसी दिन की छुट्टी घोषित कर देती हैं जिस दिन जनता उस को मनाती हैं । क्योंकि ऐसा मालूम हुआ था कि दिल्ली में जन्माष्टमी २३ अगस्त १९६२ को मनाई जायेगी इसलिये उसी दिन की छुट्टी घोषित की गई ।

(ग) राज्य सरकार भी उसी दिन की छट्टी करती है जिस दिन की जनता मनाती हैं । राज्यों में अवस्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में राज्य सरकार के अनुसार छुट्टियां होती है ।

स्कूल एटलस

†३४१. **श्रीमती मैमूना सुल्तान :**
श्री मोहन स्वरूप :

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह मालूम हुआ है कि काश्मीर अथवा उस के किसी भाग को पाकिस्तान का अंग दिखाने वाली एटलस दिल्ली के स्कूलों में काम में लाई जा रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मुल अंग्रेजी में

डाक द्वारा शिक्षा

†३४२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक द्वारा शिक्षा तथा सायंकालीन कालिजों की योजना के ब्योरों पर विचार करने के लिये स्थापित समिति ने अपने प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दे दिया हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य सिफारिशें क्या है तथा समिति की उपपत्तियां क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). समिति ने डाक द्वारा शिक्षा संबंधी अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है । समिति द्वारा की गई सिफारिशों के सारांश का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता हैं । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३७ ।]**

समिति ने सांयकालीन कालिजों के बारे में अभी पूरी तरह विचार नहीं किया हैं ।

खम्भात में तेल तथा गस की खोज

†३४४. **श्री हेम बरूआ** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खम्भात क्षेत्रों में तेल तथा गैस की खोज के कार्य में क्या प्रगति हुई हैं ;

(ख) क्या यह सच हैं कि इस क्षेत्र में तेल के बजाये गैस की खोज की अधिक आशा हैं ;

(ग) यदि हां, तो श्रेणीवार इस क्षेत्र में अब तक कितने कुंवे खोदे गये ;

(घ) क्या यह भी सच हैं कि खम्भात में खोज का कार्य इतनी शीघ्रता से नहीं हो पा रहा हैं जितनी शीघ्रता से होना चाहिये ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या इस धीमी गति के कारणों का पता लगाया जा रहा हैं ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). ३१ मार्च १९६२ तक तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने खम्भात में २५ कुवें पूरे कर लिये गये है ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी नहीं ।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अन्दमान के लिए सलाहकार समिति

†३४५. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्दमान द्वीपसमूह के लिये गृह-कार्य मंत्री की सलाहकार समिति में कितने सदस्य हैं तथा उन के क्या नाम है ; और

(ख) समिति के सदस्यों का नाम निर्देशन किस आधार पर होता हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह के लिये गृह-कार्य मंत्री की सलाहकार समिति में निम्न आठ सदस्य हैं :—

१. अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह के मुख्य आयुक्त

---

†मूल अंग्रेजी में

२. श्री निरंजनलाल—संसद सदस्य—अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह के प्रतिनिधि

३. श्री के० आर० गणेश—पोर्ट ब्लेअर म्यूनिसिपल बोर्ड के वरिष्ट उप-सभापति

४. बिशप जान रिचर्डसन

५. श्री रजनी रंजन सरकार

६. श्री राजेन्द्रलाल साहा

७. श्री लक्ष्मण सिंह :

८. रानी लक्ष्मी ।

अन्दमान और निकोबार द्वीप के प्रतिनिधि संसद सदस्य क्या पोट ब्लेअर म्यूनिसिपल बोर्ड के वरिष्ठ उप-सभापति स्थायी सदस्य हैं। अन्य गैर-सरकारी सदस्य प्रत्येक वर्ष द्वीपसमूह के स्थायी निवासियों में से प्रति वर्ष नामनिर्देशित होते हैं जिससे विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व हो सके।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

बीमा अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : मैं बीमा अधिनियम, १९३८ की धारा २ग की उपधारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक क प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) दिनांक २ जून, १९६२ की एस० ओ० संख्या १६५६ ।

(२) दिनांक २ जून, १९६२ की एस० ओ० संख्या १६५७ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २८४/६२ ।]

कोयला खान (संरक्षण और सुरक्षा) (चौथा संशोधन) नियम :

†**खान और ईंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : मैं कोयला खान (संरक्षण और सुरक्षा) अधिनियम, १९५२ की धारा १७ की उपधारा (४) के अन्तर्गत दिनांक २३ जून, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८४६ में प्रकाशित कोयला खान (संरक्षण और सुरक्षा) (चौथा संशोधन) नियम, १९६२ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २८५/६२ ।]

अन्तर्राज्य निगम अधिनियम के अन्तर्गत आदेश

दिल्ली नगर निगम (काउन्सिलरों का निर्वाचन) नियम, मंत्रियों के (भत्ते, चिकित्सा और अन्य विशेषाधिकार) संशोधन नियम

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : मैं निम्नलिखित सभा पटल पर रखता हूं :—

(क) अन्तर्राज्य निगम अधिनियम, १९५७ की धारा ४ की उप-धारा (५) के अन्तर्गत निम्नलिखित आदेशों की एक-एक प्रति :—

---

†मूल अंग्रेजी में

(१) दिनांक १६ दिसम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या १४६७ में प्रकाशित खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (बम्बई, पूना और पूर्व खानदेश) (पुनर्रचना) आदेश, १९६१, दिनांक ३० दिसम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १५४४ में प्रकाशित उसके एक संशोधन सहित ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २८६/६२ ।]

(२) दिनांक २६ मई, १९६२ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १५६२ में प्रकाशित मध्य प्रदेश दन्त चिकित्सा परिषद् (पुनर्रचना) आदेश, १९६२ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २८७/६२ ।]

(ख) दिल्ली नगर निगम अधिनियम, १९५७ की धारा ४७९ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत दिनांक ३ जनवरी, १९६२ के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या १९/१०८/६१–दिल्ली की एक प्रति, जिसमें दिल्ली नगर निगम (काउन्सिलरों का निर्वाचन) नियम, १९६२ दिये हुए हैं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २८८/६२ ।]

(ग) मंत्रियों के वेतन भत्ते अधिनियम, १९५२ की धारा ११ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत दिनांक ८ जून, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७७५ में प्रकाशित मंत्रियों के (भत्ते, चिकित्सा और अन्य विशेषाधिकार) संशोधन नियम, १९६२ की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २८९/६२ ।]

बिक्री कर (संशोधन) नियम

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : मैं निम्न पत्र की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

दिल्ली में लागू बंगाल वित्त (बिक्री कर) अधिनियम, १९४१ की धारा २६ क उप-धारा (४) के अन्तगत दिनांक १३ जुलाई, १९६१ के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ ३(३१)/५८–फिन(ई), जिसमें दिल्ली बिक्री कर (संशोधन) नियम, १९६१ दिये हुए हैं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २९०/६३ ।]

राज्य सभा से सन्देश

†**सचिव** : मुझे राज्य सभा से प्राप्त एक सन्देश की सूचना देनी है कि राज्य सभा ने ६ अगस्त, १९६२ की अपनी बैठक में एक प्रस्ताव स्वीकार किया था, जिसके द्वारा परिसीमन बिल, १९६२ को ३० सदस्यों की दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा गया है, जिसमें राज्य सभा के १०, अर्थात् :—

१. श्रीमती वायलेट आल्वा, २. श्री पी० एन० सप्रू, ३. पंडित एस० एस० एन० तंखा, ४. श्री के० के० शाह, ५. श्री बी० के० पी० सिन्हा, ६. श्री एस० के० बसु,

---

†मूल अंग्रेजी में

७. दीवान चमनलाल, ८. श्री बी० रघुनाथ रेड्डी, ९. श्री एम० रत्तनस्वामी, १०. श्री दिवाकर पटनायक ।

और लोक सभा के २० सदस्य हों और यह सिफारिश की है कि लोक सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और लोक सभा द्वारा उक्त संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नाम उस सभा को बताये ।

सदस्यों की गिरफ्तारी

अध्यक्ष महोदय : मुझे लोक सभा को बताना है कि उन्हें भोपाल के पुलिस सुपरिन्टेन्डेण्ट से दिनांक ६ अगस्त, १९६२ का एक तार मिला है जिसमें यह बताया गया है कि लोक-सभा के सदस्य सर्व श्री हुक्म चन्द कछवाय, रामचन्द्र विट्ठल बड़े और होमी एफ० दाजी को भोपाल में मध्य प्रदेश विधान सभा के विनियमित क्षेत्र के अन्दर प्रतिबन्ध तोड़ने के लिए ६ अगस्त, १९६२ को भारतीय दंड संहिता की धारा १८८ के अधीन गिरफ्तार कर लिया गया ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : उन्हें ६ अगस्त को गिरफ्तार किया था, परन्तु सूचना ८ तारीख को मिली है । मैं और श्री इन्द्रजीत गुप्त ने अपने आपको १२ जुलाई को गिरफ्तार करवाया था । हमने जमशेदपुर से लोक सभा सचिवालय को पत्र लिखे, परन्तु उनमें से कोई यहां नहीं पहुंचा । आशा है कि मेरे मित्रों से वैसा ही व्यवहार नहीं होगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि पहले कुछ नहीं किया गया है तो वे मेरे ध्यान में उस बात को लाएं । मुझे तो यह तार मिला है । वे अपने पत्रों के सम्बन्ध में लिख कर दें । जांच मैं करवाऊंगा यह तार कल मिला था ।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मन्दसौर) : यह तार कल ही क्यों मिला है जब कि वे ६ तारीख को गिरफ्तार हुए ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह ६ तारीख को भेजा होगा और यहां ७ तारीख को पहुंचा होगा ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : आप इसका सत्यापन कीजिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं करूंगा ।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : मैं गिरफ्तारी की परिस्थितियां जानना चाहता था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जो जानकारी मेरे पास थी, मैंने पढ़ दी । यह तार ६ तारीख को भेज गया था ।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

चौथा प्रतिवेदन

†**श्री कृष्णमूर्ति राव** (शिमोगा) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का चौथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सभा का कार्य

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह)** : मैं यह घोषणा करता हूं कि आपकी और सदन के कुछ सदस्यों की इच्छानुसार सरकार ने बिजली की सप्लाई को बन्द होने के बारे में एक अल्पकालिक चर्चा के लिए समय देना स्वीकार कर लिया है। चर्चा गुरुवार, ९ अगस्त, १९६२ को ३ म० पू० बजे होगी।

सीमा शुल्क विधेयक

प्रवर समिति के प्रतिवेदन को पुरस्थापित करने का समय बढ़ाया जाना

†**श्री कृष्णमूर्ति राव** (शिमोगा) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :—

"कि सीमा शुल्क सम्बन्धी विधि को समेकित और संशोधित करने वाले विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति के प्रतिवेदन को उपस्थापित करने के लिये नियत किये गये सम को अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक बढ़ा दिया जाये।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि सीमा शुल्क सम्बन्धी विधि को समेकित और संशोधित करने वाले विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति के प्रतिवेदन को उपस्थापित करने के लिये नियत किये गये समय को अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक बढ़ा दिया जाये।"

†**श्री सोनावने** (पंढरपुर) : समिति का काम क्यों समाप्त नहीं हो सका और प्रतिवेदन क्यों प्रस्तुत नहीं किया गया ?

†**श्री कृष्णमूर्ति राव** : हम तो नियत समय तक काम समाप्त करना चाहते थे। परन्तु माननीय सदस्य अधिक गवाहों से जिर्हा करना चाहते थे और सत्र के दिनों में वे समिति की बैठकें नहीं चाहते थे, अतः अगले सत्र के पहले सप्ताह तक समय बढ़ाने के लिए कहा गया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि सीमा शुल्क सम्बन्धी विधि को समेकित और संशोधित करने वाले विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति के प्रतिवेदन को उपस्थापित करने के लिये नियत किये गये समय को अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अतिम दिन तक बढ़ा दिया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

भुमि अर्जन संशोधन विधेयक

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)**: मुझे भूमि अर्जन अधिनियम, १८९४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :—

"कि भूमि अर्जन अधिनियम, १८९४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः-स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : जब यह पहले ही घोषणा कर दी गई थी कि सभा ९ अगस्त से बैठेगी तो अध्यादेश की क्या आवश्यकता थी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : जब विधेयक पुरःस्थापित किया जाए तो उस समय यह मामला नहीं उठाना चाहिए । यह मामला तो विचार के समय उठाएं ।

प्रश्न यह है :—

"कि भूमि अर्जन अधिनियम, १८९४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री स० का० पाटिल** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

भूमि अर्जन (संशोधन) अध्यादेश के बारे में वक्तव्य

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम ७१(१) के अधीन अपेक्षित भूमि अर्जन (संशोधन) अध्यादेश, १९६२ द्वारा तत्काल विधान बनाने के कारण बताने वाले व्याख्यात्मक विवरण की एक प्रति सभा पटल पर रख रहा हूं । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० २९१/६२ ।]**

प्रत्यर्पण विधेयक—जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री अ० कु० सेन द्वारा ७ अगस्त, १९६२ को प्रस्तुत किये गए निम्नलिखित विधेयक पर आगे चर्चा होगी :—

"कि भगौड़े, अपराधियों के प्रत्यर्पण सम्बन्धी विधि को समेकित और संशोधित करने वाले विधेयक को पारित किया जाए ।"

श्री दी० चं० शर्मा अपना भाषण जारी रखें ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : यह कहा गया है कि राष्ट्रमण्डलीय देशों से पक्षपात किया गया है । यह बात गलत है । उन पर भी अन्य देशों के समान प्रतिबन्ध और शर्तें लागू होंगी सरकार खण्ड १२(२) के अन्तर्गत राष्ट्रमण्डलीय देशों के साथ द्विपक्षीय करार करेगी । राष्ट्रमण्डलीय प्रत्यर्पण विधेयक के मामले में जो बातें कर यह बात सही नहीं है । उन पर भी कानून की कई व्यवस्थाएं लागू होती हैं । कई प्रक्रिया के नियम लागू होते हैं । अतः सदस्यों का यह डर कि राष्ट्रीय मण्डलीय देशों के साथ पक्षपात किया जा रहा है उचित नहीं ।

खण्ड १७ में लिखे गये वारण्ट की प्रमाणीकरण और मामले के सार के सम्बन्ध में मजिस्ट्रेट द्वारा छानबीन की जा सकेगी; उसका केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदन भी आवश्यक होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हमने इस विधेयक के सम्बन्ध में इतने संरक्षण रखे हैं कि कोई इसका अनुचित लाभ नहीं उठा सकेगा ।

यह प्रत्यर्पण विधेयक पास कर दिया जाए ।

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : कम्युनिस्ट दल के उपनेता ने कहा कि सरकार की ओर से जो वक्ता थे उन्होंने इस विधेयक का अध्ययन नहीं किया और इस विधेयक के बारे में उनका ज्ञान कुछ नहीं था ।

हमारा सदन और संसदीय संस्थाओं के प्रति यह महान् उत्तरदायित्व है कि सदन के प्रति आदरणीय बर्ताव करें और विशेषकर अपने विरोधी सदस्यों के प्रति आदर का भाव रखेंगे । चूंकि सरकार विरोधी सदस्यों के प्रति आदर का भाव रखती है अतः विरोधी सदस्यों को भी सरकार के प्रति आदर का भाव रखना चाहिए ।

माननीय सदस्य ने यह कहना चाहा कि उन्होंने विधेयक का अधिक गहन अध्ययन किया था । मैं यह स्पष्ट करने की चेष्टा करूंगा कि उनके गहन अध्ययन ने उन्हें भ्रम में डाल दिया है और उन भ्रमों के कारण उन्होंने सरकार पर यह आरोप लगाए हैं कि हमने इस विषय की ओर ध्यान नहीं दिया है और हमने जल्दी की है । यह इसलिये है क्योंकि वे कहते हैं कि हम राष्ट्रमण्डलीय देशों को अनुचित लाभ पहुंचा रहे हैं । वे इस बात को भूल जाते हैं कि कई संरक्षण हैं जो कि सार राष्ट्रमण्डलीय और अन्य देशों के सम्बन्ध में प्रक्रिया को एक सा ही बना देते हैं । इससे पहले कि भगौड़े अपराधी पाकिस्तान वापिस लेते तो इसे राष्ट्रमण्डलीय देश की परिभाषा में आना चाहिय । इसके लिये केन्द्रीय सरकार को अधिसूचना करनी पड़ेगी । यही खण्ड १२ में है । यदि माननीय सदस्य और अधिक गहन अध्ययन करते तो वे उसे अधिक अच्छी प्रकार समझते । अतः पूर्व इसके कि पाकिस्तान तृतीय अध्याय का लाभ उठा सके उसे राष्ट्रमण्डलीय देश अधिसूचित करना पड़ेगा । अधिसचना से पूर्व इसे भारत क साथ द्विपक्षीय समझौता करना होगा । द्विपक्षीय समझौते में यह बात विशिष्ट करनी होगी कि किन परिस्थितियों में और किन अपराधों के लिये दो देशों में प्रत्यर्पण होगा और द्विपक्षीय करारों में अपराधों की सूची देने में सरकार द्वितीय अनुसूची में लिखे गये अपराधों में कोई अपराध सरकार नहीं जोड़ सकेगी, क्योंकि प्रत्यर्पण अपराध अधिनियम में लिखे हुए हैं । उनकी सीमा के अन्दर द्विपक्षीय करारों में यह विशिष्ट करता है कि किन अपराधों पर पाकिस्तान और भारत में प्रत्यर्पण होगा ।

करारों के बाद इसे केन्द्रीय सरकार द्वारा परिवर्तित रूप में खण्ड १२(२) के अन्तर्गत अधिसूचित करना पड़ेगा । श्री मुकर्जी यह बात कहनी भूल गए । मुझे ऐसा विचार करने से घृणा है कि उन्होंने अपना भाषण देने से पूर्व विधेयक का अध्ययन ठीक नहीं किया है ।

और संरक्षण यह है कि खण्ड १५ में निर्दिष्ट वारण्ट सामान्यतः नहीं भेजा जाएगा । केन्द्रीय सरकार को इसके समर्थन का अधिकार होगा । सरकार इसका वैसे ही समर्थन नहीं करेगी । श्री मुकर्जी ने कहा है कि सरकार को और मैजिस्ट्रेट को केवल यह देखना है कि क्या ठीक प्राधिकार ने वारण्ट जारी किया है और फिर वारण्ट हो जाता है । सरकार द्वारा समर्थन के बाद जब यह मैजिस्ट्रेट के पास जाता है तो मैजिस्ट्रेट को दो बातें देखनी पड़ती हैं कि क्या वह उचित अधिकारी द्वारा जारी किया गया है या नहीं और जिस अपराध के लिये जारी किया गया है वह प्रत्यर्पण अपराध के अर्थ के अन्तर्गत आता है या नहीं । यह जांच करने के बाद ही मैजिस्ट्रेट गिरफ्तारी के वारण्ट जारी कर सकता है । केन्द्रीय सरकार को इसका समर्थन करना आवश्यक नहीं है । केन्द्रीय सरकार यदि उचित समझ तो

---

†मूल अंग्रेजी में

[अ० कु० सेन]

वारण्ट जारी करेगी । अतः श्री मुकर्जी का कहना कि पाकिस्तान जैसे राष्ट्रमण्डलीय देश के लिये इतना ही आवश्यक है कि पाकिस्तान वारण्ट भेज दे, केन्द्रीय सरकार इसका समर्थन कर दे, मैजिस्ट्रेट इसे जारी कर देता है और आदमी पाकिस्तान भेज दिया जाता है सही नहीं है । क्या यह पूर्ण अध्ययन है जिससे यह स्पष्ट होता है कि इस विधेयक की आवश्यक व्यवस्थाओं की बिल्कुल समझ नहीं है ।

श्री मुकर्जी ने यह आरोप लगाया कि उन्होंने १९३७ के जेनेवा अभिसमय का उल्लेख किया कि उसका उत्तर नहीं दिया गया । जब मैंने उत्तर दिया था तो माननीय सदस्य यहां नहीं थे । अतः फिर उन्होंने कहा है कि १९३७ के अभिसमय के सम्बन्ध में उत्तर नहीं दिया है । यह अभिसमय लागू ही नहीं किया गया था । अतः उसके हमारे ऊपर लागू होने का प्रश्न ही नहीं उठता । मैंने रूसी भाषा की पुस्तक के अंग्रेजी अनुवाद में से पढ़ा है । वे किताब "टैक्सट बुक आफ इन्ट्रैनेशनल ला इन ला स्कूल" है ।

प्रो० मुकर्जी के विचार में यह अभिसमय बहुत खराब होगा । परन्तु रूस ने इस अभिसमय को न लागू करने के लिये पूंजीवादी सरकारों पर आरोप लगाए हैं। दूसरे उसका उल्लेख दूसरी सूची में नहीं किया गया है । इसलिये वह किसी प्रत्यर्पण सन्धि का विषय नहीं हो सकता । केवल उन्हीं अपराधों के लिये जो दूसरी अनूसूची में लिखे हुए हैं प्रत्यर्पण मुकद्दमा चलाया जा सकता है । किसी अभिसमय के सोचने का क्या लाभ ? जिस हद तक प्रत्यर्पण अधिनियम अपराधों के बारे में उल्लेख करता है उस हद तक वर्तमान व्यवस्थायें परिवर्तित हो जायेंगी । फिर धारा ४ और १२ हैं ।

मेरे विचार से यदि इसे जल्दबाजी कहा जायेगा तो हमें जल्दबाजी की परिभाषा बदलनी पड़ेगी आप स्वयं भी इस बात के साक्षी हैं कि हमने कभी जल्दबाजी नहीं की और यदि की हो तो हम ने सभा से क्षमा मांगी है । मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमने विधेयक का बहुत ध्यानपूर्वक अध्ययन किया ।

उन्होंने यह भी कहा है कि हमें राजनैतिक अपराधों को शरण देने की घोषणा करनी चाहिये । यह एक विचित्र बात होगी कि यदि हम खड़े होकर यह घोषणा करें कि हम विश्व के सभी राजनैतिक अपराधियों को शरण देंगे । इस प्रकार की घोषणायें तो कोई संस्था ही कर सकती है यथा संयुक्त राष्ट्र । इस विधेयक में यह बात स्पष्ट रूप से कही गयी है कि राजनैतिक कारणों से लोगों को प्रत्यर्पण नहीं किया जायेगा । खण्ड ३१ में यह बात स्पष्ट रूप से कही गयी है कि एक भगोड़े अपराधी को, यह सिद्ध हो जाने पर कि उसका अपराध राजनैतिक है, उसे विदेश या राष्ट्रमण्डल के किसी देश को नहीं सौंपा जायेगा । यदि हम इसे राजनैतिक अपराध के विरुद्ध प्रत्यर्पण रोकने का उपबन्ध नहीं कहेंगे तो मैं नहीं जानता कि हम इसे और क्या कह सकते हैं । प्रो० मुकर्जी यह चाहते हैं कि हम सबको राजनैतिक शरण देवें भले ही वह किसी देश का रहने वाला है । माननीय सदस्य को यह ज्ञात होना चाहिये कि राजनैतिक संरक्षण बिल्कुल दूसरी चीज है । शरण देना सर्वप्रभुत्व सम्पन्न राज्य का अधिकार है । जिसके अधीन किसी भी व्यक्ति को, जो कि उस देश का नागरिक नहीं होता, तब तक ठहरने का अधिकार दिया जा सकता है जब तक कि वह देश चाहे । मुझे दुख है कि प्रो० मुकर्जी को इसमें और प्रत्यर्पण के सम्बन्ध में भ्रांति हो गयी है । यही कारण था कि जब भारत ने दलाई लामा को राजनैतिक शरण दी तो कई देशों ने इस पर गम्भीर आपत्ति की । वे लोग इस बात को भूल गये कि शरण देने का अधिकार प्रत्येक प्रभुत्व सम्पन्न देश को प्राप्त है ।

दूसरी अनसूची के बारे में उन्होंने यह कहा है कि बिना गम्भीरता पूर्वक विचार किये हुए इसे स्वीकार नहीं करना चाहिये । इसमें हम सरकार को यह शक्ति दे रहे हैं कि वह केवल अधिसूचना

जारी करके अपराधों की संख्या में वृद्धि कर सकती है। मुझे उनकी यह बात सुन कर आश्चर्य हुआ है क्योंकि हमने कहीं भी यह शक्ति नहीं दी है। हमने केवल यह कहा है कि राष्ट्रमण्डलीय देशों के सम्बन्ध में सरकार अनुसूची में वृद्धि कर सकती है। यह बिल्कुल दूसरी बात है।

उन्होंने दूसरी अनुसूची के मद १८ की आलोचना की है। इसमें यह कहा गया है कि प्रत्यर्पण के अधीन भारतीय दण्ड संहिता अथवा जो भी विधि उस समय प्रचलित होगी उसके अधीन अपराध आयेंगे। यदि हम इसमें केवल भारतीय दण्ड संहिता ही रखेंगे तो अन्य अधिनियमों के अधीन आने वाले अपराधी इससे बच जायेंगे। उदाहरणार्थ एक खाद्य अपमिश्रणकर्ता पाकिस्तान में शरण लिये हुए है यदि हम श्री मुकर्जी की बात मानेंगे तो हम उसे नहीं पकड़ सकते हैं।

हमने इस समस्या का गम्भीर अध्ययन किया है इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि केवल भारतीय दण्ड संहिता लिखने से कोई काम नहीं चलेगा। यहां भी हमने सरकार को विभेद करने का अधिकार दिया है। ये सभी अपराध केन्द्रीय सरकार द्वारा लागू किये जायेंगे जिससे कि वे प्रत्यर्पण व्यवस्था के अन्तर्गत लाये जा सकें।

मैं इस बात को पुनः दुहराना चाहता हूं कि यह निर्विवाद विधेयक है। अतः इस पर जो गरमागरमी हो गयी वह निरर्थक थी। श्री ही० ना० मुकर्जी संयुक्त समिति के सदस्य थे। और उसका प्रतिवेदन सर्वसम्मत था।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

हिन्दू दत्तक ग्रहण और पोषण (संशोधन) विधेयक

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि हिन्दू दत्तक ग्रहण और पोषण अधिनियम, १९५६ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

यह सामान्य विधेयक है तथापि इस विधेयक में एक त्रुटि दिखायी दी वह यह थी कि मूल विधेयक में हम ने इस बात का उपबन्ध किया था कि ऐसे बच्चों को गोद लिया जा सकता है जिन के माँ बाप का पता हो तथा उस में उन बच्चों के बारे में उपबन्ध नहीं किया गया था जिन के माँ बाप का पता नहीं हो। जो अनाथालयों में पले हों या अवैध संबंध की उत्पत्ति हों।

हमारे तथा प्रधान मंत्री के ध्यान में ऐसे मामले लाये गये हैं। ऐसे बच्चों के कई मामले हैं जिन्हें अनाथालय से लाकर गोद लिया गया है। अब उन्हें यह बताया गया है कि उन्हें जन की सम्पत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा क्योंकि वैध रूप से उन्हें पुत्र के रूप में गोद नहीं लिया जा सकेगा। अतः हम विधि में यह स्पष्टता लाना चाहते थे कि वे वैध रूप से इन बालकों को गोद में लेने के अधिकारी बन सकें। इस कारण खंड (२) (ख ख) में इस प्रकार का परिवर्तन करना पड़ा :

---

†मूल अंग्रेजी में

विधेयक

[श्री अ० कु० सन]

"कि ऐसा बालक चाहे वह वैध संतान हो या अवैध, जिस के माता पिता दोनों अज्ञात हों जिसे हिन्दू बौद्ध जैन या सिख के रूप में पाला गया हो, और . . . .

खंड ३ में हम नें गोद लेने के सम्बन्ध में काफी शक्तियाँ प्रदान की हैं। हम ने इस में यह शब्द और बढ़ा दिये हैं कि "जिस ने बालक का परित्याग कर दिया हो, अथवा न्यायालय द्वारा विकृत मस्तिष्क का ठहरा दिया गया हो, अथवा जहां बालक के माता पिता का कोई पता न हो, बालक का अभिभावक, न्यायालय की पूर्व अनुमति से किसी को भी गोद दे सकता" है यदि संरक्षक चाहे तो स्वयं भी उस बालक को गोद ले सकता है।

हम ने अभिभावक शब्द की परिभाषा में इस प्रकार का परिवर्तन कर दिया है कि जिस के अन्दर बालक की देखभाल करने वाला व्यक्ति आ जाये। जहाँ बालक के माता पिताओं का पता है वहाँ दूसरे प्रकार की विधि है हमारे पास कई ऐसे मामले हैं जहाँ कि एक व्यक्ति ने बालक को अभिभावक के रूप में पाला है और अब वह उसे न्यायालय की अनुमति से गोद में लेना चाहते हैं। इस से उन बहु-संख्यक बच्चों को संरक्षण प्राप्त होगा जो कि अनाथालयों में पले हैं तथा जिन के माता पिताओं का संसार में किसी को भी पता नहीं है। तथापि जिन्हें ऐसे कृपालु माँ बापों ने पाला है जो कि अब उन के वैध मां बाप होना चाहते हैं। न्यायालय का क्षेत्राधिकार केवल इस कारण रखा गया है जिस से कि अभिभावक अपने अधिकार का दुरुपयोग न कर ले।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्रीमती विमला देवी** (ऐरुलू) : मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं इस के द्वारा जिन संशोधनों को प्रस्तुत किया गया है उन से मैं सहमत हूं।

हमारे देश में अनाथ बच्चों की समस्या बहुत गम्भीर है और अभी तक इस का कोई प्रभावशाली हल नहीं मिला। भारत के इतिहास से भी यही ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में अनाथ बालकों की अवस्था बहुत खराब थी कर्ण एक अनाथ बालक ही था।

यह समझना गलत होगा कि यह विधेयक लोगों को अपने बच्चों को छोड़ देने का प्रोत्साहन देगा। संरक्षकों को बच्चे को गोद लेने के लिये देने के लिये समर्थ बनाने का उपबन्ध लाभदायक होगा।

†**श्री उ० म० त्रिवेदी** (मंदसौर) : विधेयक के उद्देश्य तथा कारणों के विवरण में बातें कही गयी हैं विधेयक उन से कहीं आगे बढ़ गया है। क्या खंड (खख) का यह तात्पर्य है कि यदि मुसलमान या ईसाई माता पिताओं द्वारा भी कोई बालक परित्यक्त कर दिया जायेगा तो उसेभी हिन्दू माता पिताओं द्वारा ग्रहण किया जा सकेगा। अतः मैं ने यह सुझाव रक्खा है कि या शब्द के स्थान पर और शब्द रख दिया जाये। क्योंकि ऐसा न करने पर इस पर चारों ओर से आपत्ति की जायेगी। एक तो इस विधेयक में परित्यक्त होने की आयु नहीं दी गयी है इस का कारण बच्चे को यह ज्ञात हो सकता है कि वह किस धर्म का है अतः एक हिन्दू बालक को हिन्दू बनाने का आप को कोई अधिकार नहीं है।

वस्तुतः यह ध्यान रखना चाहिये कि ऐसा करना हिन्दू समाज के स्वस्थ विकास के लिये भी हानिकारक होगा। क्योंकि हो सकता है कि वह बच्चा किसी भी समय अपना पहला धर्म ग्रहण कर ले। इसलिये यह उपबन्ध उन मामलों में लागू नहीं होना चाहिये जिन में माता पिता को हिन्द धर्म के न होने की जानकारी प्राप्त हो।

---

†मूल अंग्रेजी में

"संरक्षक समेत" शब्द इस विधेयक से निकाल दिये जाने चाहियें क्योंकि यदि संरक्षक को स्वयं बच्चे को गोद लेने की अनुमति दे दी जायेगी तो इस से बच्चों को उठा ले जाने वाले लोगों द्वारा लाभ उठाये जाने का खतरा रहेगा ।

मेरे विचार में हिन्दू दत्तक ग्रहण अधिनियम किसी प्रकार भी हिन्दू सम्प्रदाय के लिये लाभकारी सिद्ध नहीं होगा मैं ने पहिले भी इस का विरोध किया था और अब भी उस का विरोध करता हूं ।

†**श्री हुडा** (निजामाबाद) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। बच्चों को उठा कर ले जाना तथा बच्चों को छोड़ देना दोनों अलग अलग बात हैं। बच्चों को उठा कर ले जाना एक अपराध है जब कि बच्चों को छोड़ देने के मामले प्रायः होते रहते हैं। लेकिन यह नहीं देखने में आया कि जिस बच्चे को उठा कर किसी ने लिया हो तो उस का दुरुपयोग किया हो। जहां तक दत्तक लेने की बात है मैं समझता हूं कि यह विधेयक किसी भी अभिभावक को ऐसे अधिकार नहीं देता। जब तक यह सिद्ध नहीं हो जाता कि यह बच्चा उठा कर लाया गया है तब तक उसे दत्तक बनाने के लिये यह विधेयक कोई अधिकार नहीं देता ।

दूसरी ओर यह विधेयक उन संस्थाओं के लिये बहु लाभदायक होगा जो परित्यक्त बच्चों की देखभाल का काम करती हैं। उन के आय के साधन भी बढ़ जायेंगे। साथ ही यह बात भी ठीक है कि ऐसे बच्चों की संख्या भी निरन्तर बढ़ रही है। हर संस्था के सामने धन का प्रश्न है कि वह किस प्रकार इस बढ़ती हुई माँग की पूर्ति करे। इस विधेयक में उन दम्पत्तियों की समस्या का भी हल किया गया है जो बच्चे गोद लेना चाहते हैं। इस प्रकार बच्चों को माता पिता का नैसर्गिक प्यार भी मिल जायेगा और रहने के लिये उन्हें अच्छा वातावरण भी मिलेगा। इस लिये बढ़िया बात तो यही होगी कि इन बच्चों को शिशु निकेतन में रहने दिया जाये। इस विधेयक के अनुसार इन संस्थाओं तथा शिशु निकेतनों के मनेजरों तथा प्राधिकारियों को यह अधिकार दिया गया है कि वे उन व्यक्तियों को दत्तकता का अधिकार दे सकते हैं जो कि दत्तक लेनाचाहते हैं। और कोई भी व्यक्ति इस बात के लिये शक नहीं कर सकता कि यह बच्चा उठाया गया है। अथवा इस बच्चे का दुरुपयोग किया जायेगा। मेरा विचार है कि इस विधेयक के द्वारा हम यह बहुत बढ़िया उपबन्ध कर रहे हैं। साथ ही शिशु निकेतन आदि के प्राधिकारियों को हम यह निरंकुश अधिकार नहीं दे रहे हैं क्योंकि उन्हें दत्तक देने से पूर्व न्यायालय की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगी ।

अज्ञात माता पिता के बच्चों को गोद लेने से राष्ट्रीय एकता में भी सहायता मिलेगी। साथ ही इस से जाँत-पाँत की व्यवस्था भी समाप्त होगी। मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि जिन बहुत से हरिजनलड़के तथा लड़कियों ने ख्याति पाई है उस का एकमात्र कारण यही है कि उन का पालन पोषण सवर्ण हिन्दुओं के घरों में हुआ है। इस प्रकार इन बच्चों के मन यह बात निकल गई कि वे हरिजन हैं ।

†**श्रीमती यशोदा रेड्डी** (कुरनूल) : इस विधेयक का मैं स्वागत करतीं हूं। बहुत दिनों से हमारे यहाँ यह प्रथा चली आ रही है कि पिता ही दत्तक देने का अधिकारी था लेकिन अब विधि बना कर यह व्यवस्था कर दी गई है कि पिता माता की अनुमति के बिना दत्तक नहीं दे सकता। पिता जीवित न होने पर माता को पूर्ण अधिकार है कि वह गोद दे सकती है। लेकिन ऐसी स्थिति में जब कि माता पिता दोनों में से कोई न हो तो भाई तथा कोई भी अभिभावक गोद दे सकता है लेकिन इस के लिये

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती यशोदा रेड्डी]

न्यायालय से अनुमति लेनी होगी। यह एक कमी थी जिसे अब इस विधेयक के द्वारा दूर कर दिया गया है।

यह बात स्पष्ट नहीं की गई है कि यदि माता जीवित न हो और पिता ने पूर्व से ही माता की अनुमति न ली हो तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। यही बात तब उत्पन्न होती है जब कि पिता दूसरी शादी करता है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठ सीद हुई]

यह अच्छी बात है कि इस विधेयक के आ जाने से कम से कम उन अनाथ बच्चों का भरण पोषण तो ठीक से होने लगेगा। जिन के पालन पोषण के लिये कोई उचित व्यवस्था नहीं है।

हमारे भारत में गोद लेने के दो कारण हैं। एक है धार्मिक और दूसरा है भौतिक। कहा जाता है कि बिना पुत्र प्राप्ति के मोक्ष नहीं मिलता इसलिये लोग गोद लेते हैं और दूसरा कारण यह भी है कि पुत्र गोद लेने से उन की सम्पत्ति की देखभाल करने वाला भी मिल जाता है।

भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है अतः यह अच्छा हो कि एक व्यापक विधेयक पेश किया जाये जिस से लोग बिना जाति और धर्म के विचार के बच्चों को गोद ले सकें। यह विधेयक केवल हिन्दुओं, सिखों, और जैनियों तक सीमित नहीं होना चाहिये।

†**श्री गौरी शंकर** (फतेहपुर) : इस विधेयक में यह एक असंगति है कि यदि किसी हिन्दू द्वारा गोद लिया गया बच्चा बाद में किसी मुसलमान तथा ईसाई का बच्चा निकले तो उस का अपने असली माता पिता की सम्पत्ति में अधिकार खत्म नहीं होगा।

एक बात यह भी है कि यदि कोई गैरहिन्दू बच्चा किसी हिन्दू द्वारा गोद लिया जाता है तो उससे उत्पन्न होने वाली संतान वर्णसंकर होगी। और इस के लिये हमारा धर्म कभी भी अनुमति नहीं देता।

अतः मेरा विचार है कि इस विधेयक से कोई विशेष लाभ नहीं होगा। इस में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति तब तक उस बच्चे को गोद लेने के लिये तैयार नहीं होगा जब तक कि उस के माँ बाप का ठीक ठीक पता नहीं होता। क्योंकि सदव ही उसे इस बात का डर बना रहता है कि ऐसा करने पर कहीं समाज से उस का बहिष्कार न हो जाये। अतः मैं इस संशोधन से पूर्णतः सहमत हूं कि उसी बच्चे को गोद लिया जाये जिस के बारे में यह सुनिश्चित हो जाये कि उस के माता पिता हिन्दू हैं।

अभिभावक शब्द की व्याख्या में परिवर्तन करने से बेईमान लोग अनुचित लाभ उठायेंगे अभिभावकों की नियुक्ति न्यायालय के आदेश द्वारा ही की जानी चाहिये।

मैं तो नहीं समझता कि इस प्रकार गोद लेने से राष्ट्रीय एकता बढ़ेगी।

अभिभावक बनाने के लिये कोई निश्चित प्रक्रिया नहीं है। कल को कोई दूसरा व्यक्ति भी आकर यह कह सकता है कि वह भी अमुक अमुक बच्चे का अभिभावक है। अतः इस से बहुत बेईमानी बढ़ेगी और भ्रष्टाचार भी पनपेगा। इसलिये इन दोनों बातों की व्यवस्था करने वाले संशोधनों को स्वीकार कर लेना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री श्याम लाल सर्राफ** (जम्मू तथा काश्मीर) : मैं इस विधेयक का विशेषत: मानवता के आधार पर स्वागत करता हूं। विभाजन के समय सैंकड़ों बालक अनाथाश्रम में रह रहे थे और लोग उन बच्चों को ले कर अपने घर में पालना चाहते थे किन्तु गोद लेने की उचित व्यवस्था न होने के कारण वे वैसा न कर सके। अत: मैं देखता हूं कि इस विधेयक का उद्देश्य बहुत ही पवित्र है। जितनी जल्दी यह विधेयक पारित हो जाता है उतना ही अच्छा है क्योंकि इस से उन गरीब बच्चों को बहुत सहायता मिलेगी जिन की देखभाल कोई नहीं करता।

मैं समझता हूं कि इस विधेयक के बारे में जो संशोधन रखे गये हैं उन में कोई सार नहीं है। अन्त में मैं यही कहूंगा कि इस उपबन्ध के सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं हो सकती जिस के अनुसार बचाव केन्द्रों अथवा अनाथालयों के प्रबन्धकों को न्यायालयों की अनुमति से गोद लेने के प्रयोजन से बच्चों को देने का अधिकार दिया गया है।

†**डा० मा० श्री अणे०** (नागपुर) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। अनाथालय में रहने वाले बच्चों की स्थिति वस्तुत: बड़ी दयनीय है। उन के सम्बन्ध में अवश्य ही कुछ न कुछ होना चाहिये। चाहे वे बच्चे हिन्दू के हों या मुसलमान के या ईसाई के वे सभी इस देश के नागरिक हैं। उन की देखभाल के लिये उचित व्यवस्था की जानी चाहिये। बहुत से बच्चे जिन का पालनपोषण अनाथालयों में नहीं हो सकता, बड़े होकर उचित प्रकार के नागरिक नहीं बन सकते, क्योंकि उन्हें कोई सहायता नहीं मिल पाती है। अभी तक ऐसे बच्चों के माथे पर यही कलंक लगा हुआ है कि ये बच्चे अवैध संतान हैं। यह कलंक हटाना चाहिये। आश्चर्य की बात तो यह है कि जो अपराध करते हैं वे तो बच जाते हैं किन्तु दंड भुगतना पड़ता है इन बेचारे गरीब बच्चों को। अत: सरकार को इस कलंक निवारण के लिये अवश्य ही कुछ न कुछ करना चाहिये।

इन अनाथालयों के पास काफ़ी धन नहीं होता। अत: इन में रहने वाले बच्चों का उचित रीति से पालन पोषण नहीं हो पाता। मेरा यही निवेदन है कि इन बच्चों को जनता द्वारा अधिक से अधिक संख्या में गोद लिया जाना चाहिये।

हिन्दू विधि के अनुसार केवल माता या पिता ही बच्चे को गोद दे सकते हैं। और कोई नहीं दे सकता। विधि में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसी स्थिति में उस बच्चे का उस परिवार में कोई दर्जा नहीं होता जिस में कि वह गोद लिया गया है। मनोविज्ञान की दृष्टि से यह जरूरी है कि बच्चे को यह ज्ञान होना चाहिये कि गोद लिये जाने के बाद वह अमुक व्यक्ति का पुत्र है। तभी वह समाज में उन्नति कर सकता है।

अभी तक हमारे यहां गोद लेने की प्रथा का आधार धार्मिक है किन्तु मेरा विचार है कि यह प्रश्न राष्ट्रीय महत्व का है। अब वह समय आ गया है जब हिन्दुओं को अपनी पुरानी रूढ़िवादिता को छोड़ना होगा और सभी व्यक्तियों को समान रूप से गले लगाना होगा। प्रसन्नता की बात है कि आज इस दिशा में यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है। और आशा है कि भविष्य में भी इस प्रकार के और भी विधेयक आयेंगे। यह विधेयक तो राष्ट्र को समृद्ध बनाने में एक कदम है। अत: मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

†**श्री वें० वेंकटासुब्बैया** (अडोनी) : सरकार को मैं बधाई देता हूं कि उस ने यह विधेयक प्रस्तुत किया है। यह विधेयक सामाजिक कलंक को दूर करने में सहायता पहुंचायेगा। भारत में

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री पें० वेंकटासुब्बैया]

जातिप्रथा को समाप्त करने में भी यह विधेयक सहायता पहुंचायेगा अकाल या सूखा पड़ने पर बहुत से माता पिता अपने बच्चों को दूसरों के दरवाज़ों पर छोड़ देते हैं। ऐसे बच्चों के पालने की समस्या बड़ी गम्भीर होती है। अतः इस विधेयक में माता पिता द्वारा छोड़ दिये गये अथवा परवाह न किये गये बच्चों को गोद लेने की व्यवस्था ठीक ही है। इस से उन में यह आत्मविश्वास पैदा होगा कि वे भी देश के किसी दूसरे व्यक्ति की तुलना में उतने ही अच्छे नागरिक हैं। इस विधेयक से भारत में जाति पांति की भावना से रहित समाज की स्थापना हो सकेगी जिस के लिये हम सब भरसक प्रयत्न कर रहे हैं।

†**श्रीमती सरोजिनी महिषी** (धारवाड़ उत्तर) : सरकार को मैं बधाई देती हूं कि उस ने यह विधेयक प्रस्तुत किया है। अच्छा होता कि यह संशोधन आज से छः वर्ष पूर्व ही प्रस्तुत किया जाता। अभिभावक शब्द की व्याख्या स्पष्ट होनी चाहिये। तथा इसे और भी व्यापक बनाना चाहिये। इस विधेयक की धारा २ में "वैध" तथा "अवैध" शब्द नहीं रहने चाहिये। किसी बालक के मन में यह धारणा नहीं रहनी चाहिये कि वह "अवैध" संतान है। "जिस के माता पिता अज्ञात हैं" शब्दों पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। ऐसे बच्चे के मामले में जिस के माता पिता ज्ञात न हों हम कल्पना नहीं कर सकते, वह किसी भी जाति का हो सकता है। यह तथ्य कि हिन्दू धर्म को संख्या के विचार से लाभ होगा स्वागत योग्य है। ये शब्द कि प्रत्येक अवस्था में जिस का पालन पोषण हिन्दू, बौद्ध, जैन अथवा सिख के रूप में हुआ है अनावश्यक है। ये शब्द ऐसा दिखाने के लिये निकाल दिये जायें कि हम एक प्रगतिशील राष्ट्र हैं।

श्रीमती शशांक मंजरी (पालामऊ) : उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दू ग्रहण और पोषण (संशोधन) बिल, १९५६ का मैं स्वागत करती हूं। इस से पिछड़े हुए बालकों की सुरक्षा होगी।

अभी तक बालकों को दत्तक ग्रहण करने के पहले न्यायालय से पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक थी। अभी तक जो पिछड़े हुए बच्चे अनाथालयों द्वारा पाले जाते थे, उन बच्चों को दत्तक देने का अधिकार अनाथालयों को नहीं होता था। इस कायदे से ऐसे पालकों को यह अधिकार मिल जायगा, जिस से कि बालकों को सुरक्षा और उन की तरक्की के लिये गोद देने का मौका मिले।

गरीबी, सामाजिक निन्दा आदि कारणों से अक्सर माता पिता अपने बच्चों को छोड़ देते हैं। अब ऐसे बालकों को पालने वाला भी दत्तक दे सके तो अच्छे घरों में उन की देखभाल हो सकेगी और उन को अच्छे नागरिक बनने का मौका मिलेगा। अब तक तो ऐसे पिछड़े हुए बालकों की बहुत दुर्दशा होती थी और ऐसे बच्चों को जिन्हों ने पाला पोसा है उन के दत्तक आदि करने का उन को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता था। इस संशोधन के द्वारा, गरीबी के कारण जो कई माता पिता बच्चों को छोड़ देते हैं और जो अनाथालयों में पाले जाते हैं, उन बालकों को अच्छे घरों में गोद दिया जा सकेगा।

मैं ने स्वयं भी यथाशक्ति अपने देश के कई गरीब बालकों की देखभाल की है, उन को पढ़ाया है, और उन की शादी करवायी है।

बहुत से देशवासी अधिक सन्तान होने से उन का पालन पोषण ठीक तरह नहीं कर पाते। अब ऐसे लोग अपनी सम्मति से योग्य व्यक्तियों को अपनी सन्तान गोद दे सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

संरक्षक द्वारा बच्चों को गोद देते समय रुपया पैसा आदि लेने की अनुमति नहीं होनी चाहिये और इस पर सरकार द्वारा निगरानी होनी चाहिये । विशेष कर लड़कियों के मामले में ऐसा होना चाहिये कि जो उन को दत्तक लेते हैं वह उन की बिक्री न कर सकें। इस के ऊपर सरकार को निगरानी रखनी चाहिये और जो व्यक्ति ऐसा करें उन के खिलाफ सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिये ।

†**श्री अ० त्रि० सर्मा** (चत्तरपुर) : मंत्री महोदय ने यह जो विधेयक प्रस्तुत किया है यह बहुत अच्छा है मैं इस संशोधन विधेयक का हार्दिक समर्थन करता हूं । हमारे यहां तो वैदिक काल से यह परम्परा रही है कि बच्चों की उपेक्षा न की जाय । नाजायज़ बच्चों को पैतृक सम्पत्ति तक प्राप्त करने की अनुमति थी । जब १९५६ में गोद लेने का विधेयक पारित किया गया तो इस बात की उपेक्षा कर दी गई । अब जो व्यवस्था है उस के अनुसार मूल अधिनियम केवल ऐसे व्यक्तियों पर लागू होता है जो मुस्लिम, ईसाई, पारसी, या जैन धर्म का न हो । यदि यह मालूम हो कि बच्चा मुस्लिम अथवा किसी अन्य धर्म का है तो उसे गोद में नहीं लिया जा सकता । परन्तु इस में डरने की कोई बात नहीं । यह आशंका कभी भी नहीं की जानी चाहिये कि हिन्दू धर्म खतरे में है ।

दूसरी शर्त यह है कि बच्चा गोद लेने योग्य होना चाहिये । जो दे रहा है वह भी देने के योग्य हो । और जो गोद में ले रहा है उस में उस का लालन पालन करने की योग्यता हो । अतः मेरा निवेदन है कि इस विधेयक में कोई बुरी बात नहीं, और उन्हें ऐसे का ऐसा ही स्वीकार कर लेना चाहिये । धर्म शास्त्रों की बातें करने वालों को मेरा कहना है कि भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अच्छे नागरिकों की तरह रहने और पनपने के पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं ।

†**श्रीमती रेणुका राय** (मालदा) : जिन लोगों ने इस विधेयक का स्वागत किया है मैं उन का समर्थन करती हूं । मेरा निवेदन है कि यद्यपि इसे विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है फिर भी इसका स्वागत किया ही जाना चाहिये । इसे हिन्दू कोड बिल के साथ ही आ जाना चाहिये था । बाल केन्द्रों में रहने वाले अनाथ बच्चों की जाति और धर्म का पता न लगने के कारण उन्हें कोई गोद नहीं लेता था । परन्तु अब बाल केन्द्रों में रहने वाले बच्चों को ऐसे व्यक्तियों को दिया जा सकेगा जो उन्हें गोद लेना चाहते हों । इस विधान से इस दिशा की सब कठिनाइयां दूर हो जायेंगी ।

गोद लेने से पूर्व संरक्षक की अनुमति लेनी होती है । न्यायालय को सन्तुष्ट करना होगा कि दत्तक ग्रहण बच्चे की भलाई के लिये है । यदि बच्चा बड़ा है और वह यह नहीं चाहता कि कोई उसे गोद में ले तो न्यायालय उसे अनुमति नहीं देगा । धर्म इत्यादि की दीवारें तो अब टूट ही जानी चाहियें । हमें राष्ट्रीय कोड बनाना चाहिये और उन स्त्रियों के गुज़ारे भत्ते के बन्द न किये जाने की व्यवस्था करनी चाहिये जोकि अपना धर्म परिवर्तन कर चुकी हैं ।

श्री मोहन स्वरूप (पीलीभीत) : उपाध्यक्ष महोदय, जो बिल हमारे सामने है, उस का और उस के प्रिंसिपल एक्ट का मंशा हिन्दू धर्म, उस के सिद्धान्तों और रीति-नीति के मुताबिक एडाप्शन की व्यवस्था करना है । प्रिंसिपल एक्ट में बताया गया है कि यह केवल हिन्दुओं पर लागू होगा । इस से साफ़ ज़ाहिर है कि हिन्दू धर्म के अन्तर्गत एडाप्शन का सवाल इस में मौजूद है ।

जहां तक एडाप्शन का सम्बन्ध है, वह तबियत से होती है । जिस आदमी का कोई बच्चा नहीं है, अगर वह किसी खूबसूरत या होनहार बच्चे को देखता है, तो वह उसको गोद लेना चाहता है । यह बात तो तबियत पर मुन्हसिर है । लेकिन प्रिंसिपल एक्ट और इस बिल में एक लैकुना रह

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मोहन स्वरूप]

गया है। जिस बच्चे को एडाप्शन में लेना है, उस की स्वीकृति का सवाल न तो प्रिंसिपल एक्ट में आया है और न इस बिल में। जहां तक एडाप्शन में देने का प्रश्न है, वह तो साफ़ हो गया है, लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूं कि पंद्रह साल का बच्चा नासमझ नहीं होता है। यह भी पता लगाना जरूरी है कि उस की मंशा क्या है और आया वह अपने एडाप्टिड फ़ादर के साथ रहना चाहता है या नहीं। इसलिये इस का भी स्पष्टीकरण होना चाहिये।

इस बिल में इल्लेजिटिमेट और एबान्डन्ड चाइल्ड पर खास तौर पर ज़ोर दिया गया है। जहां तक एबान्डन्ड चाइल्ड, आवारा बच्चे, का सम्बन्ध है, यह आंकना मुश्किल है कि वह किस धर्म से सम्बन्ध रखता है।

श्री काशी राम गुप्त (अलवर) : "एबान्डन्ड" "आवारा" नहीं होता है।

श्री मोहन स्वरूप : "एबान्डन्ड" को "आवारा" ही कहा जायेगा।

श्री काशी राम गुप्त : "एबान्डन्ड" तो "छोड़ा हुआ" होता है।

श्री अ० कु० सेन : परित्यक्त।

श्री मोहन स्वरूप : एबान्डन्ड चाइल्ड के बारे में यह आंकना मश्किल है कि वह किस धर्म से सम्बन्ध रखता है, उस का वे आफ़ लिविंग क्या रहा है, उस की रीति-नीति क्या है। मैं समझता हुं कि जब तक वह बच्चा किसी खास संस्था या किसी खास व्यक्ति के पास न रहता हो, तब तक उसको गोद लेने का सवाल नहीं होना चाहिए। इस किस्म का बच्चा अपने एडाप्टिड फ़ादर के लिए अभिशाप हो सकता है। इसलिए एडाप्शन में दिये जाने वाले बच्चे का किसी आरफ़नेज या फाउंडलिंग होम में होना जरूरी है।

इस बिल की क्लाज २ (बी बी) में एक लैकुना रह गया है। उसम जो कुछ कहा गया है, इसमें इस बात का स्पष्टीकरण और होना चाहिए कि उसको कैसे ब्रिंग अप किया गया।

इसके अलावा मैं समझता हूं कि इस बिल को और काम्प्रीहैंसिव होना चाहिए। हमारे यहां बहुत से लोग शिड्यूल्ड कास्ट्स या शिड्यूल्ड ट्राइब्ज कहलाते हैं, जिनके उद्धार का जिम्मा हमने सरकारी और गैर सरकारी दोनों तौर पर से लिया हुआ है। वे लोग हिन्दू रीति-रिवाज और रहन-सहन के मुताबिक रहते हैं और पूजा पाठ करते हैं। मैं समझता हूं कि उन लोगों को भी इसमें शामिल करना चाहिए। अगर कोई आदमी, जिसका बच्चा नहीं है, शिड्यूल्ड कास्ट्स या शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के किसी बच्चे को पसन्द करता है, तो उसको ऐसा करने का अधिकार होना चाहिये, लेकिन इस बिल के अन्तर्गत वह ऐसा नहीं कर सकता है। इसलिये इस बिल को और व्यापक बनाना चाहिये।

प्रिंसिपल एक्ट के सैक्शन ९ के सब-सैक्शन (४) को सब्स्टीट्यूड किया गया है। स्टेटमेंट आफ आबजेक्ट्स एंड रीज़न्ज में कहा गया है कि फाउंडलिंग होम के मैनेजर को अधिकार होना चाहिये कि वह किसी बच्चे को एडाप्शन में दे सके। यह अच्छी बात है, लेकिन यह बात साफ़ होनी चाहिये कि वह फ़ाउंडलिंग होम या आरफ़नेज किस तरीके से चलाया जाता है, किस धार्मिक विचार-धारा के आधार पर चलाया जाता है, वह क्रिस्टियन है या मुस्लिम है। इसकी परिभाषा होनी चाहिए और साथ ही स्पष्टीकरण होना चाहिए।

एक्सप्लेनेशन में "गार्डियन" को डिफ़ाइन किया गया है और उसमें (ए) और (बी) ये दो किस्म के गार्डियन्ज़ दिये गए हैं। मैं चाहता हूं कि उसके आगे यह और जोड़ देना चाहिए :—

(ग) बाल केन्द्रों के व्यवस्थापिक

(घ) कोई अन्य व्यक्ति जो बच्चे की अनुमति से उसकी देखभाल कर रहा हो।

बहुत से अच्छे लोग होते हैं, जो किसी इंस्टीट्यूशन से संबंध नहीं रखते हैं, जो कोई आरफनेज या फाउंडलिंग होम नहीं चलाते हैं। उनको अगर कोई भूला-भटका बच्चा मिल गया, तो वे उसको रख लेते हैं और उसकी देख-भाल करते हैं। अगर उस बच्चे को ऐसे किसी व्यक्ति के साथ रहना पसन्द है और उसके साथ रहने में कोई ऐतराज़ नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को गार्डियन मानना चाहिए, हालांकि उसको न तो मां-बाप ने चुना और न कोर्ट ने। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जो आदमी चोर-डकैत नहीं है, अच्छा आदमी है, प्रतिष्ठित है और वह एक बच्चे की देखभाल करता है, तो उसको भी गार्डियन मानना चाहिए और "गार्डियन" की परिभाषा में उसको शामिल करना चाहिए।

मोटे तौर से मैं इस बिल का समर्थन करता हूं, लेकिन साथ ही मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि इस बिल को ज्यादा व्यापक और काम्प्रीहैंसिव बनाया जाये।

†**श्री हिम्मत सिंहका** (गोडा) : मैं इस संशोधन विधेयक का स्वागत करता हूं। इससे बहुत सी ऐसी कठिनाइयां दूर हो जायेंगी जो कि अनाथ बच्चों को गोद लेते वक्त सामने आती थीं। मैं इसे बात को स्वीकार करता हूं कि न्यायालय से अनुमति लेने के उपन्बध से कुछ बाधा उपस्थित हो सकती है और कुछ व्यय भी होगा। आखिर कुछ संरक्षण तो प्रस्तुत करना ही होगा। यह ठीक है परन्तु मेरा निवेदन है कि जहां बच्चा अनाथ हो वहां यह प्रतिबन्ध नहीं रहना चाहिए।

यह भी एक कठिनाई है कि जब तक बच्चे की आयु १२ वर्ष से अधिक न हो, तब तक उसकी इच्छा का जानना बहुत कठिन है। अतः यदि बच्चे का पालन पोषण मान्यता प्राप्त सामाजिक संस्थाओं द्वारा हो रहा हो, तो उसके गोद लेने पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगनी चाहिए। साथ ही जिन बच्चों को हिन्दुओं के रूप में पाला गया हो, उनके गोद लेने पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए चाहे वे अन्य धर्मों के मानने वाले की सन्तान ही क्यों न हो।

इन शब्दों से मैं विधेयक का स्वागत करता हूं।

†**श्री न० रं० घोष** (जलपाईगुड़ी) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। इस पर जो आपत्तियां की गई हैं उसमें कोई सार नहीं है। विधेयक हिन्दू धर्म में हस्तक्षेप करता है यह भी गलत बात है। हिन्दू धर्म तो काफी उदार रहा है। मेरा निवेदन है कि इस मामले में धर्म को नहीं घुसेड़ना चाहिए। मेरे विचार में यदि किसी मुसलमान बच्चे को भी उस हालत में गोद में लिया जा सकता है जिसके मां और बाप ने उसे छोड़ दिया हो। मेरे विचार में धर्म के कारण ऐसे बच्चों के रास्ते में रुकावटें नहीं डालनी चाहिएं।

मुझे इसमें भी कोई कारण नजर नहीं आता कि दत्तक ग्रहण करने वाले बच्चे को वास्तव में दिये अथवा लिए जाने का अनुरोध किया जाय जैसा कि धारा ११(६) में व्यवस्था की।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री न० रं० घोष]

मेरे विचार में तो विधि मंत्री को इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए और इस बात को स्पष्ट करना चाहिए कि दत्तक ग्रहण सम्बन्धी पंजीकृत दस्तावेजों को ही क्यों काफी न समझा जाय। इसी प्रकार मेरा सुझाव यह है कि उपखंड–(ख.ख) के पिछले भाग में "तथा" शब्द के स्थान पर "अथवा" रखा जाय। इससे विधेयक के उद्देश्य और अधिक निश्चित हो जायेंगे।

एक मेरा निवेदन यह भी है कि यह तो ठीक है कि हमें साम्प्रदायिक कोडों के स्थान पर भारतीय कोड बनाना चाहिए। परन्तु आज की जो भी अवस्था है उसके अन्तर्गत इस अधिनियम में परिवर्तन करते समय अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को इसकी सीमा से बाहर न रखा जाय। इस भेदभाव को मिटाने की ओर भी विधि मंत्री का ध्यान जाना चाहिए।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : उपाध्यक्ष महोदय, लोकनायक अणे ने जिस उदार दृष्टि को इस सदन के समक्ष उपस्थित किया है वही दृष्टि स्वतंत्रता के बाद भारतवर्ष की होनी चाहिये। श्री त्रिवेदी ने और गौरी शंकर जी ने इस विधेयक पर इस बात के लिये आक्षेप किया है और विरोध किया है कि जो लोग हिन्दू धर्म के मानने वाले नहीं हैं उनको भी ऐडाप्शन में लिये जाने का अधिकार इसमें दिया गया है। लेकिन अगर आप इस विधेयक के स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स ऐंड रीजन्स को देखें तो उसकी अन्तिम लाइन जो है वह बिल्कुल स्पष्ट है। उस में लिखा है :

कि जिसे मां बाप ने छोड़ दिया है, और वह हिन्दू है तो उसे हिन्दू ही समझा जायेगा।

जब स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स ऐंड रीजन्स में है कि इस प्रकार का जो लड़का होगा उसका धर्म हिन्दू समझा जायेगा, तो मैं नहीं समझता कि यह विवाद कहां से उत्पन्न हो गया कि वह हिन्दू नहीं होगा। कोई मुसलमान या कोई ईसाई ऐडल्ट होने के बाद तो हिन्दू हो सकता है लेकिन अगर कोई बालक हिन्दू धर्म के अनुसार, हिन्दू रीति के अनुसार, रक्खा गया है, उस तरह से उसका लालन पोषण हुआ है, तो वह हिन्दू नहीं हो सकता, जन संघ का यह सिद्धान्त मेरी समझ में नहीं आया। जन संघ एक तरफ तो ख्वाब देखता है कि भारतवर्ष एक ऐसा राष्ट्र होना चाहिये जहां सब लोग एक हों लेकिन दूसरी तरफ इस प्रकार की बात करता है। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि मुसलमानों की तरक्की क्यों हुई। आपके कुतुब उद्दीन ऐबक, अल्तमश और बहलोल लोदी, जिन्होंने यहां पर राज्य किया, वे सब "एक्न्डन्ड चाइल्ड" थे। लेकिन मुसलमानों के अन्दर यह ताकत थी कि हजरत मुहम्मद के मरने के पचास साल बाद तक जो जहां पर भी मिला उसे उन्होंने अपने में शामिल कर लिया। ऐबन्डन्ड चाइल्ड भी हो, तो कानून से तो नहीं लेकिन एक तरह से उन्होंने उसको एडाप्ट कर लिया। फल यह हुआ कि पचास वर्षों के अन्दर मोरक्को से लेकर लाहौर तक उनका राज्य हो गया। लेकिन हम क्यों अलग होते चले गये ? मैं जन संघ के भाइयों से पूछना चाहता हूं कि आखिर क्या कारण है कि हिन्दू जाति, जिसकी संस्कृति का वे इतना उल्लेख करते हैं, सिकुड़ती चली गई ? हमने एक सीमा बना ली। हम ऐसे बैंक की तरह से हो गये जिस बैंक से रोज रुपया उधार लिया जाता है लेकिन बैंक में पूंजी जमा नहीं की जाती।

अगर आप भारतवर्ष की उदार और स्वतंत्र दृष्टि से देखते तो आप सबको इस विधेयक का समर्थन करना चाहिये था और यह दृष्टि वह थी जिसे श्री अणे ने इस सदन के सामने उपस्थित किया था।

श्री बेरवा (कोटा) : जन संघ का उद्देश्य यह नहीं है कि मुसलमान अलग रहें।

श्री रघुनाथ सिंह : आपको इस ढंग से सोचना चाहिये था कि किसी भी धर्म को मानने के लिये हर एक आदमी स्वतंत्र है। अगर किसी का लालन पोषण हिन्दू धर्म के अनुसार हुआ है और वह हिन्दू बालक समझा जाता है, तो हम उसे हिन्दू समझेंगे, दूसरा कुछ नहीं। इस दृष्टि से मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

†**श्री अ० कु० सेन** : मुझे इस बात का अतीव हर्ष है कि सदन के सभी भागों ने इस विधेयक का स्वागत किया है। केवल एक मात्र यह आपत्ति मुझे जंची नहीं कि केवल अज्ञात होने से किसी बच्चे का मुस्लिम अथवा ईसाई अथवा किसी अन्य माता पिता की सन्तान होने की सम्भावना हो सकती है। तथा इस कारण उसके हिन्दू परिवार में गोद लिये जाने पर रोक लगा दी जाये। यह तो केवल संकीर्णता का ही द्योतक है। परिभाषा में यह स्पष्टकर दिया गया है कि जो हिन्दू, सिख, जैन, के रूप में पला है उस बच्चे को हिन्दू ही माना जायेगा। परन्तु मेरा कहना है कि किसी अनाथ बच्चे को जिसके मां बाप ने उसे छोड़ दिया है केवल इस धर्म की पाबन्दी के कारण किसी की गोद में जाने से नहीं रोका जाता। श्री घोष की इच्छानुसार मैं धारा ११ में संशोधन का नोटिस देता हूं। संशोधन इस प्रकार है :

पृष्ठ २, पंक्ति २२ के बाद--

'4. **Amendment of Section 11**—In section 11 of the principal Act, in clause (vi), after the words "from the family of its birth", the words "or in the case of an abandoned child or a child whose parentage is not known, from the place or family where he has been brought up" shall be inserted.'

['४. **धारा ११ का संशोधन**—मूल अधिनियम की धारा ११ में, खंड (६) में, "अपने जन्म के परिवार से" शब्दों के पश्चात् "छोड़े हुए अथवा अज्ञात मां बाप के, उस स्थान से अथवा जिस परिवार में उसका पालन पोषण हो उससे" शब्द रख दिये जायेंगे।']

मुझे आशा है कि इन संशोधनों को स्वीकार कर लिया जायेगा।

†**श्री काशी राम गुप्ता** (अलवर) : जायज और नाजायज बच्चों के प्रश्न का क्या बना ? गोद लेने के समय कौन इसका निर्णय करेगा।

†**श्री अ० कु० सेन** : लगता है कि माननीय सदस्य ने संशोधन को समझा नहीं है। इसमें जायज और नाजायज का प्रश्न नहीं। यह तो एक व्यवस्था है जिसके अनुसार गोद लेने मे कोई कठिनाई नहीं होगी।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"हिन्दू दत्तग्रहण और पोषण अधिनियम, १९५६ मे अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड २ विधेयक का अंग बने।"

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ३ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

नया खंड ४

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय विधि मंत्री ने एक नया संशोधन भेजा है ।

†**श्री अ० कु० सेन** : मैं प्रस्तुत करता हूं :

पृष्ठ २, पंक्ति २२ के बाद---

'4. **Amendment of section 11.**—In section 11 of the principal Act, in clause (vi), after the words "from the family of its birth", the words "or in the case of an abandoned child or a child whose parentage is not known, from the place or family where he has been brought up" shall be inserted.'

['४. **धारा ११ का संशोधन**—मूल अधिनियम की धारा ११ में खंड (६) में, "अपने जन्म के परिवार से" शब्दों के पश्चात् "छोड़ हुए अथवा मां बाप के, उस स्थान से अथवा जिस परिवार में उसका पालन पोषण हो उससे" शब्द रख दिये जाये ।'] (६)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ २, पंक्ति २२ के बाद---

'4. **Amendment of section 11.**—In section 11 of the principal Act, in clause (vi), after the words "from the family of its birth", the words "or in the case of an abandoned child or a child whose parentage is not known, from the place or family where he has been brought up" shall be inserted.'

[**४. धारा ११ का संशोधन**---मूल अधिनियम की धारा ११ में खंड (६) में, "अपने जन्म के परिवार से" शब्दों के पश्चात् "छोड़े हुए अथवा मां बाप के, उस स्थान से अथवा जिस परिवार में उसका पालन पोषण हो, उससे" शब्द रख दिये जाये ।']

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि नया खंड ४, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नया खंड ४, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड १, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० कु० सेन** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप मे, पारित किया जाय ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

ईसाई विवाह और वैवाहिक कारण विधेयक

†**उपाध्यक्ष महोदय** : विधि मंत्री संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव करेंगे ।

†**श्री अ० कु० सेन** : श्रीमान जी, मैं प्रस्ताव करता हूं ।

"कि इसाईयों के विवाह तथा वैवाहिक कारणों सम्बन्ध विधि को संशोधित तथा संहिता-बद्ध करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं के ४५ सदस्यों की संयुक्त समिति को सौंपा जाये, जिसमें इस सभा के ३० सदस्य, अर्थात्, श्री जोकीम आल्वा, श्री बैरो, श्री राजेन्द्रनाथ बरुआ, श्रीमती रेणु चक्रवर्ती, श्रीमती कमला चौधरी, श्री दलजीत सिंह, श्री रामधनी दास, श्री सुधांशु भूषण दास, श्री मूल चन्द दुबे, श्री न० बा० गांधी, श्री लीलाधर कटकी, श्री मे० क० कुमारन, श्री बै० ना० कुरील, श्री मणि-यंगाडन, श्री हरिश्चन्द्र माथुर, श्री प० गो० मेनन, श्री विभूधेन्द्र मिश्र, श्री महेश्वर नायक, श्री नेसामनि, श्री पु० र० पटेल, श्रीमती यशोदा रेड्डी, श्री सोनावने, श्री शिवमूर्ति स्वामी, श्री स्वैल, श्री अ० म० थामस, पंडित द्वा० ना० तिवारी, श्री उ० मू० त्रिवेदी, श्री अब्दुल वहीद, श्री यशपाल सिंह तथा प्रस्तावक ।

और राज्य सभा के १५ सदस्य हों

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिये गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक-तिहाई होगी,

कि समिति इस सभा को अगले अधिवेशन के प्रथम दिन तक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगी,

कि अन्य प्रकरणों में संसदीय समितियों पर लागू होने वाले इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूप भेदों के साथ लागू होंगे, जो अध्यक्ष करें, और

कि यह सभा राज्य सभा की सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को बतायें ।"

मेरा निवेदन है कि इस विधेयक की बहुत समय से जरूरत थी । देश को विभिन्न ईसाई धर्म संस्थाओं और ईसाई सम्प्रदाय के सदस्यों की ओर से बहुत समय से ईसाई विवाह और तलाक के विषय पर एक समेकित विधि की मांग की जा रही थी । सरकार ने यह मामला विधि आयोग को निर्दिष्ट किया था । आयोग ने उस पर बहुत गहराई से विचार किया और अपनी सिफारिशें तैयार

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० कु० सेन]

कीं। रायें आमंत्रित करने के पश्चात् उसने एक विधेयक तैयार किया जिसे समस्त देश मे परिचालित किया गया। तत्पश्चात् उन्होंने अपना प्रतिवेदन सरकार को पेश किया।

विधि आयोग ने एक प्रारूप विधेयक के रूप में अपनी सिफारिशें की थीं। इसके परिचालन के बाद उसने अपना पन्द्रहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। सरकार ने उस पर विचार करके यह विधेयक प्रस्तुत किया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है जो कि भारत के एक अत्यन्त महत्वपूर्ण समुदाय पर प्रभाव डालता है, इसे संयुक्त समिति को सौंपना आवश्यक समझा गया है।

अधिनियम पहले तो विवाह की शर्तों के बारे में है। ये शर्तें विधि आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रख कर बनाई गई हैं और इनका सम्बन्ध सहमति की आयु, नाबालिग पतियों या पत्नियों संरक्षकों की सहमति और निषिद्ध पीढ़ियों के प्रश्न से है। निषिद्ध पीढ़ियां निर्धारित करते समय पुराने रीति रिवाजों को ध्यान मे रखा गया है। हिन्दू विवाह अधिनियम की तरह इन रीति रिवाजों को कायम रखा जायेगा। अध्याय २ में हमने विवाह की उन शर्तों का वर्णन किया है, जो एक वैध ईसाई विवाह पर लागू होंगी।

ईसाई विवाह के सम्पन्न किये जाने का उल्लेख अध्याय ३ में है। इस सम्बन्ध में १८७२ के ईसाई विवाह अधिनियम की योजना को कायम रखा गया है।

इस विषय में कुछ विवाद था कि क्या ईसाई विवाह अधिनियम मे अदालती विवाह का उपबन्ध होना चाहिये या नहीं। ईसाइयों की राय को ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम मे अदालती विवाह का उपबन्ध बनाये रखा गया है।

तलाक के सम्बन्ध में हमने तलाक कानून की कुछ नई बातों का समावेश किया है। हिन्दू विवाह अधिनियम में तलाक के जो कारण दिये गये हैं, वह इस विधेयक में भी रखे गये हैं और पत्नियों को समान अधिकार दिये गये हैं।

कोढ़ और यौन रोग तलाक के अतिरिक्त आधार बना दिये गये हैं।

न्यायिक पृथक्करण के सम्बन्ध मे भी आधुनिक तत्वों का समावेश किया गया है।

इस समय खंडों पर विचार करने की बजाय विधेयक के सिद्धान्तों पर बहस करना अधिक अच्छा होगा, ताकि संयुक्त समिति सविस्तार इसकी जांच कर सके।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री मणियंगाडन** (कोट्टयम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि विधेयक पर राय जानने के लिए इसे ३० अक्तूबर, १९६२ तक परिचालित किया जाये"।

†**श्री अ० कु० सेन** : एक माननीय सदस्य जिन्होंने संयुक्त समिति में काम करना मंजूर कर लिया है परिचालन का प्रस्ताव कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं।

---

†१

†**उपाध्यक्ष महोदय** : वे परिचालन का प्रस्ताव कैसे कर सकते हैं ?

†**श्री कोप्पन** (मवातुपुज) : भारत के ५० प्रतिशत ईसाई 'कैथोलिक' हैं और उनके विवाह सम्बन्धी कुछ निश्चित सिद्धान्त हैं, जिन्हें कड़ाई के साथ लागू किया जाता है। संयुक्त समिति को इस प्रश्न पर विचार करना चाहिये कि विधेयक के उपबन्ध उस जाति के लिए कहां तक लाभकारी होंगे। उसे भूतपूर्व त्रावनकोर-कोचीन राज्य के कैथोलिकों का साक्ष्य लेना चाहिये, क्योंकि इस विधि का उन पर गहरा प्रभाव पड़ेगा।

यदि आवश्यक हो तो यह कानून ईसाइयों और गैर-ईसाइयों के बीच हुए विवाहों पर भी लागू किया जाना चाहिये। समिति को इस प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये। हमें अन्तर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहन देना चाहिये और उसके लिए अधिनियम में व्यवस्था करनी चाहिये।

विधेयक में 'ईसाई' की जो व्याख्या की गई है वह अनिश्चित एवं अपर्याप्त है। समिति को मान्यता प्राप्त गिरजाघर के पादरी की व्याख्या करने के प्रश्न पर भी विचार करना चाहिये।

कैथोलिक धर्म के अनुसार विवाह ईसाई पादरी द्वारा कैथोलिक गिरजाघर में धार्मिक विधि के उपबन्धों के अनुसार सम्पन्न किया जाना चाहिये। विधेयक के विवाह सम्पन्न कराने सम्बन्धी उपबन्ध संविधान द्वारा प्रदान किये गये मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण होगा।

जिन गिरजाघरों को मान्यता प्राप्त नहीं है उनको समिति के समक्ष याचिका पेश करनी होगी। यदि समिति उस याचिका पर ध्यान न दे, तो अपील के लिए भी उपबन्ध होना चाहिये।

जहां तक वैध विवाह की शर्तों का सम्बन्ध है, अपवाद के मामलों में छूट के लिए भी उपबन्ध किया जाना चाहिये। इसी प्रकार अपवाद स्वरूप मामलों में नाबालिग लड़की के विवाह के मामले में संरक्षक की सहमति पर जोर नहीं दिया जाना चाहिये। इस बात के लिए भी उपबन्ध किया जाना चाहिये कि अपवाद के मामलों में कोई व्यक्ति मरने के समय बिना गिरजाघर में जाने के विवाह कर सके। धार्मिक विधि में ऐसे विवाहों की अनुमति है।

विवाह-विच्छेद को अधिक कड़ा एवं कठिन बना दिया जाना चाहिये।

मान्यता प्राप्त चर्चों में जैकोबाइट और मारथोमाइट चर्चों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिये।

†**श्री प्रिय गुप्त** (कटिहार) : इस विधेयक पर विचार करते समय हमारे समाज की बनावट को ध्यान में रखना चाहिये। देश के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार के ईसाई हैं, जैसा कि अन्य प्रकार के समुदायों के लोग भी हैं अपने समाज की विविधता और देश में प्रचलित रूढ़ियों एवं प्रथाओं को दृष्टि में रखते हुए हमें इस कानून के संसाधन के उद्देश्य के सम्बन्ध में भली प्रकार विचार करना चाहिये ताकि जनता के किसी भी वर्ग के प्रति कोई अन्याय न हो।

यह प्रश्न भी ठीक उठाया गया है कि ईसाई और गैर-ईसाई के बीच विवाहों के बारे में क्या उपबन्ध होगा। ईसाइयों के विभिन्न वर्गों के लिए अलग अलग संहिता होनी चाहिये।

संयुक्त समिति को ३० अक्तूबर तक प्रतिवेदन देने के लिए कहा गया है। मैं समिति के सदस्यों से कहूंगा कि वे ईसाइयों की विभिन्न श्रेणियों से मिलें और उन की राय लें।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० कोवाको** (नाम निर्देशित--गोआ, दमन और दीव): यह हर्ष की बात है कि संयुक्त समिति में दो रोमन कैथोलिक भी लिये गये हैं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बैरकपुर) : मैं इस विधेयक का स्वागत करती हूं क्योंकि मैं आशा करती हूं कि इसके बाद मुसलमान और पारसी विवाह विधेयक भी लाये जायेंगे क्योंकि उनको भी समयानुसार बनाया जाना चाहिये। हम चाहते हैं कि विवाह आदि सम्बन्धी विधि भारत के सब नागरिकों के लिए समान बनाई जाये। यह कठिन काम है किन्तु इस का प्रयत्न तो करना चाहिये। अब जब कि ईसाइयों की विधि को संहिताबद्ध किया जा रहा है, इस से हमें पहले कानूनों की जांच का अवसर मिलता है, ताकि हम नये काननों में उनके अच्छे पहलू उन में सम्मिलित कर सकें और बुरे पहलू हटा सकें।

[श्री मूल चन्द दुबे पीठासीन हुए]

तलाक हिन्दू विधि में पहली बार लाया गया है। हिन्दुओं की तरह रोमन कैथोलिक भी विवाह को अटूट और पवित्र मानते हैं। इस विधेयक में तलाक सम्बन्धी उपबन्ध केवल अनुमति-दायक खंड है। तलाक को आसान बनाने का कोई प्रश्न नहीं है। न्यायालय द्वारा सुलह सफाई करवाने सम्बन्धी खंड बहुत अच्छा खंड है और प्रवर समिति को देखना चाहिये कि इसे कैसे अधिक प्रभावोत्पादक बनाया जाये।

रोमन कैथोलिकों में भी तलाक की व्यवस्था है, हमेशा से रही है। मनु ने भी कुछ विशेष परिस्थितियों में विवाह-विच्छेद की व्यवस्था की थी। इसलिये विवाह-सम्बन्ध कोई ऐसा नहीं है जिसे कभी भंग ही न किया जा सके। हां, विवाह-सम्बन्ध को गम्भीरता से लिया जाना चाहिये।

हिन्दू विवाह अधिनियम में विवाह-सम्बन्ध के शून्य होने की दो ही शर्तें हैं--दो विवाह और निषिद्ध सम्बन्धियों में विवाह। तलाक की शर्तें ऐसी रखी जानी चाहिये जो अन्य धार्मिक समुदायों के नियमों से भी मेल खायें। मैं केवल दुराचार को तलाक का आधार मानने के लिये तैयार नहीं।

निषिद्ध सम्बन्धियों में विवाह पर प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में मेरा विचार है कि निकट सम्बधियों और खून के रिश्ते से सम्बन्धित सम्बनधियों में विवाह के विरुद्ध जनमत को तैयार करना चाहिये, क्योंकि विज्ञान और जीव-विज्ञान की दृष्टि से ऐसे विवाह हानिकारक होते हैं। जनता को यह बतलाया जाना चाहिये। विधि आयोग ने कहा है कि यदि किसी धार्मिक समुदाय की प्रथा किसी विवाह की अनुमति दे, तो विधि को उस पर प्रतिबन्ध नहीं लगाना चाहिये। दक्षिण भारत में भतीजियों और चाचाओं में, और मुसलमानों में चाचा जात भाई-बहिनों तक में विवाह की अनुमति है। इसक विरुद्ध जनमत तैयार किया जाना चाहिये।

पुरुष द्वारा किये जाने वाले दुराचार के आधार पर स्त्री को भी तलाक देने की अनुमति होनी चाहिये। मैं मानती हूं। लेकिन विशेष विवाह अधिनियम और ईसाई अधिनियम में दुराचार के एक ही उदाहरण के सिद्ध होने पर तलाक दिया जा सकता है।

यह व्यवस्था तो रहनी चाहिये, पर सभा और प्रवर समिति को इस पर थोड़ी और गहराई से

---

†मूल अंग्रेजी में

विचार करना चाहिये । मेरा ख्याल है कि इंगलैंड की विधि में दुराचार को सिद्ध करने की जो व्यवस्था रखी गई है, उससे छीछालेदर ही ज्यादा होती है । मैं उसे अनावश्यक मानती हूं ।

इंगलैण्ड की विधि में इसी तरह दुराचरण के लिये हर्जाने की व्यवस्था भी है । उसके अनुसार तलाक़ देने के लिये मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, पर हर्जाने का दावा किया जा सकता है । हमारे विधि आयोग ने इस व्यवस्था के बेतुकेपन को समझ लिया है, और उसने इसलिये व्यवस्था की है कि हर्जाने के लिये तभी दावा किया जा सकेगा, जब तलाक के लिये प्रर्थना-पत्र दिया जाये । हम ने हिन्दू विवाह अधिनियम और विशेष विवाह अधिनियम में उसे सम्मिलित नहीं किया है ।

प्रवर समिति को विचार करके तलाक की शर्तों को ऐसा बनाना चाहिये जो हिन्दू विवाह अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम और ईसाई विवाह अधिनियम पर समान रूप से लागू हो सकें ।

ईसाई अधिनियम में कानूनी विच्छेद की व्यवस्था बड़ी अच्छी है कि यदि उसके दो वर्ष बाद तक भी पति-पत्नी संभोग नहीं करते, तो विवाह अपने-आप भंग हो जायेगा । इसे हिन्दू विवाह अधिनियम और विशेष विवाह अधिनियम में भी शामिल किया जाना चाहिये ।

मैं पारस्परिक सहमति द्वारा विवाह-विच्छेद की व्यवस्था को अच्छी समझती हूं । उस से दोनों में कटुता नहीं रह जाती । कचहरी में छीछालेदार कराने से वह कहीं अच्छा तरीका है ।

शून्य करार किये जाने वाले विवाहों की संतान को वैध मान कर बहुत ही ठीक किया गया है ।

विवाह-विच्छेद होने पर, अवयस्क संतान की संरक्षणता माता को सौंपी जानी चाहिये, यदि माता दुराचारिणी या असमर्थ न हो ।

यह व्यवस्था ईसाई और गैर-ईसाइयों के बीच होने वाले विवाहों पर ही लागू हो। जरूरी नहीं है ।

मैं विधि आयोग की यह बात मानती हूं कि इसे सभी विवाहों पर लागू होना चाहिये ।

चर्चों की मान्यता के सम्बन्ध में जो बड़े पुराने स्थापित चर्च हैं उन को तो मान्यता है ही । कई नये चर्च भी हैं, जिनको मान्यता मिलनी चाहिये । मान्यता के सम्बन्ध में चर्चों द्वारा याचिका दे सकने की व्यवस्था बड़ी ठीक है । अपील करने का अधिकार रहना चाहिये ।

मान्यता प्राप्त चर्चों को विवाह कराने की अनुमति रहनी चाहिये । उसके लिये अनुज्ञप्तियां लेने की व्यवस्था का बड़ा अस्वास्थ्यप्रद प्रभाव पड़ेगा ।

हमें इन व्यवस्थाओं में अपनी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि को सर्वाधिक महत्व देना चाहिये । हमें इन व्यवस्थाओं पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विचार करना चाहिये । ऐसी व्यवस्थायें होनी चाहिये, जो सारे भारत पर लागू की जा सकें । भारत के सभी ईसाइयों के लिये हमें एक ही विधि रखनी चाहिये ।

†**विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभूधेन्द्र मिश्र)** : मैं श्रीमती रेणु चक्रवर्ती का आभारी हूं कि उन्हों ने अधिकांश बातों का स्पष्टीकरण कर दिया है । उन्हों ने बतलाया है कि माननीय सदस्यों द्वारा उठाई गई अधिकांश आपत्तियों का उत्तर विधि आयोग दे चुका है ।

विधि आयोग ने इस विधेयक की व्यवस्था को त्रावणकोर-कोचीन के पुराने राज्य तक विस्तृत करने के प्रश्न पर पूरी तौर से चर्चा की थी । आयोग ने कहा है कि हालांकि सीरियाई ईसाइयों की विवाह प्रणाली प्रथाओं पर आधारित है, पर उस में और रोमन कैथोलिक ईसाइयों की विवाह-

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री विभुवेन्द्र मिश्र]

प्रणालियों में अधिक अन्तर नहीं है। आयोग ने इसीलिये सिफारिश की है कि इसे उस क्षेत्र पर भी लागू किया जाना चाहिये। ईसाई विवाह अधिनियम अभी तक मनीपुर में लागू नहीं था, आयोग ने इसे मनीपुर पर भी लागू करने की सिफारिश की है। विचित्र सी बात है कि यह लागू न होने पर भी, तलाक अधिनियम मनीपुर पर लागू था। उस से अनियमितता की स्थिति पैदा हो जाती है। अब चूंकि विधि को संहिता बद्ध किया जा रहा है इसलिये दोनों अधिनियमों को एक साथ रखना ही उचित है।

मैं श्रीमती चक्रवर्ती की इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि विवाह और तलाक सम्बन्धी विधियां ऐसी होनी चाहियें जो सभी समुदायों के लिये यथासंभव समान हो सकें। संविधान में यह भी व्यवस्थित है कि व्यवहार संहिता में एकरूपता होनी चाहिये। विधि आयोग ने भी विशेष विवाह अधिनियम और हिन्दू विवाह अधिनियम की व्यवस्थाओं का अध्ययन किया है। विशेष विवाह अधिनियम की सभी व्यवस्थाओं को ईसाई विवाह अधिनियम में समाविष्ट किया जा चुका है। उस में दुराचरण के अतिरिक्त तलाक के अन्य आधार भी जोड़ दिये गये हैं।

तलाक की व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में आपत्ति उठाई गई है। धार्मिक विश्वास के आधार पर उस का विरोध किया गया है। लेकिन अब तो उसे संविधि पुस्तक में भी स्थान मिल चुका है। हिन्दुओं के लिये वह एक सर्वथा नई चीज थी, फिर भी उस से कोई बड़ी असुविधा पैदा नहीं हुई है। ईसाइयों के लिये तो वह इतनी नई चीज नहीं है। और फिर वह किसी को भी तलाक न्यायालयों की शरण लेने के लिये विवश तो नहीं करती। लेकिन जो जाना चाहें, उन पर भी तो कोई रोक नहीं होनी चाहिये।

ईसाई धर्माधिकारियों की परिभाषा के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। नई व्यवस्थायें पुराने अधिनियम की व्यवस्थाओं पर आधारित हैं। एक समिति उन की मान्यता के प्रश्न पर विचार करेगी। इस विधेयक में ईसाई धर्माधिकारियों की परिभाषा नहीं की जा सकती। वे तो अपने-अपने चर्चों की परिभाषा से निश्चित होंगी। उन के अपने नियमों में हम को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। उन की नियुक्ति चर्च करते हैं। विधि आयोग ने इस पर काफी विस्तार से चर्चा की है। आयोग की सिफारिश है कि वर्तमान अधिनियम में विवाह की जो तीन श्रेणियां बनाई गई हैं, उन को घटा कर दो करना चाहिये। आयोग ने भारतीय ईसाइयों और गैर ईसाइयों के बीच विभेद नहीं किया है। सिविल विवाह के आयोग ने बरकरार रहने दिया है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने अधिकांश बातों का उत्तर दे ही दिया है, इसलिये मुझे इस अवस्था पर अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। प्रवर समिति इस पर काफी विस्तार से विचार करेगी ही। राय जानने के लिये परिचालित करने के संशोधन की अनुमति नहीं दी गई है। आयोग के १५वें और २२वें प्रतिवेदनों पर विचार किया जा चुका है। विधि आयोग ने उच्च न्यायालयों, उच्चतम न्यायालय और ईसाई संस्थाओं के पास एक प्रश्नावली भेजी थी। उन के उत्तरों पर विचार किया जा चुका है। इस विषय को इतना अधिक महत्व दिया गया है। इसलिये अब इसे राय जानने के परिचालित कर के समय का अधिक अपव्यय करना उचित नहीं होगा।

सभापति महोदय द्वारा विधेयक को राय जानने के लिए परिचालित करने का संशोधन मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि ईसाइयों के विवाह तथा वैवाहिक कारणों सम्बन्धी विधि को संशोधित तथा संहिता-बद्ध करने वाले बिल को दोनों सभाओं के ४५ सदस्यों की संयुक्त समिति को सौंपा जाये, जिस में इस सभा के ३० सदस्य, अर्थात्, की जोकीम आल्वा, श्री बैरो, श्री राजेन्द्रनाथ बरुआ, श्रीमती रेणु चक्रवर्ती, श्रीमती कमला चौधरी, श्री दलजीत सिंह, श्री रामधनी दास, श्री सुधांशु भूषण, श्री मूल चन्द दुबे, श्री व० बा० गांधी, श्री लीलाधर कटकी, श्री मैं० क० कुमारन, श्री बै० ना० कुरील, श्री मणियंगाडन, श्री हरिश्चन्द्र माथुर, श्री प० गो० मेनन, श्री विभु-धेन्द्र मिश्र, श्री महेश्वर नायक, श्री नैसामणि, श्री पु० रो० पटेल, श्रीमती यशोदा रेड्डी, श्री सोनावने, श्री शिवमूर्ति स्वामी, श्री स्वेल, श्री अ० म० थामस, पंडित द्वा० ना० तिवारी, श्री उ० मू० त्रिवेदी, श्री अब्दुल वहीद, श्री यशपाल सिंह तथा श्री अशोक कुमार सेन ।

और राज्य सभा के १५ सदस्य हों ;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिये गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक-तिहाई होगी ;

कि समिति इस सभा को अगले अधिवेशन के प्रथम दिन तक प्रतिवेदन देगी ;

कि अन्य प्रकरणों में संसदीय समितियों पर लागू होने वाले इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूपभेदों के साथ लागू होंगे, जो अध्यक्ष करें ; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को बतायें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

इसके पश्चात्, लोक-सभा गुरुवार, ९ अगस्त, १९६२/१८ श्रावण, १८८४ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बुधवार, ८ अगस्त, १९६२

१७ श्रावण, १८८४ (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	२७३—३०१

तारांकित
प्रश्न संख्या

९२	चीन की वायु सीमा का कथित अतिक्रमण	२७३—७५
९३	रूरकेला का विस्तार	२७५—७७
९४	पूर्व बिहार और पश्चिम बंगाल में तेल	२७७—७९
९५	सरकारी सेवाओं में शराब पीना एक अनर्हता	२७९—८२
९६	केरल में ग्रामीण संस्था	२८२
९७	बोकारो इस्पात संयंत्र	२८२—८६
९८	संगीत नाटक अकादमी	२८६—८७
९९	एवरो-७४८ का निर्माण	२८८—८९
१००	रायल्टी की दरें	२८९—९१
१०१	विशेष प्रकार का इस्पात	२९१—९३
१०२	"मिग" विमानों का सौदा	२९३—९८

अल्प-सूचना
प्रश्न संख्या

१ के अनुपूरक प्रश्न

अमरीका से दूषित आटा	२९८—३०१

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	३०१–७४
तारांकित प्रश्न संख्या	
१०३ हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड में कम कीमत की मोटरगाड़ी	३०१–७२
१०४ दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश . .	३०२
१०५ मूल्यों में वृद्धि .	३०३–०४
१०६ शिक्षा आयोजकों का प्रशिक्षण	३०४
१०७ उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में प्रवेश	३०५
१०८ बच्चों की शिक्षा .	३०५–०६
१०९ नाटक प्रतियोगिताएं	३०६
११० अधिवक्ता अधिनियम .	३०६–०७
१११ चाय पर कर . .	३०७
११२ कोयला विकास के लिए पोलैंड की सहायता	३०७–०८
११३ अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण .	३०८
११४ दिल्ली-कलकत्ता तेल की पाइप लाइन . .	३०८
११५ डा० राय के नाम पर दुर्गापुर का पुनः नामकरण .	३०८–०९
११६ सिंगरेनी कोयला खानें .	३०९
११७ कृत्रिम वर्षा .	३०९
११८ कोयले का मूल्य . . .	३१०
११९ आन्ध्र प्रदेश में इस्पात कारखाना	३१०
१२० विदेशी मुद्रा का तस्कर व्यापार . .	३१०–११
१२१ मध्य प्रदेश में उर्वरक फैक्टरी . .	३११
१२२ बच्चों द्वारा सोवियत रूस की यात्रा	३११
१२३ मद्रास में इस्पात संयंत्र .	३१२
१२४ फालतू असैनिक माल . .	३१२
१२५ विद्यार्थियों के लिए विदेशी मुद्रा .	३१२–१३
१२६ कानपुर में विशेष धातुमिश्रित इस्पात संयंत्र	१३
१२७ छोटी कारों का निर्माण . . .	३१३–१४
१२८ औद्योगिक प्रबन्ध "पूल" .	३१४–१५
१२९ अन्दमान में पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना	१५
१३० अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड .	३१५–१६
१३१ विदेशी मुद्रा विनियमन का उल्लंघन .	३१६
१३२ हरिद्वार में भारी विद्युत् उपकरण परियोजना	३१७
१३३ शिक्षा का महत्व . .	३१७–१८

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—		
तारांकित प्रश्न संख्या		
१३४	इस्पात संयंत्र में परिवर्तन	३१८–१९
१३५	सामान्य बीमे की किस्तों की दरों में परिवर्तन	३१९
१३६	बैंकों द्वारा पाकिस्तान में अनिवार्य निक्षेप	३१९
१३७	कोयला खानों का एकीकरण	३२०
१३८	व्हिटले परिषदें	३२०
१३९	विदेशी राष्ट्रजनों को विदेशी मुद्रा की सुविधायें	३२१
१४०	जनगणना	३२१
१४१	पाइपलाइनों के लिये ऋण	३२१–२२
१४२	संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासनिक ढांचा	३२२
१४३	लोहा तथा इस्पात बोर्ड	३२२
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२१५	लौह अयस्क का उत्पादन	३२२–२३
२१६	सिन्दरी उर्वरक कारखाना	३२३
२१७	राजस्थान में वायु-चुम्बकीय सर्वेक्षण	३२३–२४
२१८	चोरी छिपे लाये गये सोने का पकड़ा जाना	३२४–२५
२१९	अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों के लिये छात्रवास	३२५–२६
२२०	आदिम जातियों के विद्यार्थी	३२६
२२१	त्रिपुरा में झूमिया	३२६
२२२	खोवई में आंधी	३२६–२७
२२३	त्रिपुरा में आदिम जातियों के लिये भूमि	३२७
२२४	स्कूल एटलस	३२७
२२५	त्रिपुरा का आदिम जाति कल्याण विभाग	३२८
२२६	मद्रास में जहाज़ी इंजन का कारखाना	३२८
२२७	आन्ध्र प्रदेश में पर्वतीय आदिम जातियां	३२८
२२८	बेलोनिया की आदिम जातियां	३२९
२२९	उड़ीसा में कोयला	३२९
२३०	पेन्शन पाने वाले	३३०

विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२३१	उर्दू-मलयालम शब्द कोष	३३०
२३२	तैल अनुसन्धान	३३०
२३३	राजस्थान में योग्यता छात्र वृत्तियां	३३०–३१
२३५	कुठ तेल का निकाला जाना	३३१
२३६	कांगड़ा में सीमेंट का कारखाना	३३२
२३७	भारत का उर्वरक निगम	३३२
२३८	भारतीय वायु सेना के सदस्यों द्वारा घाटियों का दौरा	३३३
२३९	चन्द्रधारी संग्रहालय	३३३
२४०	गांजे का तस्कर-व्यापार	३३३–३४
२४१	संयुक्त राष्ट्र बाल आपात निधि से दुग्ध-चूर्ण	३३४
२४२	भारतीय वायु सेना के विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना	३३४–३५
२४३	आय-कर अधिनियम के अन्तर्गत तलाशियां	३३५
२४४	राष्ट्रीय धातु-कर्मिक प्रयोगशाला	३३५
२४५	कानपुर में टैगौर थियेटर	३३५–३६
२४६	इस्पात संयंत्रों में उत्पादन आंकड़े	३३६
२४७	एम० ई० एस० मामलों का विवाचन	३३६
२४८	आन्ध्र प्रदेश में "यरकला" और "इरादी" जातियां	३३७
२४९	सरकारी ऋण	३३७
२५०	गुरदासपुर का भूतत्वीय सर्वेक्षण	३३७
२५१	महेन्द्रगढ़ में इस्पात संयंत्र	३३८
२५२	फील्ड टेलीफोन केबल का निर्माण	३३८
२५३	सरकारी समवायों में हानि	३३८–३९
२५४	प्रशासकीय राष्ट्रीय अकादेमी का हटाना	३३९
२५५	दिल्ली बोर्ड की हायर सैकन्डरी परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थी	३३९
२५६	गोहाटी-बैरौनी पाइप-लाइन	३३९
२५७	केरल में मध्यान्ह भोजन योजना	३३९–४०
२५८	डेन्मार्क से ऋण	३४०
२५९	प्लाईवुड पर उत्पादन शुल्क	३४०
२६०	पालम हवाई अड्डा	३४०–४१

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२६१	विदेशों को भेजे गये नये प्रतिनिधिमंडल .	३४१
२६२	इंडियन आइल कम्पनी . .	३४१
२६३	दिल्ली में लम्बित फ़ौजदारी के मामले . . .	३४१–४२
२६४	केरल कृषि सुधार अधिनियम को लक्षद्वीप, मिनीकाय और अमीनदीवी-द्वीपसमूह में लागू करना . .	३४२
२६५	सिंगरेनी कोयला खान . . .	३४२
२६६	अखिल भारतीय शिक्षा सेवा . .	३४२–४३
२६७	राज्यों को व्याज रहित–ऋण . . .	३४३
२६८	महारानी उषा राजे को मान्यता . .	३४३
२६९	पंजाब में तेल छिद्रण का काम . .	३४३–४४
२७०	निवृत्ति वेतन की स्वीकृति . .	३४४
२७१	पाकिस्तानी जाली नोट . .	३४४
२७२	आजाद हिन्द फौज के सैनिक . . .	३४५
२७३	विदेशी ऋणों का चुकाया जाना . .	३४६
२७४	रिज़र्व बैंक का राज्यों पर बकाया ऋण . .	३४६–४७
२७५	इस्पात संयंत्रों का उपोत्पाद . . .	३४७
२७६	रूरकेला में सिविल इंजीनियरिंग कामों के लिये ठेके . .	३४७–४८
२७७	त्रिपुरा में लेखकों को प्रोत्साहन .	३४८
२७८	सोने का तस्कर व्यापार . .	३४८
२७९	त्रिपुरा में मतदाताओं का नामांकन . .	३४९
२८०	उनाकुटी तिरक, त्रिपुरा .	३४९
२८१	कोयले के प्रयोग में कमी .	३४९–५०
२८२	चंडीगढ़ हवाई अड्डा .	३५०
२८३	रूस में प्राचीन भग्नावशेष . .	३५०
२८४	सीमेंट में मिलावट	३५०–५१
२८५	सांताक्रूज हवाई अड्डे पर सोने का पकड़ा जाना . .	३५१
२८६	मोटर कारों का निर्माण .	३५१
२८७	शिक्षा सम्बन्ध, पर्यटन . . .	३५१
२८८	पंजाब के प्रकाशकों को सहायता . .	३५२

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

अतारांकित

प्रश्न संख्या

२८९ मैट्रिक के आगे अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां . ३५२

२९० पंजाब में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों का कल्याण . ३५२

२९१ पदनिवृत्त अध्यापकों की सेवायें ३५२–५३

२९२ गुजरात तेल शोधनशाला . . . ३५३

२९३ सरकारी कर्मचारियों के लिये कैंटीन ३५३

२९४ तिरुचिनापल्ली में हाई प्रेशर बायलर ३५३–५४

२९५ मद्रास के लिये सीमेंट ३५४–५५

२९६ आन्ध्र प्रदेश में कोयला ले जाने के लिये अलग माल डिब्बे ३५५

२९८ अनुसूचित जातियों के लिये कानूनी सहायता . ३५५–५६

२९९ पवन शक्ति . . . ३५६

३०० केन्द्रीय मद्य-निषेध समिति . ३५६

३०१ घरेलू नौकर . ३५७

३०२ अध्यापन शुल्क . . ३५७

३०३ आरम्भिक शिक्षा तथा लड़कियों की शिक्षा . . ३५७

३०४ अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त का वार्षिक प्रतिवेदन . . ३५७–५८

३०५ हिन्दू विवाह अधिनियम में असंगति ३५८

३०६ भारतीय प्रशासक सेवा के परिवीक्षक . . ३५८

३०७ सैनिक कर्मचारियों के बालकों को शिक्षा सम्बन्धी रियायतें ३५८–५९

३०८ नाइजीरिया को प्रतिरक्षा मंत्रालय का प्रतिनिधिमंडल . ३५९

३०९ अखिल भारतीय प्रशासन सेवा की परीक्षायें . ३५९

३१० ऊनी कपड़े के परिष्करण (प्रोसेसिंग) पर उत्पादन शुल्क ३५९–६०

३११ कला और विज्ञान के विद्यार्थी . ३६०

३१२ अनुसूचित जातियां और अनुसूचित आदिम जातियां . ३६०

३१३ आवास क्षेत्रों का वाणिज्यिक क्षेत्रों में परिवर्तन ३६०–६१

३१४ नागा विद्रोही . ३६१

३१५ भवन निर्माण अनुदान ३६१

३१६ अल्प बचत की राशि ३६२

३१७ आर० डी० ९ इंजन फैक्टरी . ३६२–६३

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी	
अतारांकित प्रश्न संख्या	
३१८ गोहाटी तेलशोधक कारखाने को अशोधित तेल .	३६३
३१९ मनीपुर में भूमि राजस्व तथा करों की बकाया रकम	३६३
३२० नागा विद्रोही . .	३६३
३२१ सोने का तस्कर व्यापार .	३६४
३२२ कटंगा में भारतीय सैनिक	३६४
३२३ राज्यों में अल्प-संख्यक	३६४
३२४ डोगरी भाषा को प्रोत्साहन	३६५
३२५ बिहार में आदिम जाति लोग . .	३६५
३२६ लोहा और इस्पात नियंत्रक के लिये कर्मचारियों की आवश्यकता .	३६५
३२७ पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिये दिल्ली में छात्रावास	३६६
३२८ अन्तर्राष्ट्रीय ग्रीष्मकालीन ग्राम शिविर जापान	३६६
३३० पंजाब में कोयले की कमी .	३६७
३३१ विश्वविद्यालय शिक्षा समिति . .	३६७—६८
३३२ राजस्थान में तांबे की खानें . . .	३६८
३३३ खनन उद्योग के लिये प्रविधिक कर्मचारी	३६९
३३४ सिंगरैनी कोयला खानें . . .	३६९
३३५ सिंगरैनी कोयला खानों को सहायता . . .	३६९—७०
३३६ राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना .	३७०
३३७ कांगो के लिये सैनिक . . .	३७०
३३८ पुलिस द्वारा लाठी चार्ज और गोली चलाना .	३७१
३३९ योगाभ्यास .	३७१—७२
३४० जन्माष्टमी की छुट्टी . . .	३७२
३४१ स्कूल एटलस .	३७२
३४२ डाक द्वारा शिक्षा . .	३७३
३४४ खम्भात में तेल तथा गैस की खोज	३७३
३४५ अन्दमान के लिये सलाहकार समिति	३७३—७४
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३७४—७५

(१) बीमा अधिनियम, १९३८ की धारा २ग की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक २ जून, १९६२ की एस० ओ० संख्या १६५६ ।

विषय पृष्ट

(दो) दिनांक २ जून, १९६२ की एस० ओ० संख्या १६५७ ।

(२) कोयला खान (संरक्षण और सुरक्षा) अधिनियम, १९५२ की धारा १७ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत दिनांक २३ जून, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८४६ में प्रकाशित कोयला खान (संरक्षण और सुरक्षा) (चौथा संशोधन) नियम, १९६२ की एक प्रति ।

(३) अन्तर्राज्य निगम अधिनियम, १९५७ की धारा ४ की उप-धारा (५) के अन्तर्गत निम्नलिखित आदेशों की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक १६ दिसम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या १४६७ में प्रकाशित खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (बम्बई, पूना और पूर्व खानदेश), (पुनर्रचना) आदेश, १९६१, दिनांक ३० दिसंबर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १५४४ में प्रकाशित उस के एक संशोधन सहित ।

(दो) दिनांक २६ मई, १९६२ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १५६२ में प्रकाशित मध्य प्रदेश दन्त चिकित्सा परिषद् (पुनर्रचना) आदेश, १९६२ ।

(४) दिल्ली नगर निगम अधिनियम, १९५७ की धारा ४७९ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत दिनांक ३ जनवरी, १९६२ के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या १९/१०८/६१—दिल्ली की एक प्रति, जिस में दिल्ली नगर निगम (काउन्सिलरों का निर्वाचन) नियम, १९६२ दिये हुए हैं ।

(५) मंत्रियों के वेतन और भत्ते अधिनियम, १९५२ की धारा ११ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत दिनांक ८ जून, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७७५ में प्रकाशित मंत्रियों के (भत्ते, चिकित्सा और अन्य विशेषाधिकार) संशोधन नियम, १९६२ की एक प्रति ।

(६) दिल्ली में लागू बंगाल वित्त (बिक्री कर) अधिनियम १९४१ की धारा २६ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत दिनांक १३ जुलाई, १९६१ के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ ३ (३१)/५८—फिन (ई), जिस में दिल्ली बिक्री कर (संशोधन) नियम, १९६१ दिये हुए हैं ।

राज्य सभा से सन्देश . . . . . ३७५—७६

सचिव ने राज्य सभा से प्राप्त एक सन्देश की सूचना दी जिस में यह बताया गया है कि राज्य सभा ने ७ अगस्त, १९६२ की अपनी बैठक में प्रस्ताव स्वीकार किया जिस के द्वारा परिसीमन विधेयक १९६२ को ३० सदस्यों की दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा गया है जिस

विषय पृष्ठ

में राज्य सभा के १० और लोक सभा के २० सदस्य हों और यह सिफारिश की है कि लोक सभा उक्त समिति में सम्मिलित हो और लोक सभा अपने सदस्यों के नाम राज्य सभा को बता दे ।

सदस्यों की गिरफ्तारी ३७६

अध्यक्ष महोदय ने लोक-सभा को बताया कि उन्हें भोपाल के पुलिस सुपरिंटेंडेंट से दिनांक ६ अगस्त, १९६२ का एक तार मिला है जिस में यह बताया गया है कि लोक-सभा के सदस्य सर्व श्री हुकम चन्द कछवाय, रामचन्द्र विट्ठल बड़े और होमी दाजी को भोपाल में मध्य प्रदेश विधान सभा के विनियमित क्षेत्र के अन्दर प्रतिबन्ध तोड़ने के लिये ६ अगस्त, १९६२ को भारतीय दण्ड संहिता की धारा १८८ के अधीन गिरफ्तार कर लिया गया ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित ३७६

चौथा प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

मंत्री द्वारा वक्तव्य ३७७

संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिन्हा) ने यह घोषणा की कि दिल्ली में बिजली की सप्लाई के बन्द होने के बारे में एक अल्पकालीक चर्चा गुरुवार ९ अगस्त, १९६२ को ३ बजे मध्यान्ह पश्चात् होगी ।

प्रवर समिति के प्रतिवेदन को उपस्थापित करने का समय बढ़ाने के बारे में प्रस्ताव

सीमा शुल्क विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति के प्रतिवेदन को पुरस्थापित करने का समय अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक बढ़ा दिया गया ।

विधेयक पुरस्थापित . . . . . ३७७—७८

भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक, १९६२ ।

अध्यादेश के बारे में वक्तव्य—सभा पटल पर रखा गया . . . ३७८

भूमि अर्जन (संशोधन अध्यादेश १९६२ द्वारा तत्कालीन विधान बनाने की किन परिस्थितियों में जरूरत हुई यह बताने वाला वक्तव्य सभा पटल पर रखा गया ।

विधेयक पारित . . . . . ३७८—८१

(१) प्रत्यर्पण विधेयक को पारित करने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई तथा विधेयक पारित किया गया ।

(२) विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) ने प्रस्ताव किया कि हिन्दू दत्तक ग्रहण और पोषण (संशोधन) विधेयक पर विचार किया जाये ।

विषय पृष्ठ

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खण्वार चर्चा के बाद विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया गया ।

विधेयक को संयुक्त समिति को सोंपने का प्रस्ताव . . ३८१—९९

विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) ने प्रस्ताव किया कि ईसाई विवाह तथा वैवाहिक कारण विधेयक को एक संयुक्त समिति को सोंपी जाये ।

श्री मणियंगाडन ने विधयक पर राय जानने के लिये, उसे परिचारित करने के बारे में, एक सेशोधंन प्रस्तुत किया जोकि अस्वीकृत हुआ तथा विधेयक को एक संयुक्त समिति को सोंपने का स्ताव स्वीकृत हुआ ।

गुरुवार, ९ अगस्त, १९६२/१८ श्रावण, १८८४ (शक) के लिए कार्यवलि .

(१) विशिष्ट सहायता विधेयक को एक संयुक्त समिति को सोंपने के प्रस्ताव पर चर्चा (२) महा प्रशासक विधेयक को एक संयुक्त समिति को सौंपने के बारे में चर्चा, छोटी कार बनाने के बारे में वक्तव्य तथा दिल्ली में बिजली के फेल हो जाने के बारे में चर्चा ।

GMGIPND—LS III—1465 (Ai)LSD—14-12-62—140.